

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186153

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP--24--4-4-69--5,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 353
U58J

Accession No. P. G. H3978

Author

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका

Title

मानवता का शासन

This book should be returned on or before the date last marked below.

इस पुस्तिका का निर्माण 'आवर कांस्टिट्यूशन ऐंड गवर्नमेंट' नामक पुस्तक के आधार पर किया गया है, जिसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, डी.सी. के कैथरीन सेकलर हडसन ने लिखा था और जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के न्याय विभाग की इमिग्रेशन ऐंड नैचरलाइजेशन सर्विस ने अमेरिका के सब पब्लिक स्कूलों को मुफ्त बांटा था, कि जो विद्यार्थी नागरिकता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व वहन करने की तैयारी कर रहे हैं वे इसका उपयोग कर सकें ।

सं यु क्त रा ज्य अ मे रि का

अ थ वा

दि यूनाइटेड स्टेट्स आफ् अमेरिका ।

जनता का शासन



Post Graduate Library
College of Arts & Commerce, O. U.

वै दे शि क

वि भा ग

विषय सूची

अध्याय

पृष्ठ

१. अमेरिकी प्रजातन्त्र का आधार	१
२. शासन विधान बना और स्वीकृत हुआ	६
३. शासनाधिकार का उद्गम: शासन विधान	१६
४. नागरिकता के उत्तरदायित्व	२५
५. संघीय शासन	३५
६. संघीय शासन की कानून निर्मात्री शाखा का संगठन	४४
७. कानून निर्मात्री शाखा के अधिकार	५३
८. प्रेज़िडेंट : प्रधान:	६३
९. शासन के प्रबन्ध विभाग	७७
१०. स्वतन्त्र प्रतिनिधि	८७
११. संयुक्त शासन का न्याय विभाग	९२
१२. राज्यों के शासन	९७
१३. राज्यों के शासन का संगठन	१०६
१४. नगरों का शासन	११८
१५. नगर शासनों का संगठन	१२६
१६. अन्य स्थानीय शासन	१३२
१७. शासन द्वारा सेवाओं का अर्थ है टैक्सों का भार	१३६
१८. प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्त	१४७

परिशिष्ट:

स्वतन्त्रता की घोषणा की प्रस्तावना	१५४
यूनाइटेड स्टेट्स का शासन विधान	१५६
संशोधन	१७८

अमेरिकी प्रजातन्त्र का आधार

अमेरिकी प्रजातन्त्र का जो सिद्धान्त १६० वर्ष से भी अधिक समय से यूनाइटेड स्टेट्स के विस्तार में सहायक हुआ है और उसके हितों की रक्षा करता बला आया है उसकी रचना सन् १७८७ में नेताओं की एक मंडली ने फिलाडेलफिया :पेनसिलवेनिया: में की थी। उस वर्ष के वसन्त ऋतु में इन प्रतिष्ठित अमेरिकियों की मंडली ने इस राष्ट्र का एक आन्तरिक संघर्ष मिटाने के लिए अपनी बैठकें आरम्भ कीं थीं और तब इस राष्ट्र का संगठन तेरह ब्रिटिश उपनिवेशों से मिलकर हुआ था। वे सब राष्ट्र अब स्वतन्त्र राज्य बन चुके हैं और तब उन तेरह में से बारह ने इन १५ नेताओं को चुन कर भेजा था। उन्होंने केवल ६ वर्ष पूर्व क्रान्तिकारी युद्ध द्वारा अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की थी और सन् १७८१ में तेरहों राष्ट्रों ने मिल कर पारस्परिक लाभ के लिये एक समझौता स्वीकार किया था जिसका नाम 'दि आर्टिकल्स आफ् कान्फेडरेशन' अर्थात् संघ में सम्मिलित होने की शर्तें रखा गया था। परन्तु इन ६ वर्षों के अनुभव से यह ज्ञात हुआ कि 'आर्टिकल्स आफ् कान्फेडरेशन' में कुछ मौलिक त्रुटियां थीं।

फलतः फरवरी १७८७ में महाद्वीप संघ :कांतिनैटल कांग्रेस: ने स्टेटों :राज्यों: से इन आर्टिकलों पर विचार करने के लिये अपने प्रतिनिधि फिलेडेलफिया भेजने को कहा। इस सभा अर्थात्

कांस्टीट्यूशनल कन्वेंशन : विधान परिषद : का विधिवत् उद्घाटन २५ मई १७८७ को इंडिपेंडेंस हाल में हुआ था । यही वह ऐतिहासिक भवन है जिसमें कि १७७६ में अमेरिकी स्वतन्त्रता के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और जहां से प्रसिद्ध लिबर्टी बेल : स्वतन्त्रता का घंटा : बजा कर संसार को उक्त शुभ समाचार सुनाया गया था। उन नेताओं ने जो रचना की वह आज तक स्थिर है । उसी का नाम है कि यूनाइटेड स्टेट्स कांस्टीट्यूशन : संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन विधान ।

जो नेता फिलेडेलफिया में इकट्ठे हुए थे वे यद्यपि जनता के विविध स्वार्थदृष्टियों के प्रतिनिधि थे, और वे स्वयं भी जीवन में विविध पेशों, परिस्थितियों और हैसियतों के व्यक्ति थे, तथापि उन सबका लक्ष्य एक था । इस लक्ष्य का कांस्टीट्यूशन : विधान : की प्रस्तावना में सरलता तथा संक्षेप से उल्लेख किया गया था ।

प्रस्तावना में लिखा है : हम अमेरिका के संयुक्त राज्यों के नागरिक अधिक पूर्ण यूनियन के निर्माण, न्याय की स्थापना, आंतरिक शान्ति की निरन्तरता, सामूहिक रक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक सुख स्मृद्धि में वृद्धि और अपने तथा अपनी भावी सन्ततियों के लिये स्वतन्त्रता की आशीर्षें सुरक्षित करने के प्रयोजन से, यूनाइटेड स्टेट्स आफ् अमेरिका के इस शासन विधान की रचना और प्रतिष्ठापना करते हैं ।

इन पृथक् लक्ष्यों की पूर्ति का एक मात्र साधन था, शासन जनता पर, जनता द्वारा, जनता के लिये होना अर्थात् शासनसंचालन शासितों के लिये और शासितों की अनुमति से हो। इस शासन के अधिकारियों का चुनाव जनमत द्वारा होकर इनको उत्तरदायी भी जनता के बहुमत की इच्छा के प्रति ही होना था। यद्यपि उस समय इंग्लैंड में एक सीमा तक स्वशासन का चलन था, परन्तु पूर्ण जनशासन की यह अमेरिकी कल्पना संसार भर में प्रचलित शासनों की दृष्टि से क्रांतिकारी थी ।

तो भी, जो लोग उत्तरी अमेरिका के नए संसार में बसने के लिए गए थे, उनमें अनेकों ने अपनी मातृभूमि का त्याग, किसी न किसी प्रकार के अत्याचार से बचने अथवा यूरोपियन आर्थिक व्यवस्था



शासन के आगीदार
-- किसान --

की उन रूढ़ियों से छूटने के लिये ही तो किया था जो उनके उन्नति के अवसरों का लाभ उठाने में बाधक थी। उनको अपना कारोबार आप संभालने के लिये अपनी योग्यता पर विश्वास था और वे ऐसी किसी भी कारिवाई के प्रति सतर्क थे जो उनके वैसा करने में बाधा डाल सकती थी। यह संकल्प इतना दृढ़ था कि रोड आइलैंड की स्टेट ने फिलेडेलफिया के विधान परिषद में अपने प्रतिनिधि इसी मय से नहीं भेजे थे कि कहीं प्रबल राष्ट्रीय सरकार हमारी स्वतन्त्रता को सीमित न कर दे।

जो लोग विधान द्वारा स्थापित शासन का निर्वाचन और नियन्त्रण करने वाले थे वे विविध स्थानों से आए थे और उनके विचार विश्वास और रूढ़ियां भी भिन्न थीं। यद्यपि उनमें अधिकतर इंग्लैंड से आये थे, परन्तु अन्य अनेक स्वीडन, नारवे, फ्रांस, हॉलैंड, प्रशिया, पोलैंड आदि देशों से भी आए थे। सभी ने नयी दुनिया बसाने में हाथ बटाया था। उनके धार्मिक विश्वास विभिन्न तथा विविध तो थे ही, बहुधा दृढ़ भी थे। उनमें रोमन कैथोलिक, एंग्लीकीन्स, कालविनिस्ट्स, प्रोटेस्टेंट्स, डिसेंटर, ह्यूगोनोट्स, लूथरन्स, क्वेकर्स, यहूदी और कुछ नास्तिक भी थे। उनमें धन तथा सत्ताधिकारी अपीर उमरा भी थे और ऐसे गरीब कर्जदार भी थे जो शर्तबन्द मजदूरों की भांति काम करके अपना कर्ज चुका देने के लिये ही जेल से छोड़े गये थे। उनमें किसान, व्यापारी, शिल्पकार, सौदागर, मल्लाह, सिपाही, अश्ववसायी, लोहिए, नौनिर्माता, जुलाहे, बढ़ई और अन्यान्य भी उनके पेशों के लाग थे। जैसे की स्वाभावतः कल्पना की जा सकती है

जिस आबादी में विविध प्रकार के लोग सम्मिलित हों और सब के सब विचार की स्वच्छन्दता और कर्म की स्वतन्त्रता पर अभिमान करने



वाले हों, उनमें मतभेदों की बहुतायत और तीव्रता होती है। उपनिवेशों ने जिस क्रान्ति द्वारा ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त की थी उसका भी औपनिवेशिकों की एक अल्प-संख्या ने विरोध किया था। इन विरोधी

... लेखक
तत्त्वों में भी प्रक्रान्ति युद्ध का विरोध करने के कारणों पर परस्पर मतभेद था, और युद्ध का विकल्प क्या हो इस प्रश्न पर भी उनमें एकमत नहीं था।

यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों में चरित्र की विविधता उस समय से बढ़ी ही है। आरम्भिक तरह राज्यों के लोग महाद्वीप में पश्चिम की ओर निरन्तर फैलते चले गए। बसने वालों की मंडलियों ने रौकी पर्वतमाला का पार किया और वे प्रशान्त महासागर के तट तक पहुँच गईं, जिसकी दूरी प्रथम आने वाले औपनिवेशिकों की पूर्व तटवर्ती बस्तियों से 3,000 मील है। अग्रणी आगन्तुकों और उनके अनुगामियों ने प्राकृतिक साधनों के विस्तृत प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वहाँ फसलें अच्छी होती थीं और चरागाहों की प्रचुरता थी। शहतीरों के जंगल खूब थे, कोयले, ताम्बे, लोहे और तेल की खानें बहुत थीं और पानी की शक्ति भी देश में बिसरी पड़ी थीं।

इन प्राकृतिक साधनों का विकास विविध जातियों के लोगों ने किया, जो नए राष्ट्र में न केवल अपनी कला और कुशलता ही लेकर नहीं आए, परन्तु साथ ही अपने रीति रवाज भी लाए। ज्यों ज्यों



... बढ़ई
राष्ट्रीय जीवन का विकास होता गया, त्यों त्यों विविध पेशों

और व्यापारिक कारिवाइयों से सम्बद्ध विशिष्ट स्वार्थों की भी सृष्टि होती गई। बोस्टन का जो जहाज मालिक अन्तरीष्ट्रीय आदान प्रदान करता था वह मुक्तद्वार व्यापार का पक्षपाती था। मध्य पश्चिमी रियासत इलिनोयस के जिन मिट्टी के पात्रव्यवसायियों ने अपना रोजगार अभी शुरू ही किया था उन्हें पुराने विदेशी पात्र व्यवसायियों के साथ जम्हर मुकाबला करना पड़ा था, वे स्वदेश के बाज़ार में अपने माल का व्यापार सुरक्षित करने के लिये तट-कर की वकालत करते थे। रियासत नेब्रास्का का किसान भाड़ा-दर घटाने और अन्न का मूल्य बढ़ा देने का पक्षपाती था, तो निशीस्ता व्यवसायी अन्न सस्ता खरीदना और रेलचालक उपलब्ध माल पर अधिक से अधिक ऊँचा भाड़ा-दर वसूल करना चाहते थे।

कुछ वर्षों बाद स्थानीय मतभेदों का विकास हुआ। न्यूयार्क के बैंकों का दृष्टिकोण बहुधा दक्षिण के कपास उत्पादकों, टेक्सास के पशुपालकों और ओरेगन के लकड़ी व्यवसायियों के विपरीत रहता था। इन तीनों के भी मत का आधार सदा एक सा नहीं रहता था।

शासन विधान द्वारा स्थापित प्रजातन्त्र : रिपब्लिक को, स्वार्थों की यह अनन्त विविधता अपने भीतर समाते हुए, उसके पुरस्कर्ता लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करनी थी। उसे ऐसी तरह बस्तियों : उपनिवेशों : की बहुत कुछ विषम मंडलियों को एक दृढ़ संघ में बांधना था जिनमें अपनी अपनी स्थानीय स्वतन्त्रता-रक्षा के उत्साही ४० लाख व्यक्ति बसते थे।

विधान की रचना के समय स्वशासन का जो थोड़ा बहुत अनुभव उपलब्ध हुआ था उससे सहायता अवश्य मिली, परन्तु उसकी उपयोगिता एक मार्ग निर्देशक से अधिक नहीं थी। पहले के 'आर्टिकल्स ऑफ़ कान्फेडरेशन' के अनुसार संगठित विधान परिषद : कान्स्टीट्यूट असेम्बली : का नाम फ़ेडरल गवर्नमेंट, संघीय परिषद, रखा गया।

परन्तु इसके अधिकार इतने मर्यादित थे कि वह राज्यों के सन्मुख, राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर, केवल उचित कार्रवाई का सुझाव मात्र ही पेश कर सकती थी। इसे टैक्स लगाने, सेना संगठित करने अथवा राज्यों पर लागू होने वाला कानून पास करने का अधिकार नहीं था, जब तक कि उनमें से प्रत्येक उसे विशेष रूप से स्वीकृत न कर दें। राज्यों और स्थानीय शासनों के अधिकार क्षेत्रों को पृथक् करने के लिये लिखी गयी पंक्तियाँ बहुत शिथिल थीं। इस संघटन :कान्फेडरेशन: से प्राप्त हुए अनुभव का एक मात्र लाभ यही था कि इसने अन्तिम रूप में प्रमाणित कर दिया था कि इस प्रकार के संघीकरण :फेडरलाइजेशन: पर सन्तोषपूर्वक आचरण नहीं हो सकता।

परन्तु कस्बों, नगरों और राज्यों में स्थानीय स्वशासन का अनुभव पर्याप्त मात्रा में मिल चुका था। मेन से लेकर जार्जिया तक, कस्बों और नगरों के सफल तथा प्रभावपूर्ण शासन का इतिहास मूल्यवान था। इतरपूर्व के छोटे कस्बों में सामूहिक निर्णय नगर सभाओं में किए जाते थे, जिनमें प्रत्येक मताधिकारी नागरिक, यदि वह चाहे, विवाद के लिए उपस्थित प्रश्न पर अपना विचार प्रकट करने के पश्चात्, अपना मत दे सकता था। प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर और राज्य सभा थी, जो जन निर्वाचित होती थी।

यद्यपि क्रान्ति के उत्तरकालिक अमेरिका के संयुक्त राज्यों :यूनाइटेड स्टेट्स: के शासन की समस्या आज की तुलना में कठिन नहीं प्रतीत होती, तथापि तेरह स्टेटों की जनता द्वारा स्वीकरणीय तथा समर्थनीय प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों की रचना करना कितना कठिन कार्य था इसकी कल्पना सुगमता से हो सकती है। इसके अतिरिक्त, तात्कालिक समस्याओं के साथ उन्हें भविष्य का भी ध्यान रखना था।

शासनविधान के रचयिता, दो शताब्दियों के विकास की कल्पना करके तदनुकूल व्यवस्था तो नहीं कर सकते थे, परन्तु उन्होंने

भारी परिवर्तनों का अनुमान अवश्य कर लिया था। इसी लिये उन्होंने विधान में धारा:आर्टिकल: एक यह रख दी कि यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो उसमें संशोधन कर लिया जाय । समय ने इस कार्य की दूरदर्शिता सिद्ध कर दी है । इसकी स्वीकृति के पश्चात्, इसमें लगभग बीस संशोधन हुए हैं जिनके कारण यह सामाजिक तथा प्रभावशाली बना हुआ है ।

रचियताओं को जिन समस्याओं से उलफना पड़ा उनके बावजूद इस विधान ने ऐसे शासन की परम्परा ढाल दी है जो षेढ़ शताब्दी से अधिक काल से जनता की मली भांति सेवा कर रहा है । इसके मौलिक तत्त्व इतनी दृढ़ भित्ति पर आधारित हैं कि उनसे आरम्भिक तेरह राज्यों की अपेक्षाकृत साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई ही है, आज के यूनाइटेड स्टेट्स की उलफनभरी तथा सहसा अकल्पनीय विविध आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो रही है । आज उसकी आबादी १४ करोड़ ८० लाख है, ४८ राज्य और उनकी पृथक सरकारें हैं, ३००० स्वशासित काउंटियां :जिले: हैं, नगरों के शासन संगठन सहस्रों हैं और लगभग षेढ़ लाख छोटे स्थानीय शासन हैं । कई राज्यों का क्षेत्रफल यूरोप के कई देशों से भी बड़ा है । प्रत्येक राज्य अनेक क्षेत्रों में बंटा हुआ है जो काउंटी कहलाते हैं, और काउंटियों के भाग टाउनशिप :नगरक्षेत्र: कहलाते हैं । अनेक छोटे छोटे, नगर हैं। न्यूयार्क के प्रसिद्ध नगर की जनसंख्या ७० लाख से ऊपर है और वह अपने नागरिकों की सेवा में प्रति वर्ष एक अरब से अधिक ढालर :४ रुपये १४ आने=१ ढालर: व्यय करता है । संसार का शायद ही कोई राष्ट्र होगा जिसके व्यक्ति न्यूयार्क शहर में न बसते हों । दक्षिण डेकोटा में एक कस्बे की आबादी केवल ६ व्यक्तियों की है । इन चरम सीमाओं के मध्यवर्ती ग्रामों, कस्बों और नगरों की गणना सहस्रों में है ।

प्रत्येक राजनीतिक उपभाग को स्थानीय स्वशासन प्राप्त है और प्रत्येक स्थानीय स्वशासन प्राप्त अधिकारों की सीमा में स्वतन्त्र है। यदि नगर या काउंटी का शासन अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन न करे तो, असाधारण अवस्थाओं के अतिरिक्त, राज्य का शासन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी प्रकार, राज्यों को भी व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, और फ़ेडरल :संघीय: शासन उनके प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

बहुधा ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं जो एक से अधिक शासनों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हाते हैं। ऐसे अवसरों पर साधारणतया सम्मिलित कार्रवाई का निश्चय कर लिया जाता है। पब्लिक स्कूलों, सार्वजनिक पाठशालाओं, की राष्ट्रव्यापी शृंखला राज्यों के ही अलग अलग नियन्त्रण में है, परन्तु संघीय शासन राज्यों को नकद सहायता देता है, क्योंकि साक्षरता और शिक्षा का ऊँचा स्तर रखना, राष्ट्र तथा राज्य दोनों का ही कर्तव्य है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें संघ और राज्य शासन, दोनों मिलकर सस्ते घर^{बनवाने} और मलदूषित बस्तियों को साफ करवाने में नगरपालिनी सभाओं :म्युनि सिसिपलटियों: की सहायता करते हैं। कभी कभी, शासनों की विविध हकाइयों में, अपने अधिकार तथा कार्य के क्षेत्रों पर मतभेद हो जाता है। ये विवाद निर्णय के लिये या तो अदालतों को सौंप दिए जाते हैं और या उन्हें स्पष्टीकरण कानूनों द्वारा हल कर लिया जाता है।

यूनाइटेड स्टेट्स की अनुपमेय वृद्धि और विकास के बावजूद, विधान द्वारा स्थापित स्वशासन यन्त्र सब कसोटियों पर खरा उतर चुका है और राज्यों की जो जनता इसका संचालन करती है, उसे इसने स्थायी तथा वास्तविक लाभ पहुंचाये हैं।

शासन विधान बना और स्वीकृत हुआ.

शासन विधान : कौन्सिलिट्यूशन : बनाने के लिये जो कन्वैन्शन : परिषद : बुलाई गई थी, वह वस्तुतः केवल एक मौलिक लक्ष्य पर एकमत था और सब प्रतिनिधि अनुभव कर रहे थे कि एक प्रभावशाली केन्द्रीय शासन होना ही चाहिये । आरम्भिक तेरह राज्यों के संघटन : कान्फेडरेशन : का आठ वर्ष का जीवन अयोग्यता और असफलता का एक सुसम्बद्ध लेखा था । कुछ न कुछ अन्तर्राज्यिक नियन्त्रण करने में समर्थ केन्द्रीय शासन के अभाव के परिणाम स्पष्ट थे । पृथक्ता की प्रवृत्ति के प्रमाण दृष्टिगोचर होने लगे थे । राज्यों में परस्पर अविश्वास प्रत्यक्ष होने लगा था, जो यदि रोका न जाता तो भविष्य में गम्भीर संघर्ष का कारण बन जाता । राज्य केवल अपनी अपनी चिन्ता करने लगे थे । संघ : यूनियन : की वे न केवल अपेक्षा ही करते थे बल्कि कभी कभी उसे हानि भी पहुंचा देते थे । यह इस बात की प्रबल सूचना थी कि यदि आक्रमण हुआ तो आवश्यक सम्मिलित रक्षा की व्यवस्था करना असम्भव हो जायगा ।

परन्तु प्रस्तुत संघीय शासन : फेडरल गवर्नमेंट : को क्या क्या अधिकार दिये जाएं, इस प्रश्न पर भारी मत भेद था । सब राज्यों में ऐसे लोगों का जोर था जो अपनी नयी स्वतन्त्रता की रक्षार्थ सतर्क थे और अपने का केन्द्रीय शासन के आधीन करने का तैयार नहीं थे । अन्य लोग ऐसा बलवान केन्द्रीय शासन स्थापित करने के पक्षपाती थे,

जिसे सब राज्यों से सम्बद्ध मामलों में सर्वोपरि अधिकार प्राप्त हों ।

इस मुख्य प्रश्न के अतिरिक्त मतभेद के विषय अन्य भी अनेक थे । प्रत्येक प्रतिनिधि की प्रथम निष्ठा अपने राज्य और उसके विशेष हितों के प्रति थी । प्रत्येक सदस्य पहले उन लोगों के बड़ी बड़ी खेतियों के मालिकों, छोटे किसानों, कारखानामालिकों, छोटे दस्तकारों और मजदूरों आदि के स्वार्थों की रक्षा करना चाहता था जिनका वह प्रतिनिधि था । रीति रिवाजों और राजनीतिक तथा धार्मिक विश्वासों का भेदभाव भी कम न था ।

लोकसम्मति : कान्वेन्शन : में विवाद का कोई अन्त नहीं था । परन्तु इस सार्वजनिक वितर्क होते होते हित के कुछ प्रश्न सामने आ गए जिन्होंने मतभेद के प्रश्नों को कुचल कर रख दिया । निम्न प्रश्न स्पष्ट थे :

संघटन की धाराओं : आर्टिकल्स आफ कान्वेन्शन् की त्रुटियों से सभी राज्यों को अनावश्यक कष्ट पहुँचा है ।

कानून, स्वतन्त्रता और स्वशासन के विषय में सभी राज्यों के विचार और आवश्यकताएँ समान हैं ।

विदेशी आक्रमण के भय से कोई भी राज्य मुक्त नहीं है ।

अपने वैदेशिक व्यापार की स्वयं रक्षा करने में कोई भी राज्य समर्थ नहीं है ।

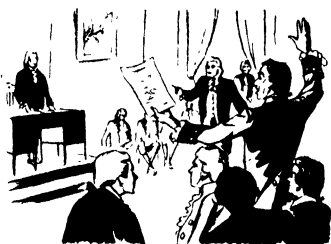
अमेरिकन इंडियन समस्या का सामना कोई भी राज्य अकेला नहीं कर सकता ।

आन्तरिक जलमार्गों की उन्नति कोई भी राज्य स्वयं नहीं कर सकता ।

व्यापार, यात्रा और डाक के यातायात के लिये अच्छी अन्तर्राज्यिक सड़कों की आवश्यकता सभी राज्यों को है ।

चार महीनों तक प्रतिनिधि विवादास्पद प्रश्नों पर चर्चा, अपने विशेष स्वार्थों की वकालत और उपायों पर विचार करते रहे। ऐसे भी अवसर आए जब यह मय होने लगा कि लोकसम्मति :कान्फ्रेंशन: बिना किसी लक्ष्य पर पहुंचे शब्दों की दलदल में फंस जाएगी। छोटे प्रतिनिधि तो सचमुच उठकर कान्फ्रेंशन से बाहर भी चले गए, क्योंकि उन्हें मय था कि केन्द्रीय शासन के लिये

जो आधार निर्धारित किए जा रहे हैं, उनके अनुसार हमें बड़े राज्यों की एड़ी के तले रहना पड़ेगा। परन्तु सम्फौतों पर सम्फौते होते गए और मतभेद मिट गए। छोटे राज्यों के भय का निवारण,



कांग्रेस की एक सभा :हाउस: में, उनको बड़े राज्यों के समान प्रतिनिधित्व दे कर किया गया। सेनेट में प्रत्येक राज्य को, उसके परिमाण का बिना विचार किए दो स्थान दिए गए। इसके साथ ही जिन बड़े और सम्पन्न राज्यों पर केन्द्रीय शासन के ढँकसाँ का अधिक भार पड़ने वाला था उनके लिये यह रियायत की गयी कि, कांग्रेस की दूसरी सभा :प्रतिनिधि भवन: हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रतिनिधित्व का आधार जन संख्या रख दिया गया।

शासन विधान पर विवाद

यह भी सम्फौता हो गया कि संघीय आय :फेडरल रेवेन्यू: एकत्र करने और केन्द्रीय शासन का कोश व्यय करने के सम्बन्ध में कानून निर्माण का आरम्भ हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही हो सकेगा, जिसमें कि बहुतमत बड़े राज्यों का रहेगा।

कान्फ्रेंशन के जिन प्रतिनिधियों के सिर नवीन प्रजातन्त्र स्थायी रूप में निर्मित करने का उत्तरदायित्व था उनमें उपनिवेशों के कुछ विशेष प्रतिभा सम्पन्न नेता भी थे। इनमें सर्वाधिक प्रख्यात जार्ज वाशिंगटन था, जो कान्फ्रेंशन का अध्यक्ष था। वह उदार, बुद्धिमान और दूरदर्शी

तो था ही, महाद्वीप की सेनाओं का सेनापति रहने के कारण उसे विविध राज्यों के निवासियों और उनकी समस्याओं का भी विस्तृत ज्ञान था। बेंजामिन फ्रैंकलिन विद्वान, वैज्ञानिक और योग्य नीतिज्ञ था। उसका बड़ा प्रभाव था। वर्जीनिया के जेम्स मैडीसन न्यूयार्क के गवर्नर गूवर्नर मोरिस और पेन्सिलवेनिया के जेम्स विल्सन भी प्रभावशाली थे। न्यूयार्क^{का} उग्र और प्रतिभाशाली युवक एलेगेंडर हैमिल्टन बलवान केन्द्रीय शासन की वकालत में उत्कृष्ट वक्तृत्वकला का प्रयोग करता था।

इन्होंने और अन्य प्रतिनिधियों ने अपने विचार अनेक सूत्रों से लिये थे। अनेक विचार और सिद्धान्त अलिखित ब्रिटिश विधान से लिये गए थे। आपनिवेशिक पत्रों : कालोनियल चार्टर्स : से भी भरपूर सहायता मिली थी। राज्यों के नागरिक इन चार्टरों से सुपरिचित थे और इनकी अनेक बातें उनकी अनुमति से ही लिखी गई थीं। स्वतन्त्रता का घोषणापत्र : डिक्लेरेशन ऑव इन्डीपेंडेंस : शासन के मूल उद्देश्य अर्थात् जनता की सेवा और उसके मूल अधिकारों की रक्षा का ओफल न होने देने में बहुत सहायक रहा था। राज्यों के विधान और आर्टिकल्स ऑव कॉन्फेडरेशन भी, सहायक रहे। इससे और कुछ नहीं तो पिछली भूलों से बचने में तो सहायता मिली ही।

इनके अतिरिक्त बहुत से प्रतिनिधियों के विचार, शासन के राजनीतिक स्वरूपों पर पहले से सुविक्सित और स्थिर हो चुके थे। अन्य देशों के राजनीतिक विचारों का भी प्रभाव पड़ा ही। फ्रेंचमैन, मोंटस्क्यू और इंग्लिश विचारक जॉन लॉक के लेखों से गूवर्नर मोरिस तथा अन्य प्रतिनिधियों का यह सुफाव मिला कि शासन के अधिकार तीन शाखाओं, कानून, शासन और न्याय, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जूडिशल, में विभक्त कर दिये जाने चाहियें।

ग्रीष्म ऋतु में चिरकाल तक गरमागरम विवाद के पश्चात् गूवर्नर मोरिस का विधान का अन्तिम मसविदा लिखने के लिये कहा गया।

उसने यह कार्य सितम्बर १७८७ के मध्य में समाप्त कर लिया और प्रलेख हस्ताक्षरों के लिये, प्रतिनिधियों के सामने रखा गया । कुछ प्रतिनिधि अनुपस्थित थे और कुछ ने हस्ताक्षरों से इन्कार कर दिया । सब मिला कर ३६ प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये । एक अन्तिम कार्य रह गया, उक्त लेख की प्रतियां विधिवत् स्वीकृति के लिये अलग अलग प्रत्येक राज्य के सामने पेश करना । यही दृढीकरण : रेटिफिकेशन : कहा जाता है । प्रस्तुत विधान पर अमल आरम्भ होने के लिये नौ राज्यों की स्वीकृति : रेटिफिकेशन : आवश्यक थी ।

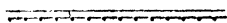
विधान पर अन्तिम प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने के समय तक यह पता लग गया था कि इसकी स्वीकृति शीघ्र अथवा बिना विरोध नहीं हो सकेगी । डिलावेयर ने सबसे पहले कदम उठाया और उसकी धारासभा ने विधान सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। न्यू जर्सी और जार्जिया ने भी ऐसा ही किया । पेन्सिलवेनिया और कनेक्टिकट में स्वीकृति निर्विवाद बहुमत से मिल गई । मैसाच्युसेट्स में मुकाबला सरल था और स्वीकृति के पोषक, जिनके द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव में कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किए गए थे, दस प्रतिशत से भी कम बहुमत से जीत सके । मेरीलैंड, साउथ कैरोलिना और न्यू हैम्पशायर ने भी वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही अपनी स्वीकृति दे दी। और स्वीकृतियों की संख्या आवश्यक नौ तक पहुंच कर विधान अमल में आ गया ।

तीन केन्द्रीय तथा बलवान राज्यों , न्यूयार्क, विरजीनिया और नार्थ कैरोलिना ने और एक छोटे राज्य रोड आइलैंड ने अपनी स्वीकृति तब भी नहीं दी । कोनवेन्शन के ६ वर्जिनियन प्रतिनिधियों में से ३ ने मसविदे तक पर हस्ताक्षरों से इन्कार कर दिया था । वर्जिनिया राज्य की जनता में, जो कि कोन्फेडरेशन में सबसे अधिक थी, इस प्रश्न पर उग्र मतभेद था । परन्तु अन्त में वाशिंगटन के नाम का प्रभाव अल्प बहुमत से स्वीकृति प्राप्त करने में सफल हो गया ।

न्यूयार्क में एलेगजेंडर हैमिलटन, जेम्स मैडिसन और जॉन जे ने निर्णय किया और अन्त में स्वीकृति के पक्ष में पर्याप्त लोगों का विचार परिवर्तित करने में सफल हो गए । उन्होंने स्वीकृति की पोषक युक्तियों के प्रचारार्थ ८५ निबन्ध लिखे । इन लेखों को पीछे संग्रह करके 'दि फेडरलिस्ट' नाम से पुस्तक के रूप में छापा गया और वे आज भी अमेरिकन शासन के अध्ययन में मूल्यवान सहायता देते हैं । इतिहास के अनेक विद्यार्थियों का विचार है कि न्यूयार्क राज्य के ३० तथा २७ के मत विभाजन में तीन का बहुमत इन्हीं तीन सज्जनों के कारण हो सका था । अन्त में नार्थ कैरोलिना ने भी स्वीकृति दे दी थी । रोड आइलैंड तब तक अड़ा ही रहा जब तक कि एक छोटे स्वतन्त्र राज्य के रूप में नवीन रिपब्लिक से घिरा रहकर उसने अपनी स्थिति की असम्भवता समझ नहीं ली । उसने मई १७६० में जाकर स्वीकृति दी ।

इस प्रकार शासन की एक नवीन प्रणाली का आधारपत्र लिखा गया और सदस्य राज्यों द्वारा स्वीकृत हुआ । इसकी रचना लम्बे चौड़े विवाद के पश्चात हुई थी और इसके समर्थकों में भी अनेक ने इसका पक्ष प्रबल अपवादों के साथ ही लिया था । राज्यों द्वारा इसकी स्वीकृति का मार्ग विरोधों से भरा पड़ा था और इस पर अमल आरम्भ हो जाने के पश्चात भी बहुत से लोग सन्देह करते थे कि इसे पास करना बुद्धिमत्ता का कार्य है या नहीं । सम्भव है कि यह विधान बलवान और प्रभावशाली इसी कारण हो सका हो कि इसे अन्तिम और पूर्ण प्रलेख के रूप में, भविष्य में सदा अपरिवर्तनीय रहने के लिये, पेश नहीं किया गया था, अपितु यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह स्वतन्त्र जनों के स्वशासन का विधान है, जिसे भावी आवश्यकताओं के अनुसार घटाया बढ़ाया और परिवर्तित किया जा सकता है ।

आवश्यक नौ राज्यों की विधान पर स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् लोगों ने नई सरकार का संघटन आरम्भ कर दिया । पहला काम कांग्रेस का चुनाव था । प्रतिनिधि भवन : हाउस ऑव रिप्रेजेंटेटिव्स : के सदस्य सब मताधिकारी नागरिकों के मत से चुने गए थे और राज्यों की धारा सभाओं के सदस्यों ने अपने अपने राज्य से दो दो सेनेट के सभासदों को चुना । तब प्रत्येक राज्य के मतदाताओं ने प्रमुख नागरिकों की एक सूची का चुनाव किया जिन्हें अपने राज्य की ओर से अध्यक्ष : प्रेज़ीडेंट : के चुनाव में मत देने का अधिकार था । इन विधायकों ने एकत्र हो कर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रथम अध्यक्ष : प्रेज़ीडेंट : और प्रथम उपअध्यक्ष : वाइस प्रेज़ीडेंट : का चुनाव किया । न्यूयार्क शहर को देश की अस्थायी राजधानी बनाया गया और उसी नगर में क्रान्ति के नेता और यूनियन के प्रधान राजनीतिज्ञ जार्ज वाशिंगटन ने ३० अप्रैल १७८६ को अध्यक्ष की पदवी ग्रहण की । मेसाच्यूसेट्स का जोन ऐडम्स प्रथम उपअध्यक्ष था । मेरीलैंड और वर्जिनिया राज्यों ने राष्ट्र की राजधानी बनाने के लिये भूमि प्रदान की । इसका नाम था कालम्बिया का ज़िला और संघीय सभासदों का नगर बनकर यही स्वतन्त्र प्रदेश वाशिंगटन कहलाया ।



शासनाधिकार का उद्गम : शासन विधान.

अमेरिका की शासन प्रणाली में, शासनविधान ही देश का आधाभूत कानून और अधिकार का उद्गम है। यह केन्द्रीय शासन के कार्यक्षेत्र को निर्धारित तथा सीमित करता है और इसकी तीन शाखाओं, शासन :एग्जिक्यूटिवः, कानून निर्माण :लेजिस्लेटिवः तथा न्याय :जुडिशलः विभागों, को उनके विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपता है। इसी के द्वारा अन्तिम अधिकार अमेरिकी जनता अर्थात् मतदाताओं को प्राप्त होता है।

जनता अपने अधिकारियों को, निर्वाचन अथवा नियुक्ति द्वारा वे अधिकार देती है जो उनके कर्तव्यों का निर्वह करने के लिये आवश्यक होते हैं। सब अधिकारियों को, बिना उनके पद का लिहाज किए, निवृत्त्यादेश :रिकालः अथवा अभियोगारापण :इम्पीचमेंटः द्वारा अपने पदों से च्युत किया जा सकता है। परन्तु यह विधि अयोग्यता अथवा कर्तव्य की उपेक्षा के विशेष गम्भीर अपराधों के लिये ही निर्धारित हैं। अथवा जनता चाहे तो बाद को अपने मतप्रयोग द्वारा उन अधिकारियों को पदों पर पुनः नियुक्त कर सकती या अन्य व्यक्तियों को उन स्थानों पर चुन सकती है।

विधान में व्यक्तियों के मूल अधिकारों :प्राइमरी राइट्सः की और सुविधाओं :प्रिविलेजः की प्रतिभू :गारंटीः भी सम्मिलित

है और इन्हें किसी भी अवस्था में कम नहीं किया जा सकता ।

शासन की यू० स्टे० प्रणाली फ़ैडरल रिपब्लिक, संघ प्रजातन्त्र, कहलाती है, जो कि राष्ट्रीय शासन : नेशनल गवर्नमेंट : और पृथक पृथक ४८ राज्य शासनों से स्टेट गवर्नमेंटों से मिलकर बनी है। फ़ैडरल शब्द का अर्थ है समान स्थिति के लोगों की अनुमति द्वारा ।

आरम्भिक कान्स्टिट्यूशन के बड़े भाग में फ़ैडरल प्रणाली की स्थापना का विधान है । कानून निर्मात्री : लेजिस्लेटिव ब्रांच : शाखा को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है उनकी सूची दी हुई है । शासक : एग्ज़िक्यूटिव : शाखा के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष : प्रेज़ीडेंट : के अधिकारों और कर्तव्यों का भी वर्णन है । इनमें विदेशों से व्यवहार करने, राजदूतों, मन्त्रियों तथा कोन्सिलों की नियुक्ति और विदेशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के अधिकार भी सम्मिलित हैं ।

शासन के सिद्धान्त

इनके अतिरिक्त विधान में मौलिक महत्व के निम्न सिद्धान्त विहित हैं :

शासन के तीन मुख्य विभाग, अर्थात् लेजिस्लेटिव, जो कि कानूनों के मसविदे तैयार करता है तथा उन्हें पास करता है, एग्ज़िक्यूटिव, जो कि शासनयन्त्र को चलाता तथा कानून का सबसे पालन कराता है, और न्याय जो कि कानूनों की व्याख्या करता तथा फगड़ों का निर्णय करता है एक दूसरे से सर्वथा पृथक आरम्भित घाषित किये गए हैं और स्वतन्त्र विभागों के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । प्रत्येक के अधिकार जान बूझ कर सीमित रखे गए हैं, जिससे कि कोई अत्यधिक अधिकार पा कर स्वयंप्रभु न बन बैठे । स्थिति की यह समानता तीनों विभागों को : एक दूसरे की : मर्यादा का उल्लंघन करने से रोकती रहती है ।

देश के सर्वोपरि कानून तीन हैं ... शासनविधान, कांग्रेस द्वारा विधित् पास किये गए कानून और प्रेज़ीडेंट द्वारा स्वीकृत तथा सेनेट द्वारा अनुमत सन्धियां ।

कानून की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं और उसका संरक्षण पाने के समान रूप से अधिकारी हैं । सब राज्य समान हैं और किसी भी राज्य का राष्ट्रीय सरकार से विशेष रियायत नहीं मिल सकती ।

प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों के कानूनों को मानेगा और उनका आदर करेगा । प्रत्येक राज्य के लिये प्रजातन्त्र शासनप्रणाली की प्रतिभूति :गारंटी: है और सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित हैं । जनता ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासनाधिकार देती है ।

राष्ट्र की जनता को सदा अधिकार है कि वह जब चाहे तब कांग्रेस में अपने प्रतिनिधियों से कार्रवाई कराकर और तीन चौथाई राज्यों की अनुमति से शासनविधान को बूल दे ।

संशोधन की विधियां

शासनविधान के निर्माता जानते थे कि यदि विधान को स्थायी रहना है और राष्ट्र की वृद्धि के साथ साथ चलना है तो इसमें समय समय पर परिवर्तन करने पड़ेंगे । तो भी वे यह नहीं चाहते थे कि परिवर्तन की विधि इतनी सरल हो जाय कि कोई संशोधन फट से, बिना किसी पूर्ण विचार के और जनता के प्रबल बहुमत की अनुमति बिना ही किया जा सके । वे यह भी नहीं चाहते थे कि कुछ अल्पसंख्यक लोगों का अभीष्ट परिवर्तन के मार्ग में विघ्न डालने की सहूलियत प्राप्त हो जाय ।

फलतः विधान में संशोधन के लिये उनके उपायों की योजना की गयी । कांग्रेस की प्रत्येक सभा अपने दो तिहाई बहुमत से कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकती है अथवा दो तिहाई राज्यों की धारासभाएं कांग्रेस का प्रार्थनापत्र दे कर कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकती हैं ।

पिक्कली अवस्था में, कांग्रेस का यह अधिकृत कर्तव्य होगा कि वह प्रार्थित संशोधन पर विचार करने के लिये राष्ट्र की परिषद : नेशनल कन्वेंशन : का आयोजन करे । दोनों अवस्थाओं में, संशोधन अमल में तभी आवेगा जब कि तीन चौथाई राज्यों की अनुमति उसे प्राप्त हो जायगी । और जब संशोधन अन्तिम अनुमति के लिये राज्यों के पास भेजा जायगा तब, कांग्रेस यदि चाहे तो राज्यों की धारासभाओं से प्रश्नका निर्णय कर देने के लिये कह सकेगी अथवा उन्हें यह आदेश दे सकेगी कि उक्त प्रश्न का निर्णय करने के लिये जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की विशेष परिषद : कन्वेंशन : बुलायी जाय ।

विधान को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की इस प्रत्यक्ष विधि के अतिरिक्त, उसका प्रयोग व्यापक बनाने के अन्य भी उपाय हैं । इनमें प्रधान, नवीन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिये, वैधानिक सिद्धान्तों की, न्यायालयों द्वारा व्याख्याएं हैं । रेडियो का उपयोग, टेलीफोन, टेलीग्राफिक यातायात, रेलों और वायुमार्ग की व्यवस्था, और अन्य अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राज्यिक लाभ के आविष्कारों का प्रयोग, विधान के सिद्धान्तों की व्याख्याओं पर ही आधारित किया गया है । विशिष्ट विवादों और परिस्थितियों में, विधान की विविध धाराएं कैसे लागू होती हैं, और उनका क्या अर्थ है, न्यायालयों में स्तद्विषयक निर्णयों की शृंखला से, वैधानिक कानून के एक सुगठित ढांचे की सृष्टि हो चुकी है । व्यवहार में इसका परिणाम यह हुआ है, कि मूल रचना में शब्द अथवा भाव का तनिक भी परिवर्तन किए बिना, उसका आधार विस्तृत हो गया है और उसके मूल सिद्धान्त प्रचलित तथा व्यापक हो गए हैं ।

कांग्रेस द्वारा पास किए हुए लेजिस्लेशन : व्यवस्थाओं : से कानून के विशाल शरीर में और भी वृद्धि होती रहती है, परन्तु उस सबका आधार मूल शासनविधान और उसके आदेश ही रहते हैं । विधान के आदेशों की पूर्ति के लिये अथवा उसके सिद्धान्तों को नई

परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये, कांग्रेस जो कानून पास करती है वे तो साधारण और विस्तृत प्रकृति के ही होते हैं, परन्तु जिन सरकारी प्रतिनिधियों : एजेंट्सियों : को उन पर अमल करना होता है उन्हें, उनको लागू करते हुए, उनकी व्याख्यात्मक आज्ञाएं जारी करनी पड़ती हैं। जब तक कि न्यायालय उनका विचार न करें तब तक उनकी शक्ति कानून के ही समान होती है। वे भी विधान के विस्तार का अंग हैं और उनसे जनता के अनेक भाग प्रभावित होते हैं।

आज यूनाइटेड स्टेट्स: संयुक्त राज्य: में सरकार की तो अनेक प्रतिनिधि हैं ही, कानूनों और नियमों का भी भारी समूह है। इन सबकी आवश्यकता विधान के निर्माता तब अनुभव नहीं कर सके थे। सम्भव है कि भविष्य में ऐसे परिवर्तन और भी हों। परन्तु ये सब वैधानिक कसौटियों पर खरे उतरे हैं। शासन के न्याय विभाग की सम्मति में उन सबका वैधानिक सीमाओं और उद्देश्यों के अन्तर्गत होना आवश्यक है। कभी कभी, कांग्रेस के, किसी राज्य के, अधिकारियों के या मातहत अदालतों के, किसी किसी काम को, न्याय विभाग^{मूल} विधान विरुद्ध और अवैध घोषित कर देता है, क्योंकि वह विधान से असंगत होता है।

अधिकार पत्र : बिल आफ राइट्स.

विधान बनने के पश्चात् प्रथम १६० वर्षों में अर्थात् १ जनवरी १६४६ तक, प्रत्यक्ष विस्तार और व्याख्याओं द्वारा, इसमें २१ संशोधन हुए हैं। प्रथम दस, जो कि अधिकारपत्र अथवा बिल आफ राइट्स कहलाते हैं, प्रथम कांग्रेस की कार्यसूची में अग्रस्थान पर थे और शीघ्रता से पास हो गए थे। प्रति दो वर्ष पश्चात् प्रतिनिधि भवन, हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज़, के सब सदस्यों का नया चुनाव हो कर नई कांग्रेस का संगठन हो जाता है और प्रत्येक कांग्रेस अपनी क्रमागत संख्या से नामांकित की जाती है। बिल आफ राइट्स कुछ

वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं की विशेषतया गारंटी करता है। जो कि



प्रथम कांग्रेस की सम्मति में शासनविधान की धाराओं :आर्टिकल्स: में सम्मिलित नहीं की गई थीं। प्रस्तावित विधान के आरम्भिक रेटिफिकेशन :स्वीकृति: का अधिकतर विरोध, उसके मसविदे में इन स्वतन्त्रताओं की विशिष्ट गारंटी न होने के कारण ही हुआ था। फिलाडेलफिया कन्वेंशन द्वारा रचित मसविदे पर अपनी अनुमति देने के

धार्मिक स्वतंत्रता लिये जब मैसाच्युसेट्स राज्य के प्रतिनिधियों की परिषद हुई तब उसमें इस बात पर बड़ा विवाद हुआ था और इसके नेताओं ने नोटिस दे दिया था कि हम यथाशीघ्र अवसर मिलते ही विधान के इस दोष को संशोधन द्वारा दूर कर देंगे।

जिन दस संशोधनों से मिलकर अधिकारपत्र बना है वे वैयक्तिक स्वतन्त्रता की आधारशिला है और डेढ़ शताब्दी से अधिक काल से यूनाइटेड स्टेट्स की जनता तत्परतापूर्वक उनकी रक्षा करती आई है।

प्रथम संशोधन, धार्मिक उपासना की ^{भाषण की,} प्रकाशन की, शान्तिमय सभा सम्मेलनों की और सरकार की सेवा में प्रार्थनापत्र भेजने की स्वतन्त्रता का ज़िम्मा लेता है।

द्वितीय संशोधन, जनता के शस्त्र रखने के अधिकार का ज़मानतदार है। तृतीय संशोधन, यह ज़िम्मा लेता है कि बिना मालिक की अनुमति के निजी घरों में सैनिक नहीं बिठार जाएंगे।

चौथा संशोधन यह विश्वास दिलाता है कि बिना तलाशी के वारंट के, किसी के भी शरीर, मकान, सामान, और कागज़ों की तलाशी न ली जाएगी और न उन पर कब्ज़ा किया जायगा।

पंचम संशोधन, किसी भी व्यक्ति पर किसी बड़े अपराध के लिये श्रेष्ठ न्यायालय :ग्रांड ज्यूरी: द्वारा अभियोग लगाए बिना, मुकदमा चलाने का निषेध करता है। एक ही अपराध के लिये बार

वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं का सजीव संरक्षण

इन संशोधनों का महत्व स्पष्ट है। वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता को जो संरक्षण प्रदान करते हैं उनसे अत्याचारी अथवा स्वेच्छाचारी शासन का निराकरण होता है। संसार में प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रसार के साथ, अनेक देशों ने अपने नए शासनविधानों की रचना अमेरिकी विधान और अधिकारपत्र के आधार पर ही की है। यद्यपि युद्ध की असाधारण परिस्थितियों में शासन के एग्जेक्यूटिव विभाग को असाधारण अधिकार दे देने पड़ते हैं और सुरक्षा के प्रयोजन से देश से बाहर जाने वाली सूचनाओं पर निरीक्षण संसार में लगाना पड़ता है, तथापि अमेरिकी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता और सरकारी नीति तथा निर्णयों की समालोचना करने की नागरिकों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता का व्याघात नहीं किया गया।

हाल में अध्यक्ष के कार्य का विरोध करने वाले कुछ छोटे दलों ने, सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के अपने अधिकार का प्रयोग, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने पास्टर उठाये हुए विरोधियों ने लाइन लगाकर किया था। अधिकारियों ने इस पर केवल इतनी कार्रवाई की कि जिला कोलम्बिया के कुछ नगरपालिका पुलिसमैन को वहाँ तैनात कर दिया कि ^{वे} विरोधियों का विध्वन्य करने से रोकते रहें और उन्हें नागरिकों के चलने का रास्ता घेरने की मनाही करते रहें।

अमेरिकी बिल आफ राइट्स के अनुसार, किसी भी अपराध में अभियुक्त को अपनी सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिया जाता है। उसे तब तक निरपराध माना जाता है जब तक कि वह निष्पक्ष और खुले न्यायालय में विचार के पश्चात् अपराधी सिद्ध न हो जाए।

बिल आफ राइट्स में इस सत्य पर पुनः बल दिया गया है कि शासन के प्रत्येक मामले में सर्वोच्च अधिकार जनता का है।

वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं का सजीव संरक्षण

इन संशोधनों का महत्व स्पष्ट है। वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता को जो संरक्षण प्रदान करते हैं उनसे अत्याचारी अथवा स्वेच्छाचारी शासन का निराकरण होता है। संसार में प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रसार के साथ, अनेक देशों ने अपने नए शासनविधानों की रचना अमेरिकी विधान और अधिकारपत्र के आधार पर ही की है। यद्यपि युद्ध की असाधारण परिस्थितियों में शासन के एग्जेक्यूटिव विभाग को असाधारण अधिकार दे देने पड़ते हैं और सुरक्षा के प्रयोजन से देश से बाहर जाने वाली सूचनाओं पर निरीक्षण संसार में लगाना पड़ता है, तथापि अमेरिकी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता और सरकारी नीति तथा निर्णयों की समालोचना करने की नागरिकों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता का व्याघात नहीं किया गया।

हाल में अध्यक्षा के कार्य का विरोध करने वाले कुछ छोटे दलों ने, सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के अपने अधिकार का प्रयोग, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने पास्टर उठाये हुए विरोधियों ने लाइन लगाकर किया था। अधिकारियों ने इस पर केवल इतनी कार्रवाई की कि जिला कोलम्बिया के कुछ नगररक्षकों पुलिसमैन को वहाँ तैनात कर दिया कि विरोधियों का विध्वन डालने से रोकते रहें और उन्हें नागरिकों के चलने का रास्ता घेरने की मनाही करते रहें।

अमेरिकी बिल आफ राइट्स के अनुसार, किसी भी अपराध में अभ्युक्त को अपनी सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिया जाता है। उसे तब तक निरपराध माना जाता है जब तक कि वह निष्पक्ष और खुले न्यायालय में विचार के पश्चात् अपराधी सिद्ध न हो जाए।

बिल आफ राइट्स में इस सत्य पर पुनः बल दिया गया है कि शासन के प्रत्येक मामले में सर्वोपरि अधिकार जनता का है।

बिल आफ राइट्स के पश्चात्, शासनविधान में जो संशोधन हुए, वे भी अनेक विषयों से सम्बद्ध थे । फेडरल गवर्नमेंट के न्याय सम्बन्धी अधिकार सीमित कर दिये गए, प्रेज़ीडेंट के चुनाव की विधि में परिवर्तन कर दिया गया, दास प्रथा समाप्त कर दी गई, मताधिकार समस्त अधिकारी नागरिकों को प्रदान कर दिया गया, वैयक्तिक आमदनियों पर टैक्स लगाने का अधिकार व्यापक कर दिया गया, और संयुक्त राज्य के सेनेट के सभासदों :सेनेटर्स: का चुनाव राज्यों की धारासभाओं के स्थान पर जनता के मत द्वारा होने की व्यवस्था कर दी गई ।

अठारहवें संशोधन ने संयुक्त राज्य में माफ़केयों :शराबों: की बिक्री पर निषेध कर दिया था, परन्तु बाद को इक्कीसवें संशोधन द्वारा यह निषेध उठा दिया गया ।

उन्नीसवें संशोधन से स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त हो गया और बीसवें ने उन तारीखों में परिवर्तन किया जिनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेनेट के सभासदों और प्रतिनिधि भवन के सदस्यों का कार्य काल आरम्भ तथा समाप्त होता था ।

शासनविधान और उसके संशोधन स्वयं, लोकतन्त्रीय स्वशासन का एक लेखा हैं, जिससे उसके गुण और दोष दोनों प्रकट होते हैं । उनसे यह भी सिद्ध होता है कि शासन के सत्य सिद्धान्तों को किन्हीं भी उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सकता है, बशर्ते कि जिन लोगों के हाथ में अधिकार सूत्रों का संचालन है, वे अपने उत्तरदायित्व का समझने वाले और सहयोग तथा समझौते की भावना से मिल कर काम करने वाले हों

शासनविधान के आर्टिकल्स :धाराओं: और सब संशोधन इस पुस्तिका के परिशिष्ट में छापे गए हैं ।



नागरिकता के उत्तरदायित्व

जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य प्रजातन्त्रों के इतिहास से प्रकट होता है, स्वशासन की स्वतन्त्रता और सुविधाओं के साथ ही नागरिकता के उत्तरदायित्व भी आ जाते हैं। नागरिकों का यह बाधित कर्तव्य होता है कि वे कर :टैक्स: की अदायगी द्वारा अपनी सरकार की आर्थिक सहायता करें। उनका कर्तव्य होता है कि जिन कानूनों और नियमों के निर्माण में उन्होंने भाग लिया है उनका वे पालन करें। यह नागरिकता के उत्तरदायित्व का अपेक्षाकृत निष्क्रिय भाग है। इसके अतिरिक्त, उसके और भी कर्तव्य हैं जो अधिक सक्रिय हैं, परन्तु समान महत्व के हैं।

सक्रिय उत्तरदायित्वों में सर्वप्रमुख, अपने मत का बुद्धिपूर्वक प्रयोग है। सम्प्रदाय मतदाता इस प्रजातन्त्री सिद्धान्त का ध्यान रखते हैं कि हमारे काम से अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ होना चाहिये। अपना मत हम किसे दें, इस प्रश्न का निर्णय करते हुए, नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऐसे सार्वजनिक हित के सब मामलों से अपने आपको सुपरिचित रखे, जैसे कि अपने नगर की किन्हीं गली का सुधार अथवा आगामी वर्षों में अपने देश की प्रगति को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय समस्याएं।

आपत्काल में, समर्थ शरीर पुरुष और स्त्रियां, राष्ट्र की रक्षा अपने आपको सैनिक सेवाओं के लिये अर्पित कर देते हैं। गत महायुद्ध में,

यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रमुख नागरिक विशिष्ट विद्वान अथवा योग्यता सम्पन्न थे, परन्तु सैनिक कार्य नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपनी सेवायें, कारखानों को शस्त्रोत्पादक केन्द्रों में परिणत करने के लिये सरकार को अर्पित कर दी थीं। राष्ट्र में सर्वत्र अन्य सहस्रां ने, बिना कुछ लिये स्थानीय संस्थाओं में काम किया और वे लोगों का युद्ध में जाने अथवा अन्य देशभक्तिपूर्ण कार्य करने के लिये प्रेरित करते रहे।

शान्ति काल में, अमेरिकी नागरिक की जनसेवा करने की इच्छा, विविध सामाजिक, नागरिक आर राष्ट्रीय हलचलों से प्रकट होती है। व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक पढ़ीस के उन सभा संगठनों में सम्मिलित हो जाते हैं जो नागरिक समस्याओं का हल निकालने में सफल सहायता करते हैं। अध्यापक पितृ मातायें, पाठशालाक्रम और शिक्षण नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये पाठशाला प्रबन्धक सभाओं :स्कूल बोर्डों के साथ काम करती हैं। अन्य संगठन सामयिक समस्याओं पर विचार करते और उन्हें सार्वजनिक रूप देते हैं। इनमें कोई कोई तो राष्ट्र व्यापी होते हैं। इसका निर्वचित सार्वजनिक अधिकारियों की कार्रवाई पर बहुधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

जो लोग राजनीति को अपने जीवन का कार्य बना लेते हैं उनके अतिरिक्त ऐसे नागरिकों की संख्या भी बढ़ रही है जो सरकारी सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग, अध्ययन आर अनुभव द्वारा, ऐसे क्षेत्रों में से किसी एक के विशेषज्ञ बन जाते हैं जिनमें सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यूनाइटेड स्टेट्स के अनेक नगरों में, नागरिक शासन के चीफ एग्ज़ेक्यूटिव :प्रधान शासक: ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राजनीति से सम्बन्ध नहीं है परन्तु जिनका पेशा ही व्यवस्था कार्य करने का है। इसके सिवा निजी व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करने वाले स्त्री और पुरुष, अधिकाधिक संख्या सार्वजनिक सेवाओं में संलग्न हो रहे हैं और वे इसे अपना देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य समझते हैं।

संघ, राज्यों, जिलों और नगरों के न्यायालय, अपनी जूरियां नागरिकों में से ही चुनते हैं। तथाकथित श्रेष्ठ न्यायालय : ग्रांड जूरियां : जो कि असाधारण अधिकार सम्पन्न विशेष संगठन होते हैं, उन नागरिकों में से चुनी जाती हैं जिन के सामाजिक नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और अनुभव की योग्यता सुविदित हो चुकी होती है। ग्रेड जूरियां फौजदारी अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी तकीलों द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों की परीक्षा करती और निर्णय देती हैं कि उक्त अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया जाय अथवा सन्दिग्ध अपराधी को छोड़ दिया जाए। यह उत्तरदायित्व और सेवा गम्भीर होते हुए भी, ग्रेड जूरियों का प्राप्त जांच के प्रायः असीम अधिकारों की तुलना में, कहीं कम महत्वपूर्ण है। उनको अधिकार है कि उन्हें जहां कहीं और किसी भी परिस्थिति में, अपराध अथवा भ्रष्टाचार आदि का सन्देह हो, वहां वे जांच करा लें। जांच कराने के लिये वे अपनी पसन्द के खास वकील नियुक्त किए जाने की आज्ञा दे सकती हैं। वे किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने सामने शपथ पूर्वक बयान देने के लिये विवश कर सकती हैं।

नागरिक की योग्यताएं

परन्तु प्रजातन्त्र में क्योंकि अन्तिम अधिकार और सर्वोपरि सत्ता, मत में और उसे देने वाले व्यक्ति में निहित रहते हैं। इस कारण नागरिकता की सबसे बड़ी सुविधा और उत्तरदायित्व मत ही है। और क्योंकि जो कोई नागरिक नहीं, वह मत नहीं दे सकता, इसलिये सबसे पहले, नागरिकता की योग्यताओं का वर्णन कर देना उचित होगा।

यूनाइटेड स्टेट्स में जन्मे हुए और उस शासन के आधीन सब व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट्स के, और जिस जिले के वे निवासी हैं उसके, नागरिक होते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, देश के बाहर

यात्रा करते हुए अथवा रहते हुए अमेरिक न माता पिताओं से उत्पन्न बालक, नागरिक माने जाते हैं । कांग्रेस ने कानून पास करके, अलास्का हवाई, प्योटो रिफो, और वर्जीनिया द्वीपों के लोगों को भी नागरिकता के अधिकार प्रदान कर दिए हैं ।

नेचरलाइजेशन : नागरिक बन जाना

विदेशों में जन्मे हुए भी बहुत से व्यक्ति अभ्यास पढ़ने से, अथवा बसकर नागरिक बन सकते हैं । किसी विदेशी का नागरिक बनाने के लिये न तो बाधित किया जाता है और न उसे वैसा न करने के कारण दंड दिया जाता है । यूनाइटेड स्टेट्स में आजकल बीस लाख अ-नागरिक बसते हैं और नागरिकों के समान ही, आचार विचार की सब स्वतन्त्रताओं का उपभोग करते हैं । वे अपने बालकों को सार्वजनिक स्कूलों में भेज सकते और नाना सामाजिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं । परन्तु विदेशियों के लिये कुछ रुकावटें भी हैं। कुछ नौकरियों में केवल नागरिक नियुक्त हो सकते हैं । और कुछ राज्यों में, कानून अथवा चिकित्सा का पेशा करने के लिये प्रार्थनापत्र केवल नागरिक ही दे सकते हैं । बूढ़ों, बीमारों और बेकारों की सहायतार्थ बने हुए कानूनों के लाभों से, अ-नागरिकों को प्रायः वंचित रखा जाता है । निर्वाचन अथवा नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले सार्वजनिक पदों पर, अ-नागरिकों का रखा जाना निषिद्ध है ।

नागरिक बनने : नेचरलाइजेशन : के लिये, किसी भी व्यक्ति का यूनाइटेड स्टेट्स में कानून सम्मत प्रवेश और निरन्तर पांच वर्ष तक निवास आवश्यक है । इन शर्तों के पूरा होने पर वह नागरिक बन सकता है, बशर्तेकि, वह कभी किसी फौजदारी अपराध में दंडित न हुआ हो और अराजकतावादी न हो ।

उस व्यक्ति का, इन शर्तों की पूर्ति के पश्चात्, ऐसी अदालत के क्लर्क के सामने, नागरिक बनने की इच्छा का सूचक प्रार्थनापत्र

देना चाहिये, जिसे नेचरलाइज़ करने का अधिकार प्राप्त हो ।
 ऐसी फ़ैडरल अथवा राज्यों की अदालतें लगभग २,००० हैं । इस प्रकार
 का प्रार्थनापत्र देने के कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक सात
 वर्ष पश्चात्, प्रार्थी का पुनः अदालत के सामने उपस्थित होकर, अपने
 प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करना और शपथ लेना चाहिये । इस प्रार्थना
 पत्र में प्रार्थी लिखता है : लिखती है : कि मैं संगठित शासनों का : की :
 विरोधी नहीं हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के शासनविधान के सिद्धान्तों में
 पूरे हृदय से विश्वास रखता : रखती : हूँ, और सब विदेशी राजाओं
 शासकों सरकारों और देशों के प्रति निष्ठा का परित्याग करता
 : करती : हूँ। प्रार्थी यह भी शपथ लेता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के
 विधान की ओर कानूनों की, देश के बाहर और भीतर के सब
 शत्रुओं से रक्षा करूँगा । इस प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर के समय, अपने
 सत्यव्यवहार के लिये विदित दा अमेरिकन नागरिक, शपथपूर्वक कहते
 हैं कि हम जानते हैं कि प्रार्थी ने निवास की शर्तों को पूरा कर
 लिया है, वह सदाकारी है और यूनाइटेड स्टेट्स के विधान के
 सिद्धान्तों को मानता है । इसके पश्चात् न्यायविभाग की इमिग्रेशन
 एंड नेचरलाइज़ेशन सर्विस : विदेशों से आकर अमेरिका में बसने वालों
 और नागरिक बनने वालों से सम्बद्ध विभाग : का एक परीक्षक, प्रार्थी
 और उसके गवाहों से प्रश्न करके यह निश्चय करता है कि प्रार्थी
 सचमुच नागरिक बनने का अधिकारी है ।

अन्तिम काम शपथ लेने का रह जाता है । कानून के अनुसार,
 इस काम में और प्रार्थनापत्र की शपथ लेने में ३० दिन का अन्तर
 रहना चाहिये । जब न्यायाधीश को निश्चय हो जाता है कि प्रार्थी
 नागरिक बनने के योग्य है तब वह उससे निष्ठा की शपथ लिखाता
 है और नेचरलाइज़ करने के आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर देता है ।
 अब नए नागरिक को नेचरलाइज़ेशन का प्रमाणपत्र दे दिया जाता है ।
 साधारणतया, इसके पश्चात् वह वोट दे सकता और शासन में सक्रिय

भाग ले सकता है । परन्तु नागरिक बनने मात्र से, वोट देने का अधिकार आप से आप नहीं मिल जाता । विधान का नियमतो यही है कि किसी को उसके जाति, धर्म, रंग या लिंग के कारण, मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, परन्तु प्रत्येक राज्य को अधिकार है कि वे कुछ ऐसी न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित कर दें जिनका, वोट देने जाने से पूर्व, नागरिक में होना आवश्यक हो । अधिकतर राज्यों में नियम है कि नागरिक की आयु २१ वर्ष होनी चाहिये और उसे राज्य का निवासी माने जाने के लिये वहां उसका निवास पर्याप्त दीर्घ काल तक होना चाहिये । मानसिक अयोग्यता वाले अथवा विकृत मस्तिष्क व्यक्तियों को अथवा जो गम्भीर अपराध में दंडित हो चुके हों उनको राज्य मताधिकार नहीं देते । कुछ राज्यों में यह भी आवश्यक माना जाता है कि वोटर पढ़ने लिखने में समर्थ होना चाहिये।

मत का प्रयोग

वोटर :मताधिकारी: के उत्तरदायित्व और अधिकार का वास्तविक प्रकाशन, चुनावों में मत के सोच समझ कर और नियमित प्रयोग से, होता है । अपनी सम्मति प्रकट करने के लिये उसे अनेकों विविध अवसर मिलते रहते हैं । जनरल इलेक्शन :ग्राम चुनाव: में वोटर नामजद व्यक्तियों में से किसी एक को चुनकर, अपनी पसन्द व्यक्त करता है, यह चुनाव कस्बे के कोन्सिलर :म्युनिसिपल सदस्य: का, नगर के मेयर का राज्य के सेनेटर या गवर्नर का वोटर के ज़िले से वाशिंगटन के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आने वाले कांग्रेसमैन का वोटर :मताधिकारी: के राज्य का कांग्रेस में प्रतिनिधित्व करने वाले सेनेटरों का, और राष्ट्र के प्रेज़िडेंट का भी हो सकता है । आरम्भिक चुनावों में वोटर उन उम्मीदवारों को नामजद करने में अपनी सम्मति प्रकट करता है, जो उसकी राजनीतिक पार्टी की ओर से ग्राम चुनाव लड़ते हैं । नामजदगी की प्रणाली उन चुनावों में बरती

जाती है जिनमें निर्वाचकों की संख्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि प्रत्येक पदाभिलाषी का नाम मतपत्र पर नहीं लिखा जा सकता । कभी कभी कोई उम्मीदवार आरम्भिक चुनाव में अपनी पार्टी के दूसरे पदाभिलाषियों की अपेक्षा अधिक मत पाने के कारण, पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बन जाता है । अन्य अवसरों पर, उम्मीदवारों की नामजदगी प्रार्थनापत्र द्वारा होती है, जिस पर वोटर्स की नियत संख्या को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं ।

नामजदगी का तीसरा तरीका कोनवेंशन : परिषद : का है । इसके प्रमुख उदाहरण राष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के वे कोनवेंशन हैं जो प्रति चौथे वर्ष, देश के प्रेज़िडेंट और वाइस प्रेज़िडेंट के पदों के लिये, पार्टियों के उम्मीदवार नामजद करने के लिये बुलाए जाते हैं । अधिकतर अमेरिकी निर्वाचक, किसी न किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के समर्थक होते हैं, और नागरिक, पार्टियों के चुनाव में व्यक्तिशः मत देकर, इन कोनवेंशनों के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं और इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधियों को बार बार हिदायत कर देते हैं कि वे किन उम्मीदवारों का समर्थन करें । कोनवेंशन में प्रतिनिधि पहले उस कार्य क्रम अथवा प्लेटफार्म का निश्चय करते हैं जिसके आधार पर पार्टी आम चुनाव में वोटर्स से अपील करने वाली होती है और उसके बाद उन व्यक्तियों को नामजद करते हैं जो पार्टी के मंडाबरदार बनने वाले होते हैं ।

नामजदगी, निर्वाचन और शासन की इन सब प्रक्रियाओं में प्रत्येक निर्वाचक ही अन्तिम निर्णायक होता है ।

कुछ राज्यों में, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, कानून निर्माण का काम सीधा निर्वाचकों के सुपुर्द कर दिया जाता है । यदि निर्वाचक पर्याप्त संख्या में कोई कानून बनाये जाने की प्रार्थना करें तो राज्य की धारासभा में उसे पास कराने की आवश्यकता नहीं रहती । उक्त प्रस्ताव, स्वीकृति के लिये, साधारणतया अथवा विशेष

चुनाव में, राज्य के सब अधिकारी मतदाताओं के सामने उपस्थित कर दिया जाता है, और यदि बहुमत उसके पक्ष में हो तो वह कानून बन जाता है। अनेक राज्य, निर्वाचकों की इच्छा जानने के लिये, रैफ़ेंडम, अर्थात् किसी विशेष विषय पर निर्वाचकों के मतसंग्रह की पद्धति का प्रयोग करते हैं। कोई उदाहरणार्थ ऐसा महत्वपूर्ण कानून हो जिस पर अमल करने के लिये असाधारण व्यय हो और जिसके लिये विशेष स्टेट बॉर्ड निकालकर घन एकत्र करना पड़े, उसे धारासभा के बहुमत द्वारा प्रस्तुत करके, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिये, मतदाताओं के सामने उपस्थित किया जाता है। धारासभा में पास होने के पश्चात् भी, रैफ़ेंडम के लिये मतदाताओं के सामने उपस्थित किया हुआ कानून, तब तक अमल में नहीं आता जब तक कि जनता का बहुमत उसके पक्ष में मत न दे दे।

रैफ़ेंडम की विधि का उपयोग ऐसे प्रश्नों पर भी जनता का मत जानने के लिये किया जा सकता है जो राज्य या नगर के शासन :सरकार: के सामने उपस्थित हों। इन प्रश्नों का सम्बन्ध स्कूल सिस्टम :पाठशाला पद्धति: में भारी परिवर्तनों से, म्युनिसिपल यातायात की व्यवस्था में सुधार से अथवा शासन व्यवस्था में ही परिवर्तनों से हो सकता है। मतदाताओं की इच्छा व्यक्त हो जाने के पश्चात् राज्य अथवा म्युनिसिपल शासन, तदनुसार आचरण करता है।

न्यू इंग्लैंड की कुछ छोटी बस्तियों में, शासन अब भी नगर सभा पद्धति से होता है। सारी की सारी मताधिकारी जनता धारासभा का काम करती है और वर्ष में एक या अधिक बार नगर की समस्याओं पर विचार करने तथा मत देने के लिये एकत्र होती है।



गुप्त मत-पत्र—स्वशासन का आधार →

राजनीतिक पार्टियां

अमेरिकी राजनीति दो पार्टियों की प्रणाली पर चलती है । पार्टी प्रणाली वस्तुतः वह राजनीतिक यन्त्र है जिस के द्वारा प्रत्येक मत दाता की सम्मति जानी जाती और शृंखलाबद्ध करली जाती है । राष्ट्र और राज्यों के पदाधिकारियों का बहुत बड़ा प्रतिशत डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन दो बड़ी पार्टियों द्वारा ही निर्वाचित होता है । मत महायुद्ध कालसे, दोनों पार्टियों के नेताओं में, यूनाइटेड स्टेट्स की वैदेशिक नीति पर समझौता हुआ है । परन्तु दिन प्रति दिन की गृह समस्याओं पर पार्टियां बहुधा एक दूसरे के विरुद्ध सड़ी दिसाई देती हैं ।

बीच बीच में, मतदाताओं के ऐसे समूह तीसरी पार्टियां भी बना लेते हैं जो कि यह समझते हैं कि बड़ी पार्टियों द्वारा हमारे राजनीतिक विचारों का प्रकाशन नहीं हो रहा । यद्यपि अब तक राष्ट्रीय चुनाव में एक ही तीसरी पार्टी जीत सकी है, परन्तु तीसरी पार्टियों द्वारा दो मुख्य पार्टियों की आलोचना का परिणाम बहुधा यह हुआ है कि उन्होंने अपनी नीति में पर्याप्त सुधार कर लिया और राजनीतिक दृष्टिकोण बदल लिया । तीसरी पार्टियों ने जमे हुए संघटनों का अपनी राजनीतिक विचार धारा की दिशा में सामयिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने और उसे आधुनिक बनाने के लिये भी विवश किया है ।

एकमात्र सफल तीसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी, जिसने सन १८६० में प्रेजिडेंट :अध्यक्ष: का चुनाव जीता था । उस रिपब्लिकन जीत से, विहगों का मुख्य राजनीतिक संघटन के रूप में अन्त होकर, रिपब्लिकनों ने ही उनका स्थान ले लिया ।

तीसरी पार्टियां, राज्यों के और प्युनिसिपैलिटियों के मामलों में बहुत प्रभाव डालती हैं, क्योंकि उनमें संघटन की समस्याएं

उतनी व्यापक नहीं होती, और मतदाता, अधिकारियों से तथा ऐसे स्थानीय प्रश्नों से अधिक निकट सम्पर्क में रहता है जो पार्टियों की नीति का अंग नहीं होते ।

अपने मतपत्र :बैलेट: का प्रयोग करने में मतदाता की बुद्धिमत्ता उस की अपनी वैयक्तिक सोचसमझ पर और सार्वजनिक मामलों से उसकी जानकारी पर, निर्भर करती है । यूनाइटेड स्टेट्स में सूचना का प्रवाह स्वतन्त्र और सेन्सर से अनवरुद्ध होने के कारण, उसके मतदाताओं को अपरिमित सहायता मिलती है और वही उसके प्रजातन्त्र का आधार है । कोई समाचारपत्र किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपने सम्पादकीय पृष्ठ में चाहे जिस पक्ष का समर्थन करे, अमेरिकी समाचारपत्रों की परम्परा यह है कि वे समाचार पृष्ठों में वास्तविक घटनायें ही प्रकाशित करते हैं ।

अमेरिकी मतदाता को सूचनायें मिलने के प्रधान सूत्र कौन हैं... समाचारपत्र, सामयिक पत्र, पुस्तिकायें, सिनेमा की न्यूजरीलें, टेलिविज़न और रेडियो । अमेरिका के समाचारपत्र, समाचारों और विशेष लेखों द्वारा, निरन्तर यह बतलाते रहते हैं कि सरकार सामयिक समस्याओं का हल किस प्रकार कर रही है । सरकारी अधिकारियों के भाषणों और वक्तव्यों का लेखा रखा जाता है, समाचारों से सम्बद्ध व्यक्तियों की संक्षिप्त जीवनियां, हाउस तथा सेनेट के विवादों के सारांश और मन्त्रियों व अन्य अधिकारियों के प्रेस सम्मेलनों के विवरण प्रकाशित तथा प्रसारित होते रहते हैं । इन सबसे शासन कार्य और नीतियों पर प्रकाश पड़ता है । अन्य भी अनेक प्रकार की घटनायें और सार्वजनिक रूचि की हस्तचलें, जनता तक तुरन्त और विस्तारपूर्वक पहुंचती रहती हैं । इनके अतिरिक्त, सम्पादकीयों, विशेष लेखकों के हस्ताक्षरित लेखों और विशेष रूपेण तैयार की हुई अन्य पाठ्य सामग्रियों द्वारा खास खास बातों पर विवाद, आलोचना निन्दा, प्रशंसा और व्याख्यायें आदि होती रहती हैं । फलतः जो कुछ

हुआ, हो रहा या होने वाला है उस सबका अमेरिकी मतदाता के सामने दर्शनीय रूपेण् पूर्ण चित्र आता रहता है ।

अमेरिका के चार सबसे बड़े मैगज़ीन केवल समाचारों से ही वांस्ता रखते हैं । अन्य अनेक लोकप्रिय पत्र, जो दूर दूर तक पढ़े जाते हैं, अनेक पृष्ठों में, स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के नवीन विकास की ओर सामयिक समस्याओं की चर्चा करने वाले लेख प्रकाशित करते रहते हैं । रेडियो के व्यापक जाल से और स्वतन्त्र स्टेशनों से, समाचारों के ब्राडकास्ट का औसत प्रति घंटा पीछे एक बार बैठता है । ब्राडकास्ट प्रोग्रामों का बहुत सा समय संवाददाताओं को दिया जाता है जो समाचारों की विश्लेषणात्मक आलोचना करते रहते हैं । सार्वजनिक विषयों पर सरकारी अधिकारियों के अधिक महत्वपूर्ण भाषण रेडियो द्वारा और टेलीविज़न द्वारा प्रसारित किये जाते हैं । ऐसे कार्यक्रम भी अनेक होते हैं जिनमें उन उन विषयों के विशेषज्ञ और सार्वजनिक व्यक्तियों के मध्य हुए अर्थशास्त्र, शासन, मकानों, की समस्या या लोकरूचि के अन्य विषयों पर विवादों को प्रसारित किया जाता है ।

अनेक व्यापारिक पत्र हैं जो विशेष विषयों से सम्बन्ध रखते हैं और अपनी रूचि के मामलों में सरकारी कार्रवाई पर लम्बी चोड़ी चर्चा करते रहते हैं। यह और अन्य सब प्रकाशित सामग्री, सदा सर्वथा निष्पक्ष नहीं रहती । इसमें से कुछ तो स्पष्ट और प्रकट रूप से पक्षपात पूर्ण होती है । परन्तु रूचि लेने वाले मतदाता को, सब प्रश्नों के सब पहलुओं से पूर्णतया परिचित हो जाने और पक्ष विपक्ष की युक्तियों को सावधानतापूर्वक तोलने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है ।

अनेक सभा समितियां और मंडलियां व्याख्यान सुनने अथवा विवाद करने के लिये एकत्र होती हैं तथा बैठकें करती हैं । अन्दाज लगाया है कि अकेले न्यूयार्क शहर में ही ऐसी सभा समितियां दस हजार हैं ।

चुनाव आन्दोलनों के समय, राजनीतिक पार्टियाँ, व्याख्यान, साहित्य और अन्य प्रकाशन कार्य द्वारा, सामयिक समस्याओं को मतदाता के सामने उपस्थित करने का और उसे यह विश्वास कराने का संगठित प्रयत्न करती हैं कि इन समस्याओं को हल करने की हमारी योजना ही ठीक योजना है और हमारे उम्मीदवार ही चुने जाने पर सबसे अच्छा काम कर सकेंगे ।

इस प्रकार के प्रजातन्त्र में लोग जिस प्रकार का शासन चाहते हैं, उन्हें वही मिल जाता है, और यह इसी आधार पर बना है कि स्वशासन में जनता इन सब विविध सुविधाओं का जिस प्रकार चाहे सदुपयोग अथवा दुरुपयोग कर सकती है । जो सावधान लोग अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग, बुद्धिमता और ईमानदारी से करते हैं, उनकी सरकार उनकी सेवा भली भाँति और कुशलता से करती है । इसके विपरीत, जो सुस्त, असावधान और लापरवाह नागरिक, स्वशासन के कर्तव्य 'दूसरों' को सोंपने के लिये तैयार रहते हैं वे साधारणतया अपने आपको स्वार्थ-साधु और भ्रष्टाचारी शासन के बोझ से दबा हुआ पाते हैं जो सम्भवतः स्वेच्छाचारी गुटों की आधीनता के लिये भी तैयार रहता है ।

संघीय शासन : फ़ेडरल गवर्नमेंट

शासनविधान : कान्स्टिट्यूशन: की संक्षिप्त ५२ शब्दी प्रस्तावना, उन ३६ हस्ताक्षर कर्ताओं की बुद्धिमता और अनुभव का निचोड़ है, जिनका नेतृत्व जार्ज वाशिंगटन, बेन्जामिन फ्रैंकलिन, जेम्स मैडिसन और ऐलेग्ज़ेंडर हैमिल्टन सरीखे दूरदर्शी नीतिज्ञों ने किया था । वे इसमें फ़ेडरल यूनियन के महान लक्ष्यों का अप्रान्त स्पष्टता से उल्लेख करने में सफल हुए थे ।

शासनविधान के निर्माताओं में, समस्त अमेरिकी जनता की ओर से बोलने का साहस और विश्वास था । जिन ६ प्रयोजनों अथवा लक्ष्यों को सामने रख कर जनता ने शासनविधान की स्थापना की थी, अब से लेकर अब तक वही यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्त रहे हैं ।

आदर्श यूनियन : संघ: का निर्माण

यह अधिक पूरी यूनियन अर्थात् आदर्श यूनियन की समस्या, सन १७८७ में १३ राज्यों के सामने कठिनतम समस्याओं में से एक थी । इतना तो स्पष्ट ही था कि प्रायः कोई भी यूनियन आर्टिकल्स ऑव फ़ेडरेशन के अनुसार बनी हुई यूनियन की अपेक्षा निःसन्देह अधिक 'पूरी' होगी ।

विधान निर्माताओं ने वे सब अधिकार राज्यों के पास ही रहने दिये थे जो कि उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और उन कामों को करने के लिये आवश्यक थे, जो कि उनके निवासी अपने दैनिक जीवन में विशेषतः करना चाहते थे... बशर्ते कि ये अधिकार समस्त जनता के हित और लाभ में, कुछ निश्चित रूपों में बाधा न डालें। यही वह यूनियन थी जिसके विषय में १७८७ के लोग इतनी देर तक और इतने धैर्य से विवाद करते रहे थे। व्यापारिक संगठन, काम काज की शर्तें, विवाह और तलाक, स्थानीय टैक्स और साधारण 'पुलिस के अधिकार' आदि स्थानीय मामलों में, राज्यों को इतनी पूरी तरह माना और स्वीकार किया जा चुका है कि बहुधा अगल बगल के दो राज्यों में एक ही विषय पर अत्यन्त विभिन्न कानून पाये जाते हैं।

इस 'राज्यों के अधिकार' के प्रश्न को लेकर ही, १८६१ में, राज्यों में युद्ध छिड़ गया था जो चार वर्ष तक चला था। उत्तरी राज्यों के लोगों का दावा था कि नए राज्यों में दासों का नियन्त्रण संघीय सरकार के हाथ में रहना चाहिये, जबकि दक्षिणी राज्यों वाले कहते थे कि 'दासों का स्वामित्व' ऐसा प्रश्न है जिसके निर्णय करने का, नये या पुराने, प्रत्येक राज्य को स्वयं अधिकार है। दास प्रथा पक्षपाती राज्यों ने पृथक् हो जाने का यत्न किया और राष्ट्रीय सरकार ने यूनिअन को बनाये रखने के लिये बल का प्रयोग किया। तीव्र संघर्ष के पश्चात् पृथक्तावादी हार गये और दासप्रथा का अन्त कर दिया गया। विधान में क्योंकि प्रत्येक राज्य को प्रजातन्त्र शासन की गारंटी : प्रतिभूः दी गई थी, इसलिये, इस संघर्ष काल के पश्चात् भी, राज्य अपनी आन्तरिक व्यवस्था यथापूर्व स्वयं करते रहे।

एक विस्तृत देश में फैली हुई और इतनी विविध समस्याओं तथा स्वार्थों वाली, ४८ राज्यों की यूनियन 'पूर्ण' तो हो ही नहीं

सकती, परन्तु विधान के जनकों द्वारा आयोजित यूनिअन ने यूनाइटेड स्टेट्स की जनता को बहुत अधिक और स्थायी लाभ पहुंचाया है ।

..... न्याय की स्थापना

विधान के जनकों का जिन वस्तुओं से अति महत्वपूर्ण मार्गप्रदर्शन हुआ उनमें स्वतन्त्रता की घोषणा भी एक थी । मानव स्वतन्त्रताके इस महान् लेखपत्र ने यह सिद्धान्त घोषित किया कि सब मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं, और उनके कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका कभी अपहरण नहीं करना चाहिये, इनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सुखप्राप्ति के लिये प्रयत्न भी हैं । यूनाइटेड स्टेट्स में कानून की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं । कोई मनुष्य चाहे प्रसिद्ध हो चाहे सर्वथा अविदित, अमीर हो या गरीब, कानून की दृष्टि में दोनों समान हैं । दोनों को कानून का पालन करना चाहिये और दोनों उससे रक्षा पाने के समान रूप से अधिकारी हैं ।

विधान के उद्देश्यों के अनुसार, जो व्यक्ति कानून भंग करने के अपराधी पाए जायें, वे सब, बिना इस विचार के कि जीवन में उनकी स्थिति अथवा प्रभाव क्या है, समान रूप से दंडनीय हैं। निष्पक्षता की इसी भावना की गारंटी, सब लोगों को अदालतों में उनके वैयक्तिक अथवा व्यापारिक मामले सुलझाने के समय के लिये दी गई है । भंग्यों को शान्तिपूर्वक सुलझाने और न्याय करने कराने के लिये, राष्ट्र की न्याय प्रणाली में सबके लिये सुलभ व्यवस्था की गई है ।

..... आन्तरिक शान्ति की निरन्तरता

संघीय विधान को अपनाने का एक कारण यह था कि राज्यों का एक दूसरे के साथ अधिक मित्रतापूर्ण व्यवहार सम्भव हो सके, और दूसरा यह था कि संघीय सरकार को, शत्रुओं के आक्रमणों से जनता की रक्षा करने में समर्थ बनाकर, आन्तरिक सुखशान्ति को स्थिर रखा

जा सके । विधान के चौथे आर्टिकल में, यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा, और यदि कोई राज्य चाहे तो उसकी आन्तरिक उपद्रवों से रक्षा भी करने की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ली है । १८१५ के पश्चात् यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भाग पर किसी विदेशी राष्ट्र ने आक्रमण नहीं किया । राज्यों के शासन अपनी सीमाओं में, बिना किसी सहायता के कानून और व्यवस्था सुरक्षित रखने में, साधारणतया पर्याप्त समर्थ सिद्ध हुए हैं । इस कारण फ़ैडरल शासन से बहुधा आन्तरिक उपद्रवों से रक्षा की, प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । परन्तु बलवान फ़ैडरल शासन की महा शक्ति ' ' आन्तरिक सुख शान्ति ' की स्थिरता के लिये और अन्य राष्ट्रों के सम्भावित आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिये, सदा तत्पर रहती है ।

..... सामूहिक रक्षा व्यवस्था

यूनाइटेड स्टेट्स के आरम्भिक जीवन में उसके नागरिकों को अन्य राष्ट्रों से अनेक प्रकार का भय रहता था । कैनाडा के स्वामी ब्रिटिश, लूज़ियाना के फ्रेंच, और फ्लोरिडा, टेक्सास, तथा मैक्सिको के स्पेनिश लोग थे । इस प्रकार यह युवक और निर्बल राष्ट्र, ऐसे यूरोपियन राष्ट्रों की भूमि से घिरा हुआ था जो विशेष मित्र नहीं थे और जो, फ़ैडरल सरकार का प्रथम संगठन होने के पश्चात् ही, परस्पर अनेक लम्बे यूरोपियन युद्धों की परम्परा में उलझ गए थे । इसलिये 'सामूहिक रक्षा व्यवस्था' के वैधानिक लक्ष्य को बहुत महत्व प्राप्त हो गया, परन्तु फ़ैडरल शासन इसकी पूर्ति बहुत मन्द गति से कर सका, क्योंकि राष्ट्र की शक्ति का बड़ा भाग आरम्भिक तरह राज्यों के पश्चिम वर्ती नये बसे हुए प्रदेश की व्यवस्था में, और उस प्रदेश की विरोधी इंडियन जातियों की गम्भीर समस्या को सुलझाने में, लगा हुआ था ।

देश और जनता की रक्षा के लिये उचित व्यवस्था करने का कर्तव्य संघीय विधान ने, अमेरिकी सरकार की लेजिस्लेटिव और एग्ज़ेक्यूटिव शाखाओं में बांट दिया है । कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने, जल तथा स्थल सेना रखने और उसका खर्च उठाने का अधिकार दिया गया है । प्रेज़िडेंट उन सेनाओं का कमांडर इन चीफ़ होता है । यूनाइटेड स्टेट्स की नीति का लक्ष्य राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाना है, परन्तु सामूहिक रक्षा व्यवस्था के वैधानिक लक्ष्य की पूर्ति के लिये, वह बलवान जल, स्थल और वायु सेनायें रखता है ।

..... सार्वजनिक सुख समृद्धि में वृद्धि

स्वतन्त्रता युद्ध की समाप्ति पर, यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों ने अपने आपको भारी कठिनाई में पाया । जिन नवयुवकों की शक्ति बढ़ते हुए राष्ट्र की फसलें उगाने, भूकान बनाने, दूकानें और कारखाने चलाने और जहाज़ तैयार करने के लिये उपेक्षित थीं, उनमें से बहुत से, दू: वर्ष या इससे भी अधिक काल तक, जनरल वाशिंगटन की सेनाओं में रहे थे । तेरहों राज्यों में अधिकतर लोगों का कारोबार प्रायः रूक गया था । राष्ट्र और सब राज्य इतने अधिक शूणी हो गये थे कि उनके कागज़ी नोटों का मूल्य बहुत कम हो गया था । इन कारणों से जनता का कष्ट बहुत बढ़ गया था । फलतः नयी संघीय सरकार का प्रथम कार्य राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को दृढ़ आधार पर स्थापित करने के उपाय करना था ।

कांग्रेस को, समस्त जनता के लाभार्थ कानून बनाने का अधिकार देते हुए, संघीय विधान के, आर्टिकल १, सेक्शन ८ में लिखा गया है:

‘ कांग्रेस को अधिकार होगा कि शूणों के भुगतान, सामूहिक रक्षा तथा सार्वजनिक सुख समृद्धि की टैक्स लगाने और वसूली करने का’

टैक्स लगाने के अधिकार के कारण सरकार अपने युद्ध शूणों को चुकाने

में और अपनी मुद्रा प्रणाली को दृढ़ आधार पर स्थापित करने में समर्थ हो सकी । एक सेक्रेटरी ट्रेयरी का :अर्थविभाग का मन्त्री: , एक स्टेट का :विदेश मन्त्री: , एक युद्धका और एक अटरनी जनरल नियुक्त किये गए । सरकार की एग्ज़ेक्यूटिव शाखा के प्रथम विभाग यही थे ट्रेयरी :कोष विभाग: को सरकार के आर्थिक मामलों की निगरानी का काम सौंपा गया , स्टेट डिपार्टमेंट :विदेश विभाग: को अन्य राष्ट्रों से जनता के सम्बन्ध नियन्त्रित करने का, वार डिपार्टमेंट :युद्ध विभाग: को जल तथा स्थल सेनाओं की व्यवस्था का और अटरनी जनरल को सरकार के कानूनी सलाहकार तथा फ़ेडरल सरकारी वकील का काम सौंपा गया ।

ज्यों ज्यों देश का भौतिक विस्तार होता गया और अर्थ व्यवस्था अधिक पैचीदा बनती गयी त्यों त्यों सार्वजनिक सुख समृद्धि के लिये, सरकार के अतिरिक्त कार्य भी बढ़ते गये । इन सबका आगामी अध्यायों में विविध एग्ज़ेक्यूटिव विभागों के काम बतलाकर विस्तार से वर्णन किया गया है ।

.... अपने तथा अपनी सन्तान के लिये स्वतन्त्रता की आशीषें

संघीय विधान को अपनाने में जनता का एक प्रयोजन यह निश्चय करना था कि जो स्वतन्त्रता हमने भी जीती है वह हमारे हाथ से जाने न पावे । संघीय सरकार को अधिकार देते हुए, विधान के जनकों ने सब व्यक्तियों के अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा का ध्यान रखा था और इसी लिये उन्होंने राष्ट्र और राज्यों की शक्ति सीमित कर दी थी । इस प्रकार, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग जब तक कानून का पालन करते रहें तब तक उनको स्वतन्त्रता है कि वे चाहें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जावें अपने जीवन और सम्पत्ति का सुरक्षापूर्वक आनन्द उठावें, और जब उन्हें ऐसा अनुभव हो कि उनके अधिकारों का अपहरण हो रहा है तब वे उनकी रक्षा और न्याय

की प्राप्ति के लिये अदालत में जावें ।

यह बात ध्यान देने योग्य है किस्वयं विधान के दृढतम आर्टिकल और बिल आफ राइट्स व्यक्तियों के विशिष्ट अनपहरणीय अधिकारों पर आक्रमण का, किसी भी परिस्थिति में, बिना शर्त, निषेध करते हैं। जिन नेताओं ने विधान की रचना की और जनता की जिस इच्छा ने प्रथम दस संशोधनों को शीघ्र अपनाने की प्रेरणा की, वे इस बात के साक्षी हैं कि उनका प्रथम लक्ष्य मनुष्य की स्वतन्त्रता की रक्षा करना था, और द्वितीय, शासन यन्त्र चलाने के लिये सरकार को आवश्यक अधिकार देना था । यह लक्ष्य स्वतन्त्रता की घोषणा के एक वाक्य में स्पष्टतापूर्वक लिखा गया है ।

कि इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये ही मनुष्यों में शासन तन्त्रों की स्थापना होती है, और उनको उचित शासनाधिकार भी शक्तियों की अनुमति से ही प्राप्त होते हैं ।



संघीय शासन की कानून निर्मात्री शाखा का संघटन

संघीय विधान के प्रथम आर्टिकल का प्रथम वाक्य यह है:

इस विधान द्वारा प्रदत्त कानून निर्माण के समस्त अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में निहित रहेंगे जो कि सेनेट और हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनेगी। कानून बनाने का यह अधिकार एक समूह को नहीं, अपितु दो को दिया गया है। वे मिलकर काम करते हैं।

कान्स्टिट्यूशनल कोन्वेन्शन : विधान परिषद : में छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी कि हमें कांग्रेस की दोनों सभाओं में बड़े राज्यों के समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। परन्तु अन्त में वे इस सम्झौते पर सहमत हो गए कि सेनेट में प्रत्येक राज्य के दो सेनेटर हों, और हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव में प्रत्येक राज्य के सदस्य उसकी जन संख्या के आधार पर नियत किये जाएं। प्रत्येक राज्य के रिप्रेजेंटेटिव : प्रतिनिधियों : की वर्तमान संख्या का विवरण पृष्ठ ४७, ४८ तथा ४९ पर दिया गया है।

१९१३ में, सत्रहवां संशोधन पास होने के बाद से, यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटरों का चुनाव राज्यों के वोटर नियमित निर्वाचन में करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव : प्रतिनिधि : सदा से इसी प्रकार निर्वाचित होते आए हैं। १९१३ से पूर्व, सेनेटरों का निर्वाचन

राज्यों की धारासभारं करती थीं । इसका कारण यह था कि आरम्भ के दिनों में यह समझा जाता था कि सेनेटर राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि हैं और उनका काम यह देखना है कि छोटे राज्यों के साथ बड़े राज्यों के समान व्यवहार होता है या नहीं ।

आरम्भिक तरह कोलोनियों में से अधिकतर में किंग :राजा: द्वारा नियुक्त गवर्नरों की काउन्सिलें हातीं थीं । इन काउन्सिलों को राजा की ओर से यह अधिकार प्राप्त था कि वे जनप्रतिनिधियों द्वारा संगठित असेम्बलियों के कार्यों का निरीक्षण करें । इन काउन्सिलों के सदस्य साधारणतया या तो कोलोनियों के सम्पन्न या प्रमुख व्यक्ति होते थे अथवा गवर्नरों के रिश्तेदार और पुराने इंग्लिश परिवारों के सदस्य । वे धन और सम्पत्ति के प्रतिनिधि होते थे, और इसलिये यह कल्पना की जाती थी कि वे कानून और व्यवस्था का दृढ़ता से पक्षपोषण करेंगे । जब कोलोनियां :उपनिवेश: राज्यों में परिवर्तित हो गईं, तब कर दाताओं को कानून बनाने का सम्पूर्ण अधिकार असेम्बली के सदस्यों को देने में भय होने लगा, जो कि स्वल्प काल के लिये चुने जाते थे और जिनका बहुत सम्पत्तिशाली होना आवश्यक नहीं था । इसलिये पेन्सिलवेनिया और जार्जिया को छोड़कर सब राज्यों के विधानों में सेनेटों की व्यवस्था की गई । उनके सदस्य अपेक्षाकृत दीर्घ काल के लिये चुने जाते थे, और उनका सम्पत्तिशाली होना आवश्यक था ।

राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना

अगले पृष्ठ पर देखिए ।

राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना

	प्रतिनिधि मण्डल	सेनेट
समस्त सदस्यों की संख्या	* ४३५	६६
प्रत्येक राज्यों के सदस्यों की संख्या	जनसंख्या के अनुसार	२
निर्वाचन की विधि	कांग्रेस के जिलों के वोटरी द्वारा : साधारण कांग्रेसमैन का निर्वाचन समस्त राज्य के वोटरी द्वारा :	समस्त राज्य के वोटरी द्वारा
कार्य काल	२ वर्ष	६ वर्ष
रिक्त स्थान की पूर्ति	विशेष चुनाव अथवा आगामी राष्ट्रीय चुनाव द्वारा	विशेष चुनाव द्वारा अथवा विशेष या नियमित चुनाव होने तक गवर्नर द्वारा अस्थायी नियुक्ति
वेतन	१५,००० डालर * : ६० ७१/४३० :	१५,००० डालर : ६० ७१/४३० :
नियमित अधिवेशन	प्रतिवर्ष ३ जनवरी को	प्रतिवर्ष ३ जनवरी को
अध्यक्ष	स्पीकर	वाइसप्रेजिडेंट
प्रत्येक सभा के निजी अधिकार	१. आय के बिलों का आरम्भ करना । २. नागरिक अधिकारियों पर अभियोग आरोपण : इम्पीचमेंट ३. यदि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत न प्राप्त हो सके तो प्रेजिडेंट का चुनाव ।	१. सन्धियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना । २. अभियोग आरोपित व्यक्तियों के मुकदमे सुनना । ३. प्रेजिडेंट द्वारा की गई नियुक्तियों को स्थिर करना या करने से इन्कार करना । ४. यदि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत न प्राप्त हो तो वा० प्रेजिडेंट का चुनाव ।

* सन् १९४० की गणना के अनुसार

† इसमें वार्षिक व्ययों के लिये दी हुई २५०० डालर :₹० ११९०५: की राशि भी शामिल है । यह राशि टैक्स से बर्री है और २ अगस्त १९४६ से दी जाने लगी है ।

नोट: नये दर से १ डालर = ४ रुपये १४ आने.

जब कोन्स्टिट्यूशनल कोंवेंशन ने कानून निर्माता समूह की अपनी योजना बनाई तब उसे राज्यों के इस रिवाज की उपयोगिता का अनुभव हुआ । विधान के जनकों :फ़ादर्स आव कान्स्टिट्यूशन: ने सोचा कि यदि दो पृथक् समूह, एक राज्यों की सरकारों का, और दूसरा जनता का प्रतिनिधि बन कर, प्रत्येक प्रस्तुत कानून पर अमल में आने से पहले विचार कर लेंगे तो कानून जल्दबाजी में और लापरवाही से बनने का भय नहीं रहेगा । एक सभा दूसरी का नियन्त्रण कर सकेगी । छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व सेनेट में भली भाँति हो जाने के कारण वे बड़े राज्यों के स्वार्थों को सन्तुलित कर सकेंगे जिनके सदस्यों की संख्या हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स में अधिक होगी । यह चैम्स और बैलेंसिज़ : निरोध और सन्तुलन: की पद्धति का एक भाग है जिसकी चर्चा आगामी एक अध्याय में की गई है ।

कांग्रेस के सदस्यों की योग्यता

संघीय विधान ने राज्यों को अधिकार दिया था कि वे अपनी धारासभाओं द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों को यूनाइटेड स्टेट्स का सेनेटर बना कर कांग्रेस में भेज सकते हैं, बशर्तकि, उनकी आयु चुनाव के समय ३० वर्ष से ऊपर हो, वे न्यूनतम ६ वर्ष तक यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक रहे हों और जिस राज्य के वह प्रतिनिधि

हों उसमें ही वह वस्तुतः रहते हों । विधान ने राज्यों के वोटों को हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्यता के लिये ऐसे निवासी चुनने का अधिकार दिया जिनकी आयु चुनाव के समय २५ वर्ष हो और जो ७ वर्ष से नागरिक हों । राज्य चाहें तो अन्य योग्यताओं का भी निश्चय कर सकते हैं । परन्तु विधान ने कांग्रेस की सभाओं को ही अपने सदस्यों की योग्यता की निर्णायक बनाया है ।

प्रत्येक राज्य कांग्रेस की वरिष्ठ सभा : अपर चेम्बर : में दो सेनेटरों को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजता है । १२४८ वर्गमील क्षेत्रफल के राज्य रोड आइलैंड का सेनेट के कानून निर्माण में उतना ही भाग है जितना कि २,६५,९४१ वर्गमील क्षेत्रफल के टेक्सास राज्य का । १९४० की जन गणना के अनुसार नेवाडा के निवासियों की संख्या १,१०,२४७ थी और न्यूयार्क की जनसंख्या १,३४,७६,१४२ थी। परन्तु सेनेट में दोनों का प्रतिनिधित्व समान था। फलतः ४८ राज्यों का प्रतिनिधित्व १६ सेनेटर करते हैं ।

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों की संख्या का निश्चय कांग्रेस करती है । और उक्त संख्या राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से विभक्त कर दी जाती है । परन्तु विभाग की विधि का अथवा प्रतिनिधियों की समस्त संख्या का कोई भी विचार किए बिना विधान ने प्रत्येक राज्य के लिये एक रिप्रेजेंटेटिव की गारंटी की हुई है । विधान की आज्ञा है कि नियतकाल के पश्चात देश की जनगणना की जाए । इससे प्रत्येक राज्य के रिप्रेजेंटेटिवों की संख्या आबादी में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है । इसप्रकार शासन में प्रत्येक व्यक्ति का भाग यथासम्भव समान आधार पर रहता है और शासन कार्यों में एक राज्य की आवाज़ दूसरे से ऊँची या नीची नहीं होने पाती ।

यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी बहुत शीघ्रता से बढ़ी है परन्तु रिप्रेजेंटेटिवों की संख्यावृद्धि में बहुत मन्द गति रही है । १७६० में जितने व्यक्तियों पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता था,

यदि आज भी उसी हिसाब से चुना जाय तो कांग्रेस में रिप्रेजेंटेटिवों की संख्या चार हजार से भी ऊपर पहुँच जाए ।

प्रथम कांग्रेस में रिप्रेजेंटेटिवों की संख्या ६५ थी । प्रत्येक राज्य से आने वालों की संख्या का निश्चय कोन्स्टिट्यूशनल कोनवेंशन ने किया था । प्रथम जन गणना के पश्चात् रिप्रेजेंटेटिवों की संख्या बढ़ा कर १०६ कर दी गई और राज्यों में उसका पुनर्विभाजन किया गया । तब से प्रति दस वर्ग मील, प्रतिनिधियों का पुनर्विभाजन अथवा नया बंटवारा होता आया है। १९२० की जनगणना के बाद यह पुनर्विभाजन अब तक नहीं हुआ। यद्यपि १७६० की तुलना में आबादी बढ़ कर तेतीस गुनी हो गई है, तथापि सन् १९१० से हाउ आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों की संख्या ४३५ ही चली आ रही है ।

वर्तमान कानून के अनुसार, अध्यक्ष को कांग्रेस में यह रिपोर्ट देनी पड़ती है कि जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की आबादी कितनी है और उसे कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार मिलना चाहिये । उसके बाद कांग्रेस को ६० दिन के भीतर यह निश्चय करना पड़ता है कि वह हाउस का पसिाण बदलेगी या नहीं अथवा रिप्रेजेंटेटिवों के विभाजन के लिये किसी अन्य विधि को अपनायेगी या नहीं ।

यह निश्चय होने के बाद कि प्रत्येक राज्य कांग्रेस में कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा प्रत्येक राज्य की धारासभा यह निश्चय करती है कि इन रिप्रेजेंटेटिवों का चुनाव किस प्रकार किया जायेगा । साधारणतया राज्य का यथासम्भव समान आबादी के जिलों में बाँट दिया जाता है । प्रत्येक जिले का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और राज्य का कोई भी भाग किसी न किसी जिले में शामिल होने से छूटता नहीं । तब प्रत्येक जिले के निवासी एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनते हैं जो कि कांग्रेस में उनकी ओर से बोलता है ।

परन्तु , इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्यों का

ज़िलों में बांटने के लिये बाधित करता हो । इसलिये कुछ राज्यों में अनेक वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अन्य राज्यों में प्रतिनिधियों की अपेक्षा ज़िलों की संख्या न्यून है । इन राज्यों में अतिरिक्त प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य के सब निवासी मिल कर करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव एट लार्ज कहलाते हैं । वर्तमान कांग्रेस में मोटे हिसाब से प्रति तीन लाख व्यक्तियों का एक रिप्रेजेंटेटिव है ।

सेनेटरों का निर्वाचन प्रत्येक सम संख्या वाले वर्ष में नवम्बर मास में होता है । परन्तु एक चुनाव में केवल एक तिहाई सेनेटर चुने जाते हैं । इस प्रकार सेनेट कभी भी सर्वथा नए सेनेटरों द्वारा संगठित नहीं होती और उसमें सदा कम से कम दो तिहाई बहुमत अनुभवी सदस्यों का रहता है ।

रिप्रेजेंटेटिव भी सम संख्या वाले वर्ष के नवम्बर मास में चुने जाते हैं, परन्तु हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रत्येक सदस्य का कार्य काल एक ही दिन समाप्त होता है, और यदि वह चाहे तो प्रत्येक नए निर्वाचन में उसे पुनः उम्मीदवार खड़ा होना पड़ता है । बहुत से सदस्य अपने ज़िलों में इतने लोकप्रिय होते हैं कि वे बार बार निर्वाचित हो जाते हैं और इस प्रकार हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स में भी किसी भी समय सब सदस्य सर्वथा नए नहीं होते ।

क्योंकि हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों का चुनाव प्रति दो वर्ष पीछे होता है, इस लिये कांग्रेस का जीवनकाल भी दो वर्ष माना जाता है । विधान के बीसवें संशोधन ने नियम कर दिया है कि कांग्रेस प्रति वर्ष तीन जनवरी की दोपहर को ही नियमित अधिवेशन आरम्भ किया करेगी, जब तक कि वह कानून पास करके इस तारीख को बदल न दे । इसकी बैठक वाशिंगटन, डी० सी०, में कैपिटल राज्यसभा भवन में होती है । जब तक कि इसके सदस्य बैठक स्थगित होने का प्रस्ताव पास नहीं करते, तब तक अधिवेशन होता रहता है।

यदि प्रेज़िडेंट :अध्यक्ष: आवश्यकता समझे तो विशेष अधिवेशन बुला सकता है ।

सेनेट के और हाउस के अधिकार :

१. प्रत्येक सभा को अधिकार है, कि वह किसी भी नये प्रस्तुत कानून :आय सम्बन्धी कानूनों को छोड़ कर: का विचार आरम्भ कर सकती है ।

२. प्रत्येक सभा को अधिकार है कि वह दूसरी सभा द्वारा पास किये हुए कानून को अनुमति के लिये सामने आने पर स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे ।

विधान के अनुसार निम्न अधिकार सेनेट को है :

१. सेनेट अनेक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिये प्रेज़िडेंट द्वारा हुए व्यक्तियों को अस्वीकृत कर सकती है और उसकी इच्छा पर प्रतिबन्ध लगा सकती है।

२. यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी सन्धि का, अमल में आने से पूर्व सेनेट में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक है ।

३. सब अभियोगारोपणों :इम्पीचमेंट्स: के मुकदमे सुनने का एकमात्र अधिकार सेनेट को है । हां, अभियोगारोपण करने का एक मात्र अधिकार हाउस आव रिप्रेज़ेंटेटिव्स का है । अर्थात् यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी राज्याधिकारी, सिविल आफ़िसर, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के इतने गम्भीर अभियोगों का आरोपण जिनके कारण उसको बर्खास्त किया जा सके । उसका मुकदमा सेनेट सुनती है ।

दूसरी ओर हाउस आव रिप्रेज़ेंटेटिव्स को विधान ने धन एकत्र करने का बहुत महत्वपूर्ण और विशेष अधिकार दिया है । राज्य की आय एकत्र करने के सब कानून पहले हाउस में ही आरम्भ होने और पास होने चाहिये । सेनेट उन पर पीछे विचार कर सकती है ।

इसका परिणाम यह होता है कि संघीय शासन के लिये आवश्यक धन

का परिमाण और उसे एकत्र करने की विधि का निश्चय करने में छोटे राज्यों की अपेक्षा बड़े राज्यों के वोट अधिक रहते हैं । मरन्तु व्यवहार में हाउस द्वारा पास किये हुए किसी भी रेवेन्यू बिल में सेनेट जितने चाहे उतने संशोधन कर सकती है । इसके पश्चात् दोनों सभाओं के द्वारा नियुक्त सदस्यों की एक कानफ्रेंस कमेटी कोई ऐसा समझौता खोज कर निकालती है जो दोनों सभाओं को स्वीकरणीय हो । ऐसा होने पर ही बिल कानून बन सकता है । परन्तु, रेवेन्यू बिल को आरम्भ करने का अधिकार हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स का ही है । यह बहुत महत्वपूर्ण है, और यह लेजिस्लेटिव शाखा के ' चेक्स एंड बैलेन्सिज ' में से एक है ।

इन वैधानिक नियमों के कारण यूनाइटेड स्टेट्स की जनता अनुभव करती है और जानती है कि अन्तिम अधिकार हमारा है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव और सेनेटर देश के लाभ के लिये हमारे प्रति उत्तरदायी हैं ।

कानून निर्माताओं को
जनता चुनती है. →



कानून निर्मात्री शाखा के अधिकार

कांग्रेस की दोनों सभाओं को कानून बनाने के प्रायः एक ही अधिकार हैं। दोनों में से कोई भी सभा किसी नये कानून पर :आय एकत्र करने के कानूनों को छोड़कर: विचार आरम्भ कर सकती है और दूसरी सभा द्वारा पास किये हुए कानून को अस्वीकृत कर सकती है।

यूनाइटेड स्टेट्स के विधान के अनुसार जनता कुछ अधिकार संघीय शासन को सौंप देती है। जिन अठारह विषयों पर कांग्रेस कानून बना सकती है, वे सूचीबद्ध हैं। कानून बनाने के अन्य सब अधिकार राज्यों के लिये छोड़ दिए गए हैं। विधान के प्रथम आर्टिकल के आठवें सेक्शन :विभाग: में गिनाये गए विषय बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। वे निम्न हैं:

१. टैक्स लगाना और एकत्र करना।
२. ऋण लेना।
३. राज्यों के मध्यवर्ती और विदेशी व्यापार के नियमोप-नियम बनाना।

४. सिक्के बनाना और उनका मूल्य नियत करना, वज़न और नाप का स्टैंडर्ड नियत करना और उन्हें जाली बनाने वालों के लिये दंड निर्धारित करना।

५. नैचरलाइजेशन के, अर्थात् विदेशियों के नागरिक बनने के, विषय में एक से नियम बनाना ।

६. समस्त देश के लिये दिवालियापन के एक से कानून बनाना ।

७. डाक़ाने स्थापित करना और उनकी सड़कें बनाना ।

८. पेटेंट और कापी राइट देना ।

९. फैडरल अदालतें स्थापित करना ।

१०. समुद्री डाक़ुओं को दंड देना ।

११. युद्ध घोषित करना ।

१२. स्थल सेना का संघटन और उसकी व्यवस्था ।

१३. जल सेना की व्यवस्था ।

१४. स्थल और जल सेनाओं के लिये नियमोपनियम बनाना ।

१५. संघीय कानूनों का पालन कराने, अव्यवस्था का दमन करने और आक्रमणों का निवारण करने के लिये नागरिक सेना :मिलिशिया: की भरती करना ।

१६. नागरिक सेना को संगठित और सशस्त्र करने में राज्यों की सहायता करना ।

१७. कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट के लिये कानून बनाना ।

१८. यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार अथवा उसके किसी भी पदाधिकारी या एजेंट का विधान द्वारा दिये हुए, अधिकारों का पालन कराने में सहायता देने के लिये आवश्यक कानून बनाना ।

विधान ने निम्न बातों के लिये निषेध किया है :

१. आक्रमण अथवा विद्रोह के समय के अतिरिक्त, रिट आव हेबियस कार्पस * पर अमल को रोक देना ।

२. ऐसे कानून पास करना, जो बिना मुकदमा सुने, किसी को अपराध अथवा कानून विरुद्ध कारवाइयों के लिये दंडित कर सकें ।

३. कोई ऐसा कानून पास करना जो कि पहले किये हुए किसी काम को, जो कि किया जाने के समय अपराध नहीं था, अब अपराध

घोषित कर दे ।

४. राज्यों के नागरिकों पर, पहले से की हुई जनगणना के आधार के अतिरिक्त, सीधा टैक्स लगाना ।

५. किसी राज्य के निर्यात पर टैक्स लगाना ।

६. किसी राज्य के बन्दरगाहों के, अथवा उन बन्दरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों के प्रति व्यापार अथवा टैक्स लगाने में, विशेष रियायत का बर्ताव करना ।

७. परम्परागत अमीरी, जागीरदारी अथवा कुलीनता की सूचक उपाधियाँ लगाने की अनुमति देना ।

कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता

शासनविधान में आदेश दिया गया है कि वाइसप्रेजिडेंट सेनेट का अध्यक्ष होगा परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा । यह विधान भी है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अपने स्पीकर और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव स्वयं करेगा और सेनेट एक अस्थायी प्रेजिडेंट का : यदि वाइसप्रेजिडेंट अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष का कार्य करने के लिये: तथा अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी । स्पीकर उस ही पार्टी का सदस्य होता है जिसकी सदस्य संख्या हाउस में सबसे अधिक होती है । हाउस की महत्वपूर्ण कमिटियाँ के सदस्यों के चुनाव में और अन्य कार्रवाई के संचालन में उसका बहुत प्रभाव रहता है ।

प्रत्येक नई कांग्रेस के आरम्भ में सेनेट की सब राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि अपनी बैठकें करके एक फ्लोर लीडर : सभा की कार्रवाई का नेता: चुनते हैं । और उसकी सहायतार्थ अन्य सेनेटरों को नियुक्त करते हैं । हाउस की भी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य ऐसा ही करते हैं । ये नेता प्रत्येक राजनैतिक पार्टी की

अपनी परम्पराओं के अनुसार चुने जाते हैं। ये नेता, जिन कानूनों को इनकी पार्टियां पसन्द करती हैं, उनके पास कराने में और जिन्हें इनकी पार्टियां नापसन्द करती हैं उन्हें पास न होने देने के लिये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये कानून निर्माण की वैधानिक विधि का महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं।

कानून निर्माण की विधि

कांग्रेस के अधिवेशन के समय हजारों बिल विचारार्थ पेश किये जाते हैं। विचारणीय विषय और महत्व की दृष्टि से ये बहुत विभिन्न होते हैं। किसी बिल के कानून बनने से पहले यह प्रथा है कि उसमें रूचि रखने वाले नागरिकों की, उससे प्रभावित होने वाले एग्जिक्यूटिव ब्रांच के सदस्यों की और कभी कभी कांग्रेस के सदस्यों की, उस बिल की धाराओं के प्रभाव के विषय में, सम्मति सुनी जाती है। इस भारी काम का सामना करने के लिये कांग्रेस की दानो सभाओं ने यह प्रथा डाल दी है जिसभा के सब सदस्यों द्वारा बिल पर विवाद करने और मत देने से पूर्व विविध विषयों से सम्बद्ध शिलों को, तैयारी और परीक्षण के लिये, छोटी छोटी विविध मैम्बरों की समितियों के सुपुर्द कर दिया जाता है। इन समितियों का प्रधान कांग्रेस की बहुमत पार्टी का सदस्य होता है और वही इनका संचालन करता है।

अल्पमत पार्टी का भी प्रतिनिधित्व उसकी संख्या के अनुपात से उन कमिटियों में होता है। और उसका नेता वह कांग्रेसमैन अथवा सेनेट कमेटी का वह सदस्य होता है जो सबसे पुराना कानून निर्माता हो। हाल में लेजिस्लेटिव रिआर्गेनाइजेशन एक्ट नाम का नया कानून बनाकर कानून निर्माण की विधि में से अनेक दकियानसी अंग निकाल दिए गए हैं। फलतः सेनेट की स्टैंडिंग स्थायी कमिटियों की संख्या घटकर पन्द्रह और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की उन्नीस रह गई है। उनके नामों से प्रकट होता है कि वे कमिटियां किन किन विषयों पर

विचार करती हैं । उदाहरणार्थ, व्यय विनियोग : एप्रोप्रिएशनज़, कृषि, सेना, सार्वजनिक भूमि, वृद्ध सैनिक, महाजनी और मुद्रा, बैंकिंग रंह करेन्सी और वैदेशिक सम्बन्ध कमिटियां आदि ।

दोनों में से किसी भी सभा में पेश किया गया प्रत्येक बिल अध्ययन के लिये एक कमिटी के सुपुर्द कर दिया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि अन्नो का सम और उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई बिल पेश किया जाए, तो उसे विचार के लिये सम्भवतः कृषि कमिटी के सुपुर्द किया जाएगा । कमिटी में पहुंचने पर सदस्य अनेक प्रकार आगे बढ़ सकते हैं । सम्भव है कि कमिटी का बहुमत बिल से सहमत हो और वह इस पर अनुकूल रिपोर्ट दे दे । तब यह बिल कार्यक्रम में अंकित कर दिया जाएगा और सम्बद्ध सभा के सब सदस्य इस पर विचार करके अपना मत प्रकट कर देंगे ।

यदि कमिटी का बहुमत बिल से सहमत न हो तो उसके सदस्य इसमें अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं । वे चाहें तो इसमें कुछ छोटे छोटे मोटे परिवर्तन कर सकते, इसे बदल सकते और इसे सर्वथा पुनः लिख सकते हैं । वे चाहें तो इसे खते में डाल कर सर्वथा उपेक्षित भी कर सकते हैं । यह आवश्यक नहीं कि यह व्यवहार अन्तिम समझ लिया जाय । यदि हाउस ऑव रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल वा कमिटी के हाथ से ले लेने के प्रार्थनापत्र पर २१८ हस्ताक्षर हा जाएं तो बिल विवाद के लिये सभा के सामने लाया जाएगा । सेनेट में कमिटी के हाथ से बिल का विचार लेलेने के लिये, उसके पक्ष में बहुमत का हो जाना ही, इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त है ।

बिल अनेक प्रकार पेश किए जा सकते हैं । कुछ बिलों को कमिटियां स्वयं तैयार करती हैं, और कभी कभी जनता की किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये, बिल की रचना का काम कांग्रेस की विशेष कमिटियों के सुपुर्द कर दिया जाता है । कुछ बिलों को अध्यक्ष : प्रेजिडेंट : सुझाता है और कुछ बिल, शासन की कुछ नयी

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अथवा पुरानी कार्य प्रणालियों को सुधारने के लिये, अन्य सरकारी पदाधिकारियों द्वारा भी सुझाये जाते हैं । नागरिक और उनकी सभायें भी कांग्रेस के सदस्यों के सामने बिलों की रचना का सुझाव पेश करती हैं । कोई कोई बिल कांग्रेस के निजी विचारों के प्रकाशक होते हैं । परन्तु जब भी कोई बिल किसी सभा में उपस्थित किया जाता है,

तब उसका नाम सदस्यों को पढ़ कर सुनाया जाता है, उसपर क्रमसंख्या लगाई जाती है और सभा का क्लर्क

:मुंशी: उसे उपयुक्त कमिटी के सुपुर्द कर देता है । यदि कमिटी सुनना

चाहे तो लोग उस बिल के पत्र या

विषय में उसके सामने उपस्थित होकर अपने विचार पेश कर सकते हैं ।

कभी कभी कमिटी के सामने किसी बिल के पत्र और विषय में प्रस्तुत युक्ति प्रतियुक्तियों की सुनवाई में कई सप्ताह और कभी कभी महीनों तक लग जाते हैं ।



बिल पर कांग्रेस में सुनवाई

कांग्रेस की कमिटियां नियुक्त करने की पद्धति के अनेक लाभ हैं । उनसे कार्य अधिक और शीघ्र तो होता ही है, अच्छा भी होता है । उनका एक चिरस्थायी लाभ यह है कि जिन अनेक विषयों की सरकार को विशेष चिन्ता होती है उनके अनेक विशेषज्ञ इन कमिटियों में काम करने से तैयार हो जाते हैं । सम्भव है कि जब कोई नव निर्वाचित कांग्रेसमैन हाउस की मजदूर कमिटी में नियुक्त किया जाए, तब मजदूर और मालिक के सम्बन्धों और यूनियनों और व्यवसायों की समस्याओं के विषय में उसका ज्ञान अधूरा हो और उसकी गहराई में पहुँचकर उस विषय पर वह भली प्रकार विचार न कर सकता हो । परन्तु वह कमिटी में बैठकर मजदूर और मालिक सम्बन्धी विषयों पर चर्चा निरन्तर महीनों तक सुनता है । वह मजदूर समस्याओं में रुचि

रखने वाले विविध संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यवसायों के संचालकों और श्रमिक नेताओं के विचारों को प्रत्येक समस्या पर विस्तारपूर्वक सुनता है। वह उन निष्पक्ष व्यक्तियों के विचारों को भी सुनता है, जो कि श्रमिक समस्याओं के विशेषज्ञ हैं। वह सावधानतापूर्वक चुने हुए ऐसे बीसियों कागज़ों का अध्ययन करता है जो उसकी कमिटी की सूचना, निरीक्षण और परीक्षण के लिये उपस्थित किये जाते हैं। कांग्रेस के कई अधिवेशनों में इस प्रकार की बातें सुनने के पश्चात् उसको इतना ठोस, गहरा, व्यापक और व्यावहारिक अनुभव तथा शिक्षण मिल चुकता है कि वह श्रमिकों और व्यवस्थापकों तथा मज़दूरों और भेजेजों से सम्बद्ध किसी भी कानून का प्रभाव मली भांति जांचने के लिये पूर्णतया योग्य हो जाता है। जब कभी आवश्यकता हो, वह श्रम सम्बन्धी रोगों के लिये कानूनी औषधि का नुस्खा लिख सकता है।

कमिटी बिल पर अपनी रिपोर्ट :घोषणायें: सभा को दे देती है। तब साधारणतया सदस्य इस पर खुल कर विवाद करते हैं और वोट देते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स की रूलज़ कमिटी :नियामक समिति: साधारणतया विवाद को सीमति कर देती है। परन्तुसेनेट में साधारणतया विवाद तब तक चलता है जब तक कि कोई भी सेनेटर कुछ भी कहना चाहता है। बिल पर मत लेने का परिणाम उसका पास हो जाना, गिर जाना, टेबिल हो जाना, अर्थात् उसका अलग रख दिया जाना जिसका व्यावहारिक अर्थ गिर जाना ही है, अथवा कमिटी को वापिस कर दिया जाना भी हो सकता है। जब बिल एक सभा में पास हो जाता है तब वह कार्रवाई के लिये दूसरी में भेज दिया जाता है।

दूसरी सभा में बिल पर पुनः ठीक उसी विधि से विचार होता है जिस विधि से कि पहली सभा में। दूसरी सभा इसे पास कर सकती है और गिरा भी सकती है। यदि दूसरी सभा बिल को

संशोधित रूप में पास करे तो उसे पुनः उसी सभा में वापिस करना पड़ता है जिसमें कि यह पहले उपस्थित किया गया था । यदि प्रथम सभा परिवर्तनों को स्वीकार न करे तो बिल कानफरेन्स कमिटी में भेजने की आवश्यकता पड़ती है । इस कमिटी में दोनों सभाओं का प्रतिनिधित्व बराबर बराबर होता है । यदि कान्फ्रेंस कमिटी में मतभेद सुलभ जाएं तो सम्झौते से पास किया हुआ बिल दोनों सभाओं में पृथक पृथक स्वीकृति के लिये भेजा जाता है ।

जब बिल दोनों सभाओं में पास हो चुकता है तब वह प्रेजिडेंट को भेजा जाता है । विधान में लिखा है कि

‘प्रत्येक बिल जो कि हाउस ऑव रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में पास हो चुकेगा, कानून बनने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट के सामने पेश किया जाएगा ।’

प्रेजिडेंट :अध्यक्ष: समस्त बिल पर हस्ताक्षर कर सकता है और उसे वीटो :विशेष अधिकार से निषिद्धि: भी कर सकता है । यदि वह अपने सामने उपस्थित होने के पश्चात् दस दिन के भीतर, रविवारों को छोड़ कर, उस पर हस्ताक्षर न करे तो वह हस्ताक्षर के बिना भी कानून बन जाता है । यदि इसी बीच कांग्रेस स्थगित हो जाय तो बिल कानून नहीं बनता, क्योंकि प्रेजिडेंट उस पर दस दिन की अवधि में हस्ताक्षर न कर चुका हो । बिल को कानून बनने से रोकने की इस विधि का नाम ‘पाकेट वीटो’ है ।

यदि प्रेजिडेंट कांग्रेस का अधिवेशन जारी रहते हुए किसी बिल पर अपने विशेषाधिकार अथवा वीटो का प्रयोग कर दे तो वह तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि दोनों सभायें पृथक पृथक, प्रेजिडेंट के वीटो के बावजूद, उसे दो तिहाई बहुमत से पास न कर दें।

कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित किये गये हजारों बिलों में से अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या कानून बन पाती है ।

कांग्रेस के जांच के अधिकार

दोनों सभाओं को जांच करने का अधिकार है। इस प्रयोजन के लिए यह काम किसी नियमित कमिटी से भी कराया जा सकता है और इसके लिये कोई विशेष कमिटी भी नियुक्त की जा सकती है। कभी कभी किसी जांच के लिये दोनों सभाएं मिलकर एक संयुक्त कमिटी नियुक्त करती हैं जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य लिये जाते हैं।

इन जांचों का प्रयोजन कुछ अवस्थाओं का विशेष अध्ययन हो सकता है जिनके कारण नया कानून बनाने की आवश्यकता हो। जांच का एक प्रयोजन यह जानना भी हो सकता है कि प्रबन्ध और न्याय : एग्जिक्यूटिव और जूडिशियल : शाखाओं के कर्मचारी अपना काम किस प्रकार कर रहे हैं। किन्हीं आवश्यक सुधारों में लोगों की रुचि उत्पन्न करने के लिये भी जांच की जा सकती है। कभी कभी कांग्रेस किसी बात को जानने के लिये अपने सदस्यों के अतिरिक्त, विशेषज्ञों अथवा प्राइवेट : आत्मीय : नागरिकों से भी, जांच में सम्मिलित होने की प्रार्थना कर सकती है। इन जांचों द्वारा कांग्रेस जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के सम्पर्क में रहती है।

कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को, अनेक सेवाएं करनी पड़ती हैं। वह साधारणतया अपनी राजनैतिक पार्टी के कार्य पर चलने का यत्न करता है, क्योंकि वह पार्टी संगठन की सहायता से ही चुना गया होता है। जो लोग उसको चुनते हैं वे उससे आशा रखते हैं, कि वह अपने जिले और राज्य के लोगों की भलाई के काम करेगा क्योंकि उन्होंने उसको अपना प्रतिनिधि चुना है और उसका सब अधिकार उनसे ही मिले हैं। और क्योंकि वह राष्ट्र की कानून निर्मात्री सभा का सदस्य है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह समस्त राष्ट्र के सब लोगों की आवश्यकताओं और लांभों का ध्यान रखे।

लोगों की ऐसी विशेष मंडलियां सदा ही रहती हैं, जो किसी

एक स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो, कांग्रेसमैनों से अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखने का अनुरोध करती रहती हैं । यह कोई सरल कार्य नहीं है कि कानून निर्माता अपने ज़िले और राज्य के निर्वाचकों, अपने क्षेत्र के विशेष स्वार्थों और समस्त राष्ट्र के लोगों की, समान रूप से , सेवा करता रहे ।

प्रेज़िडेंट :अध्यक्ष:

संघीय शासनविधान का दूसरा आर्टिकल :धारा: एग्ज़ेक्युटिव :प्रबन्धक:शक्ति, प्रेज़िडेंट :अध्यक्ष:को देता है । यह वाइसप्रेज़िडेंट को या प्रेज़िडेंट के मंत्रीमंडल के सदस्यों को या अन्य पदाधिकारियों को एग्ज़ेक्युटिव शक्ति नहीं देता ।

शासनविधान स्वीकृत होने से पहले कुछ राज्यों में एग्ज़ेक्युटिव शक्ति कुछ अधिकारियों की काउन्सिलों :विचारसभाओं: के हाथ में रहती थी । परन्तु उनमें से किसी एक की शक्ति दूसरे से अधिक नहीं थी । कोन्स्टीट्यूशनल कोन्वेंशन :विधानपरिषद: में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही व्यवस्था अपना लिये जाने पर बल दिया । प्रतिनिधियों के सामने स्विटज़रलैंड के प्रजातन्त्र का उदाहरण भी था, जहाँ कि अनेक वर्षों से एग्ज़ेक्युटिव काउन्सिल भली भाँति शासन करती चली आ रही थी । प्रतिनिधियों के ध्यान में यह खतरा भी था, जा कि ब्रिटिश राजा को अत्यधिक अधिकार होने के कारण उपस्थित हुआ था । ता भी प्रतिनिधियों ने समस्त एग्ज़ेक्युटिव अधिकार, एक ही अधिकारी का साँप लेने का निश्चय किया, और उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेज़िडेंट :अध्यक्ष: रखा गया ।

उन्होंने य भी निश्चय किया कि प्रेज़िडेंट के चुनाव की विधि से ही एक वाइसप्रेज़िडेंट :उपाध्यक्ष: चुनकर उसका वेजल सेनेट की

अध्यक्षता करने का कर्तव्य सौंपा जाए । यदि प्रेज़िडेंट मृत्यु, त्यागपत्र, अथवा अयोग्यता के कारण अपने पद से पृथक् हो जाए तो वाइस प्रेज़िडेंट, प्रेज़िडेंट का स्थान ले लेता है । विधान के अनुसार कांग्रेस को यह निश्चय करने का अधिकार है, कि यदि प्रेज़िडेंट और वाइस प्रेज़िडेंट दोनों मर जाएं, अथवा पृथक् हा जायें तो कौन सा अधिकारी प्रेज़िडेंट बने ।

प्रेज़िडेंट एक बड़े संघटन का प्रमुख होता है, जिसमें एक एक मंत्री के आधीन, अनेक विभाग और अनेक स्वतन्त्र एजेंसियां होती हैं । उनके द्वारा वह विधान के और कांग्रेस द्वारा बनाये हुए कानूनों के नियमापनियों पर अमल कराता है, और जनता के लाभ के लिए शासनकार्य का संचालन करता है ।

प्रेज़िडेंट वाशिंगटन में रहता है, और उसके सरकारी निवास स्थान का नाम व्हाइट हाउस है । वहां ही उसके एग्ज़ेक्यूटिव दफ्तर और निजी घर दोनों हैं ।

प्रेज़िडेंट के पद के लिये उम्मीदवारों का चुनाव प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, अपने कन्वेन्शनों : परिषदों : में करती हैं । प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने कन्वेन्शन की बैठक के लिये एक नगर चुन लेती है । कन्वेन्शन चुनाव के वर्ष ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में किये जाते हैं । प्रत्येक राज्य का संगठन प्रतिनिधियों का एक समूह भेजता है ।

अपने पदाधिकारियों और कमिटियों का चुनाव करने तथा अपनी पार्टी के सिद्धान्तों का प्लेटफॉर्म : चुनाव आन्दोलन के सिद्धान्त : निश्चित करने के पश्चात् कन्वेन्शन प्रेज़िडेंट और वाइसप्रेज़िडेंट के पदों के लिये उम्मीदवारों की नामजुदगी कर देता है । चैयरमैन सब राज्यों के नाम लेकर पुकारे जाने की आशा देता है । इस समय किसी भी राज्य के प्रतिनिधि, अपने राज्य का नाम लिया जाने पर प्रेज़िडेंट के पद के लिये एक उम्मीदवार का नाम पेश कर सकते हैं । जब सब राज्यों के प्रतिनिधियों का अपने उम्मीदवारों का नाम पेश

करने का अवसर मिल चुकता है, तब प्रतिनिधि अपना अपना मत देते हैं। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलते हैं वही आगामी नवम्बर के साधारण चुनाव में पार्टी की ओर से प्रेजिडेंट पद का उम्मीदवार हो जाता है।

फिलाडेल्फिया के कोन्स्टिट्यूशनल कोन्वेन्शन के सदस्यों ने यह उचित नहीं समझा था कि जनता प्रेजिडेंट का प्रत्यक्ष चुनाव करे। इसलिये उन्होंने शासनविधान में प्रेजिडेंट के चुनाव के लिये अप्रत्यक्ष विधि का विधान कर दिया।

नवम्बर के चुनाव में प्रत्येक राज्य के मतदाता, कांग्रेस में अपने अपने राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स : प्रतिनिधियों : और सेनेटर्स की संख्या के समान, प्रेजिडेंट के निर्वाचकों का भी चुनाव कर देते हैं। इन निर्वाचकों को राजनैतिक पार्टियां केवल इस प्रयोजन से नामजुद करती हैं कि वे प्रेजिडेंट और वाइसप्रेजिडेंट पदों के उनकी ही पार्टी के उम्मीदवारों को मत देंगे। ४८ राज्यों के निर्वाचक मिलकर इलेक्टोरल कालिज कहलाते हैं। परन्तु वह एकत्र कभी नहीं होते, क्योंकि शासन विधान के चारहवें संशोधन का आदेश है कि निर्वाचक अपना मत देने के लिये अपने राज्यों में ही एकत्र हुआ करेंगे। इलेक्टोरल कालिज, प्रेजिडेंट और वाइसप्रेजिडेंट का चुनाव करता है। प्रत्येक राज्य के निर्वाचक उन्हीं उम्मीदवारों को मत देते हैं जिनको उनके राज्यों में सबसे अधिक मत मिल चुके होते हैं। नवम्बर में उसका चुनाव होता है और उससे आगामी २० जनवरी को प्रेजिडेंट अपना पद संभाल लेता है। इस कार्यवाही का उत्सव इनागुरेशन : उद्घाटन : कहलाता है। परम्परा यह है कि प्रेजिडेंट अपने पद की शपथ लेने स्वयं कांग्रेसमवन जाता है और वहाँ उससे यूनाइटेड स्टेट्स का चीफ जस्टिस शपथ लिवाता है।

प्रेजिडेंट के पद की शपथ

• मैं गम्भीरता से शपथ करता हूँ कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट :अध्यक्ष: के पद का कार्य ईमानदारी से करूँगा और अपने पूरे सामर्थ्य से यूनाइटेड स्टेट्स के विधान का पालन, पोषण और रक्षण करूँगा।

साधारणतया प्रेजिडेंट एक प्रारम्भिक भाषण करता है जो दूर दूर तक प्रसारित किया जाता है। इस भाषण में वह उस नीति की रूपरेखा बतलाता है जिस पर कि उसका शासन आधारित होगा।

प्रेजिडेंट :अध्यक्ष: के अधिकार

शासनविधान बतलाता है कि राष्ट्रीय सरकार के एग्ज़ेक्युटिव अधिकार विधिपूर्वक यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के प्रेजिडेंट को दिये जाएंगे। अन्य सब एग्ज़ेक्युटिव कर्मचारी उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और अपने कर्तव्य पालन का अधिकार उससे ही प्राप्त करते हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट का पद संसार के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पदों में से एक है। प्रथमतः प्रेजिडेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि कानूनों का पालन यथावत् ईमानदारी से हो रहा है। उसे उस बड़े और विशाल संघटन

की भी व्यवस्था करनी पड़ती है जिस पर राष्ट्रीय सरकार के संचालन का भार है। इसके लिये उसे न केवल गवर्नमेंट :शासन: की एग्ज़ेक्युटिव ब्रांच :प्रबन्धक विभाग: का संचालन करने के अधिकार दिये जाते हैं,

लेजिस्लेटिव और जूडिशियल :कानून निर्मात्री संस्था व न्याय विभाग: में भी उसे महत्वपूर्ण अधिकार सौंपे जाते हैं।



राइर हाउस — एग्ज़ेक्युटिव विभाग का कार्यालय

प्रेजिडेंट को कांग्रेस द्वारा पास किये हुए किसी भी बिल को वीटो :निषेधाधिकार: करने का अधिकार है । यदि कांग्रेस वीटो का प्रत्यास्थान न करे, जिसके लिये कांग्रेस की दोनों सभाओं में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, तो वह बिल कानून नहीं बन सकता । उसे अधिकार है कि वह कांग्रेस की दोनों सभाओं का, राष्ट्र की किसी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार और कार्रवाई करने के लिये, सम्मिलित अधिवेशन बुला सकता और इस प्रकार कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है । कांग्रेस के नाम अपने वार्षिक और विशेष संदेशों में वह कोई भी ऐसा कानून पास करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह जनता के लिये आवश्यक समझता है । और बहुधा वह अपने सार्वजनिक भाषणों में भी अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस को सलाह देता है । वाइसप्रेजिडेंट के सिवाय प्रेजिडेंट ही एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है और इसलिये वह देश के हित का साधारण कार्यक्रम प्रस्तुत और पूर्ण करने के लिये राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है । अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख की हसियत से वह कांग्रेस में अपनी पार्टी के सदस्यों को उक्त कार्यक्रम का समर्थन करने के लिये प्रेरित करता है ।

जुडिशियल और एग्ज़ेक्युटिव अधिकार: न्याय विभागीय तथा शासकीय अधिकार: ... स्थान रिक्त होने पर सुप्रीम कोर्ट :सर्वोच्च न्यायालय: के फेडरल जजों और सदस्यों की नियुक्ति भी प्रेजिडेंट करता है, परन्तु इन नियुक्तियों का यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट द्वारा पुष्ट होना आवश्यक है ।

जो व्यक्ति कोई संधीय कानून तोड़ने के अपराध में दंडित किया गया हो उसे अभियोगारोपण के मामले को छोड़कर, प्रेजिडेंट पूर्ण अथवा सशर्त क्षमा प्रदान कर सकता है । वह किसी अपराध के लिये दिए हुए दंड में, कारावास का काल अथवा जुर्माने की मात्रा कम कर सकता है । वह मृत्युदंड की आज्ञा का पालन विलम्बित कर सकता है ।

प्रेजिडेंट के अधिकार इतने अधिक हैं कि उनको सरलता से गिना-या नहीं जा सकता ।

प्रेजिडेंट शासनविधान को और कांग्रेस के बनाए हुए कानूनों को पालन कराता है । इसके लिये वह अनेक नियम, उपनियम और आदेश जारी करता है जो सब एग्ज़ेक्युटिव आर्डर कहलाते हैं । वह यूनाइटेड स्टेट्स की जल और स्थल सेनाओं और कई राज्यों की नागरिक सेना : मिलिशिया : का कमांडर-इन-चीफ होता है, जब कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की सक्रिय सेवा के लिये बुलाया जाता है, इस व्यवस्था से प्रेजिडेंट को युद्धकाल में अथवा युद्ध की संभावना के समय बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त हो जाता है ।

वैदेशिक मामलों के अधिकार :

विदेशी शक्तियों के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के सम्बन्धों का उत्तरदायित्व भी प्रेजिडेंट पर होता है ।

विधान उसको अधिकार देता है कि वह सेनेट की अनुमति से राज-दूतों, मिनिस्ट्रों और कौन्सलों की नियुक्ति करे, और विदेशी राजदूतों और अन्य सार्वजनिक मिनिस्ट्रों का स्वागत करे । अपने विदेश मन्त्री : सेक्रेटरी आफ स्टेट : की सहायता से वह विदेशी सरकारों के साथ अपनी सरकार का सम्पर्क कायम रखता है ।

डिपार्टमेंट आफ स्टेट : वैदेशिक विभाग : द्वारा ही वह अमेरिकन नागरिकों की उनकी विदेश यात्रा में रक्षा करता है और विदेशी व्यक्तियों की यूनाइटेड स्टेट्स में यात्रा करते हुए रक्षा करता है ।

उसको अधिकार है कि वह चाहे तो किसी नये राष्ट्र अथवा नयी सरकार की सत्ता माने या न माने । वह अन्य सरकारों के साथ सन्धियां कर सकता है, जो कि उपस्थित सेनेटरों के द्वां तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाने पर यूनाइटेड स्टेट्स के लिये बाध्य रूप से माननीय हो जाती हैं । वह विदेशी सरकारों के साथ एग्ज़ेक्युटिव समझौते भी कर सकता है जिनका सेनेट से स्वीकृत होना आवश्यक

नहीं है ।

वह यूनाइटेड स्टेट्स की स्थल और जल सेनाओं को संसार के किसी भी भाग में जाने की आज्ञा दे सकता है ।

नियुक्ति के अधिकार : प्रेजिडेंट एग्जिक्युटिव डिपार्टमेंटों के प्रमुखों को चुनता है जो सरकार के काम के लिये उत्तरदायी होते हैं । अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण संघीय पदों पर वह व्यक्तियों की नियुक्ति करता है ।

परन्तु यह याद रखना चाहिये कि एग्जिक्युटिव डिपार्टमेंटों के हजारों कर्मचारियों की नियुक्तियां सिविल सर्विस सिस्टम द्वारा चुन कर की जाती हैं । इस व्यवस्था के अनुसार उनको एक परीक्षा पास करनी पड़ती है जिससे यह प्रकट हो कि वे जिस पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, वे उसके योग्य हैं ।

प्रेजिडेंट : अध्यक्ष :

कार्यकाल	४ वर्ष
वेतन	एक लाख डालर अर्थात् ४८७,५०० रूपया, प्रति वर्ष और भत्ते ।
निर्वाचन	प्रति चौथे वर्ष, नवम्बर मास में ।
इनआगुरेशन पद ग्रहण का उत्सव :	चुनाव के पश्चात् की २० जनवरी ।
निर्वाचन विधि	जन निर्वाचित इलेक्टोरल कालेज द्वारा ।
योग्यता	यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न नागरिक जिसकी आयु कमसे कम ३५ वर्ष हो और जो कम से कम चौदह वर्ष से देश में रहे रहा हो ।

पदों का क्रम :

१. वाइसप्रेजिडेंट

२. हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स का स्पीकर

पदों का क्रम:

३. सेनेट का अस्थायी प्रेजिडेंट : वाइसप्रेजिडेंट की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिये निर्वाचित सेनेट का अध्यक्ष ।
४. विदेश मन्त्री : सेक्रेटरी आव स्टेट : ।
५. अर्थ मन्त्री ।
६. रक्षा मन्त्री ।
७. एटर्नी जनरल ।
८. पोस्टमास्टर जनरल ।
९. सेक्रेटरी आव दि इन्टीरियर : गृह मन्त्री : ।
१०. कृषि मन्त्री ।
११. व्यापार मन्त्री ।
१२. श्रम मन्त्री ।

मुख्य अधिकार और कर्तव्य : . कांग्रेस के बनाये हुए विधान, कानूनों और सन्धियों को लागू करना ।

अन्य अधिकार :

१. बिलों को वीटो करना ।
२. कांग्रेस से सिफारिशें करना ।
३. कांग्रेस के विशेषाधिवेशन बुलाना ।
४. कांग्रेस को संदेश देना ।
५. फैडरल जजों की नियुक्ति करना ।
६. विदेशों में प्रतिनिधि नियुक्त करना ।
७. विभागों के प्रमुख और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्त करना ।
८. अपराधियों को क्षमा करना ।
९. विदेशियों के साथ सरकारी कार्य का निर्वहण करना ।
१०. सशस्त्र सेनाओं का कमाण्डर-इन-चीफ बनना ।

शासन के एग्जिक्युटिव : शासकीय : विभाग

प्रेजिडेंट : अध्यक्ष : को संघीय : फेडरल : कानूनों के पालन और शासन में सहायता देने के लिये कांग्रेस ने समय समय पर एग्जिक्युटिव विभागों की रचना की है । उसने नियम बनाया है कि इन विभागों के प्रमुख प्रेजिडेंट द्वारा नियत किये और सेनेट द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे । इन विभागों के प्रमुखों की मिल कर एक कौन्सिल बनती है जो प्रेजिडेंट की कैबिनेट अथवा मन्त्रीमंडल कहलाती है ।

जार्ज वाशिंगटन ने अपनी प्रेजिडेंसी का प्रथम कार्यकाल आरम्भ होने पर केवल चार मन्त्रियों की नियुक्ति की थी । ज्यों ज्यों सरकार के कार्य बढ़ते गये त्यों त्यों कांग्रेस नए नए विभाग खोलने का अधिकार देती गई । १ जनवरी १८४६ को इस प्रकार के ६ एग्जिक्युटिव विभाग निम्न प्रकार थे :

विभाग	विभाग प्रमुख	किस वर्ष में आरम्भ किया गया ।
१. स्टेट : विदेश :	विदेश मन्त्री : सी० आव स्टेट :	१७८६
२. अर्थ	अर्थ मन्त्री	१७८६
३. रक्षा	रक्षा मन्त्री	१८४७
४. न्याय	स्टर्नी जनरल	१७८६
५. पोस्ट आफिस	पोस्टमास्टर जनरल	१७८४

नोट : १ चिन्ह के लिये आगामी पृष्ठ देखिए ।

विभाग	विभाग का प्रमुख	किस वर्ष में आरम्भ किया गया
६. गृह	गृह मन्त्री	१८४६
७. कृषि	कृषि मन्त्री	१८८६
८. व्यापार	व्यापार मन्त्री	१९०३
९. श्रम	श्रम मन्त्री	१९१३

१ जुलाई १९४७ में पब्लिक ला २५३ द्वारा, ८०वीं कांग्रेस ने युद्ध विभाग और जल सेना विभाग को मिला कर नेशनल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट : राष्ट्रीय सेना विभाग: का संगठन कर दिया। इस विभाग का प्रमुख राष्ट्र का रक्षा मन्त्री कहलाता है। यह विभाग स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना और राष्ट्र की रक्षा से सम्बद्ध अन्य एजेन्सियों को मिला कर बनता है।

२ व्यापार और श्रम का एक विभाग १९०३ में बनाया गया था और १९१३ में इन दोनों को पृथक करके दो विभाग कर दिये गये।

मन्त्रीमंडल

मन्त्रीमंडल प्रेजिडेंट को सलाह देने वालों की कोन्सिल का नाम है। प्रत्येक सदस्य एक एग्जिक्युटिव विभाग का अध्यक्ष होता है। उसे प्रेजिडेंट नियुक्त करता है और उसके ही प्रति वह उत्तरदायी होता है। प्रेजिडेंट इन नियुक्तियों और विभागों के कामों के लिये राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होता है। इनका कार्यकाल सर्वथा प्रेजिडेंट की इच्छा पर निर्भर करता है। वह जब चाहे तब उनकी इकट्ठी बैठक बुला सकता है, और चाहे तो उनसे अलग अलग उनके कार्य क्षेत्रों के विषय में सलाह कर सकता है। मन्त्रीमंडल की बैठकें गुप्त होती हैं, जनता के लिये खुली नहीं।

शासनविधान में प्रेजिडेंट के मन्त्रीमंडल का कोई स्पष्ट विधान नहीं है। उसमें लिखा है कि प्रेजिडेंट को प्रत्येक एग्जिक्युटिव विभाग

के मुख्य पदाधिकारी को उसके विविध पदों के कर्तव्य के विषय में लिखित सलाह की आवश्यकता हो सकती है । परन्तु इसमें विभागों का नाम अथवा उनके कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया । अब साधारणतया मन्त्री मंडल को सरकार के संघटन का एक अंग माना जाता है । कानून ने मन्त्रियों की कोई खास योग्यताएं निश्चित नहीं की । प्रत्येक मन्त्री को अपने विभाग का संचालन करने के लिये प्रेजिडेंट द्वारा दिये हुए अधिकार प्राप्त होते हैं । संघीय सरकार के अधिकारी की हैसियत से उसके कर्तव्य देश के सब भागों से सम्बन्ध रखते हैं और उसके अनेक सहायक और सलाहकार होते हैं । उसका विभाग अनेक उपभागों, व्योरो, कार्यालयों, और सर्विसों में विभक्त रहता है, जिनकी मार्फत उसके विविध कार्य होते हैं । एग्ज़ेक्युटिव विभागों में इस प्रकार के सैकड़ों उपभाग हैं । एग्ज़ेक्युटिव विभागों का संघटन और उनके कर्तव्य विविध हैं, इसलिये उन पर अलग अलग विचार कर लेना आवश्यक है ।

विदेश विभाग

प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के बाद विदेशमन्त्री का ही पद सम्भलता जाता है । वह वैदेशिक नीति के मामलों पर प्रेजिडेंट का सलाहकार होता है । विदेश विभाग के मोटे मोटे प्रयोजन यह हैं ।

यूनाइटेड स्टेट्स और विदेशों में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थिर रखना ।
विदेशों में अमेरिकी नागरिकों की ओर उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना ।

वैदेशिक व्यापार का विस्तार ।

इन साधारण उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह विभाग :

यूनाइटेड स्टेट्स की वैदेशिक सर्विस : कर्मचारियों : का निरीक्षण करता है , जिसमें कि राजदूत, मिनिस्टर और कन्सुलर आफिसर शामिल हैं । इनके द्वारा यह विभाग विदेशी सरकारों के साथ

आवश्यक सम्पर्क रखता है और अमेरिकन नागरिकों और उनके हितों की विदेशों में रक्षा करने में सहायता करता है ।

विदेशों के साथ सन्धियाँ और अन्य समझौते करने और उनके पालन में सहायता करता है । यूनाइटेड स्टेट्स के जो नागरिक विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं उनको पासपोर्ट देता है ।

विदेशी राजदूतों और मिनिस्ट्रों के, प्रेजिडेंट द्वारा स्वागत की व्यवस्था करता है ।

यह निर्णय करने में सहायता देता है कि किसी नयी विदेशी सरकार को यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार मान्यता प्रदान करें या न करे ।

विदेशों की आर्थिक, राजनीतिक, और सामाजिक अवस्थाओं के विषय में जानकारी एकत्र करता है ।

विदेशों में यूनाइटेड स्टेट्स के कन्सुलर आफिसर, उन विदेशी नागरिकों के प्रार्थनापत्रों पर विचार करते हैं जो कि इमिग्रेंट :बाहर से आ कर देश में बसने वाला: अथवा नौन इमिग्रेंट के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स आना चाहते हैं । यदि प्रार्थी इमिग्रेशन कानूनों के अनुसार प्रवेश पाने के अधिकारी हों तो कोन्सल उन्हें आवश्यक वीसा :अनुमति सूचक हस्ताक्षर: दे देता है ।

इन कामों के अतिरिक्त विदेश विभाग सब संघीय कानूनों, यूनाइटेड स्टेट्स और विदेशी सरकारों में हुई सन्धियों और अन्य अनेक सरकारी कागज़ों को प्रकाशित करता है ।

अर्थ विभाग

अर्थ विभाग के प्रयोजन निम्न हैं ।

यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के आर्थिक मामलों की व्यवस्था करना ।

सरकार की आय की रक्षा करने और उसे बढ़ाने की योजनाएं

बनाना ।

अमेरिकन मुद्रा की क्रय शक्ति को और संघीय शासन की साख को सुरक्षित रखना ।

इन साधारण उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अर्थ विभाग जो ^{कार्य} अनेक करता है, उनमें यह भी है :

सरकार के लिये टैक्स एकत्र करना ।

यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के रक्षा, वैदेशिक सहायता और आन्तरिक कार्यक्रमों की आवश्यकता पूर्ति के लिये जब और जितनी ज़रूरत हो तब उतना ऋण लेता है । यह ऋण मुख्यतः अमेरिकन नागरिकों और संस्थाओं के नाम व्याज वाली ङुंडियां :बांड: निकाल कर लिया जाता है ।

कानून के आदेशानुसार सरकार के बिलों और ऋणों का भुगतान करता है ।

कांग्रेस को और प्रेज़िडेंट को सरकार की आर्थिक परिस्थितियों की सूचना देता है ।

मुद्रा की ढलाई और कागज़ी नोटों, ङुंडियों :बांडों: तथा डाक टिकटों की क़पाई का निरीक्षण करता है ।

नियम विरुद्ध चोरी से माल का देश में आना :स्मगलिंग: रोकने और जहाज़ों की रक्षा के लिये तट रक्षकों के साथ तट की चौकीदारी करता है ।

सरकारी सम्पत्ति और सामान के संग्रह तथा वितरण का निरीक्षण करता है ।

अन्तर्राज्यिक और वैदेशिक व्यापार में अलकोहल :मदिरा: और मादक पदार्थों की बिक्री का नियन्त्रण करता है ।

गुप्तचरों :सीक्रेट सर्विस: का संचालन करता है ।

रक्षा विभाग

...अगले पृष्ठ पर देखिए

रक्षा विभाग

यह विभाग राष्ट्र की रक्षा के लिये उत्तरदायी नयी सम्मिलित एजेंसी है। इसमें जल और स्थल सेनाओं के वे विभाग जो कि पहले स्वतन्त्र विभाग थे और नवीन वायु सेना का विभाग सम्मिलित है। देश की रक्षा से सम्बद्ध कोई भी कार्य इस विभाग के क्षेत्र में आता है। पब्लिक लो : सार्वजनिक कानून : संख्या २५३ में इसके उत्तरदायित्वों की रूपरेखा भली भांति बतलायी गई है।

..... यूनाइटेड स्टेट्स की भावी सुरक्षा के लिये विस्तृत योजनाएं बनाना राष्ट्र की रक्षा से सम्बद्ध सरकार के विभागों, एजेंसियों और कार्यों के लिये सुसंगत नीति और कार्य प्रणाली निश्चित करने की व्यवस्था, स्थल सेना, जल सेना : जिसमें जलीय वायुसेना और यूनाइटेड स्टेट्स मेरीन कोर भी शामिल हैं : और वायु सेना, उसके योद्धा और सेवा विभागों सहित के संचालन और शासन के लिये तीन सैनिक विभागों की व्यवस्था करना, नागरिक नियन्त्रण में उनके संयुक्त सहयोग और सम्मिलित संचालन की व्यवस्था करना, परन्तु उनको एक दूसरे का अंग न बनने देना, सशस्त्र सेनाओं के प्रभावशाली सामरिक संचालन की एक सम्मिलित नियन्त्रण में व्यवस्था करना और उनको स्थल, जल, और वायु सेनाओं के एक सुनियन्त्रित तथा सुसम्बद्ध संगठन में बांधकर रखना।

स्थलसेना विभाग

राष्ट्रीय सैनिक संघटन के एक अंग के रूप में स्थलसेना विभाग का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अधिकृत स्थानों की रक्षार्थ स्थलीय कार्रवाईयों के लिये एक सशस्त्र स्थलसेना को संगठित, शिक्षित और सुसज्जित करके रखे। यह राष्ट्र की रक्षा के लिये एक शान्तिकालिक नियमित स्थलसेना को सदा

तैयार रखता है । रिज़र्व आफिसर्स ट्रेनिंग कोर : सैनिक शिक्षा देने वाली टुकड़ी : नेशनल गार्ड, और आर्गेनाइज़्ड रिज़र्व कोर भी स्थल सेना के ही अंग हैं । यह युद्ध काल में तुरन्त काम करने और आवश्यकता हो तो अपने को तुरन्त बढ़ा लेने के लिये तैयार रहती है । स्थलसेना के काम पांच प्रकार के हैं : शासन सम्बन्धी, लेजिस्लेटिव अर्थात् सेना को अन्न वस्त्र आदि पहुंचाना, टेक्निकल अर्थात् यन्त्रादि सम्बन्धी, सैन्य संचालन और सैनिक अवस्थिति । पिछले दो कामों की शिक्षा और योजना केवल शान्तिकाल में होती है । इनके अतिरिक्त इस विभाग के यह कर्तव्य भी हैं ।

शस्त्रास्त्रों का, सैन्य सज्जा का, और युद्ध के तरीकों का सुधार ।

वेस्ट पीइन्ट : न्यूयार्क : के मिलिटरी एकेडमी का, फोर्ट लेबिनवर्थ : कन्सास : के कमांड एंड जनरल स्टाफ कालिज का, और अफसरों तथा सैनिकों के लिये स्थापित अन्य स्कूलों का संचालन, जब यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेज़िडेंट आदेश दे तब विजित अथवा समर्पित प्रदेशों पर अधिकार और उनका शासन और रक्षा मन्त्री द्वारा निर्दिष्ट नीति के अनुसार जलसेना और वायुसेना के साथ मिलकर खास खास काम करना ।

स्थलसेना विभाग नदियों और बन्दरगाहों के विकास का निरीक्षण करता है, यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, हवाई और प्यूर्टो रिको में जहाज़ चलने योग्य जल मार्गों के प्रयोग का नियन्त्रण करता है, पानी की बाढ़ों को नियन्त्रित करने में तथा बाढ़ के समय, गम्भीर नागरिक उपद्रवों में और अन्य आपत्कालों में नागरिक शासन की सहायता करता है, पानामा नहर का संचालन करता है और नहर के क्षेत्र के शासन का भी निरीक्षण करता है ।

जलसेना विभाग

जलसेना विभाग का मुख्य उद्देश्य यूनाइटेड स्टेट्स की रक्षा के लिये युद्ध पोतों को रखना है । जलसेना को प्रत्येक समय अपने कमांडर

इन चीफ, प्रेजिडेंट, की आज्ञा का पालन करने के लिये तत्पर रहना पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स के आधीन दूरस्थ प्रदेशों और यूनाइटेड स्टेट्स के व्यापार की रक्षा का उत्तरदायित्व भी जलसेना पर ही है।

अपने कर्तव्यों के पालनार्थ जलसेना विभाग :

यूनाइटेड स्टेट्स की जलसेनाओं को संगठित, शिक्षित और तैयार रखता है, और युद्ध पोतों को निर्माण और सज्जित करता और उनके कारखानों और अड्डों को चलाता है।

रनपोलिस, मैरीलैंड, की यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी, न्यू पोर्ट, रोड आइलैंड, के नेवल वार कालिज, और अफसरों तथा भरती हुए जवानों को शिक्षित करने के अन्य स्कूलों का संचालन करता है और जलसैनिकों तथा जलपोतों की दक्षता बढ़ाने के लिये जलसैनिक लड़ाइयों और तोप चलाने के अभ्यासों का आयोजन करता है।

एक मैरीन कार, जल या स्थल में काम करने के लिये प्रशिक्षण तैयार रखता है।

समुद्रवर्ती सब जहाजों और तट के जल सैनिक स्टेशनों के मध्य रेडियो द्वारा बातचीत करने की व्यवस्था रखता है, समुद्र अथवा आकाश द्वारा यातायात में सहायता के लिये नक्शे और चार्ट मुहैया करता है और जल सैनिकों की सज्जा की उन्नति के लिये रिसर्च लेबोरेटरियां : अनुसन्धान शालाएं : चलाता है।

अपनी नेवल आबज़रवेटरी : जल सैनिक वेधशाला : द्वारा देश भर में समय का एक स्टैंडर्ड नियत करता है, और जहाजों तथा वायुयानों के सब नेविगेटिंग : पथनिर्देशक : यन्त्रों को देखता है कि वे अिलंकुल ठीक काम कर रहे हैं या नहीं।

वायुसेना विभाग

वायुसेना विभाग की ज़िम्मेवारी है कि वह वायु में युद्ध करने

वाले सैनिकों को संगठित, शिक्षित और सज्जित करे, और उन्हें वायु में तुरन्त तथा निरन्तर युद्ध करने में समर्थ बनावे । विशेषतः इसी विभाग का उत्तरदायित्व है कि यह यूनाइटेड स्टेट्स की वायु आक्रमणों से रक्षा करे । इसका मिशन :लक्ष्य: है कि वायु में सर्वोच्चता प्राप्त करे और उसे स्थिर रखे, शत्रु की सेनाओं को पराक्रान्त करे, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण में रखे और स्थानीय वायु में अपनी सर्वोच्चता रखे । वायु युद्ध में शत्रु सेनाओं से अपने आपको लाभप्रद स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व भी इसी का है ।

सशस्त्र सेनाओं को वायु मार्ग से लाने ले जाने की व्यवस्था यही करता है । और स्थल सेना को शत्रु के समीप से लड़ने में तथा वायु मार्ग द्वारा शस्त्रास्त्र पाने में सहायता देता है । यह उनकी सहायता के यह काम भी करता है ।

आकाश मार्ग से सामान आदि का ढोना, लड़ते हुए हवाई जहाजों को वायु मार्ग द्वारा सामान पहुंचाना, आकाश से फोटो लेना, शत्रु की सेनाओं, मार्गों और भूमि आदि का आकाश से निरीक्षण करना और शत्रु की सेनाओं और यातायात के मार्गों में विघ्न डालना । नक्शे तैयार करने के लिये आकाश से फोटो लेने का काम करता है । दुर्घटनाओं में वायु द्वारा सहायता और बचाव की यह संसारव्यापी सेवा करता है ।

इसके अतिरिक्त वायुसेना निम्नलिखित प्रासंगिक काम विशेषतया करती है ।

शत्रु की जल सेना के कार्य में आकाश से विघ्न डालना, पनडुब्बियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना और अपने जहाजों की रक्षा करना, आकाश से समुद्र में सुरंगें बिखाना ।

यह रेयर यूनिवर्सिटी :वायु विश्वविद्यालय:, रेयर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी :हवाई जहाज सम्बन्धी इन्जीनियरिंग कार्यों का विद्यालय:, स्कूल आव एवियेशन मेडिसन:उड़ान सम्बन्धी चिकित्सा

का विद्यालय: और अफसरों और सैनिकों को शिक्षा देने के लिये अन्य विद्यालयों का संचालन करता है ।

न्याय विभाग

स्टर्नी जनरल न्यायविभाग का प्रमुख है और फलतः राष्ट्रीय सरकार का प्रधान कानून अधिकारी है । वह साधारणतया कानूनी मामलों में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करता है और जब प्रेजिडेंट अथवा एग्जिक्युटिव डिपार्टमेंटों के प्रमुख चाहते हैं तब उनको सलाह देता है । इस विभाग को सहायता, बहुधा नये कानून की रचना में और विशेषतः जब नया कानून किसी नयी और कठिन समस्या के विषय में हो तब, ली जाती है ।

सालिसिटर जनरल : कानूनी परामर्शदाता: स्टर्नी जनरल की सहायता करता है और उसी के आदेशानुसार चलता है । वह यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील का काम करता है । सरकिट अथवा सुप्रीम कोर्टों में सरकार की ओर से की जाने वाली सब अपीलें उसकी अनुमति से की जाती हैं ।

फ़ेडरल व्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन इसी विभाग की एक शाखा है । इसका काम संघीय कानून के विरुद्ध अपराधों की जांच करना, अपराधियों को र्जाज निकालना और गिरफ्तार करना है ।

न्याय विभाग के प्रधान प्रयोजन निम्न हैं:

संघीय कानून का अत्यन्त प्रभावशालितापूर्ण पालन कराना ।

यूनाइटेड स्टेट्स के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना ।

देश में कानून का पालन कराने वाली सब एजेंसियों से सहयोग करना ।

इन कार्यों के करने के लिये यह विभाग :

सरकार की ओर से यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में और अन्य संघीय अदालतों में मुकदमे चलाता है ।

यूनाइटेड स्टेट्स के ज़िला अटर्नियों या मार्शलों का देश भर में निरीक्षण और मार्ग प्रदर्शन करता है ।

संघीय कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता और अपराधियों पर मुकदमे चलाता है ।

संघीय जेलों और इसी प्रकार की अन्य दंड संस्थाओं का निरीक्षण करता है ।

प्रेजिडेंट की सेवा में जो प्रार्थनापत्र पेट्रोल :शर्त पर रिहाई: दंड को स्थगित करने और क्षमा प्रदान के लिये आते हैं उनकी जांच करता और उन पर रिपोर्ट देता है।

अदालतों के ज़ाव्ते के नियम बनाने में सहायता करता है ।

जब प्रेजिडेंट अथवा एग्ज़ेक्यूटिव डिपार्टमेंटों :शासन विभागों: के प्रमुख कहें तब कानूनी प्रश्नों पर सम्मति देता है ।

राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को शासनविधान में और यूनाइटेड स्टेट्स के के अन्य कानूनों में जिन नागरिक अधिकारों की गारंटी दी हुई है उनके प्रयोग में उनकी रक्षा करता है ।

यूनाइटेड स्टेट्स के इमिग्रेशन और राष्ट्रीयता के कानूनों का पालन कराता है ।

पोस्ट आफिस :डाक: विभाग

पोस्ट आफिस :डाक: विभाग का प्रधान लक्ष्य डाक सर्विस द्वारा जनता के लिये कम खर्चीले और बढ़िया यातायात के साधन प्रस्तुत करना है । पोस्टमास्टर जनरल इसका प्रमुख है । बहुत बड़ी संख्या में उसके सहायक रहते हैं । यह विभाग :

राष्ट्र भर में डाक इकट्ठी करता है और बांटता है।

रेलों, जहाज़ों, वायुयानों और लाने ले जाने के अन्य साधनों द्वारा डाक के लाने ले जाने की व्यवस्था करता है ।

राष्ट्र भर में डाकघरों को चलाता है ।

यूनाइटेड स्टेट्स भर में सब डाकघरों के संगठन और उनके संचालन का निरीक्षण करता है ।

पोस्टल सैविंग्स, रजिस्टर्ड डाक, डाक के पार्सल और मनि-आर्डर आदि सरीखी जनता की सेवायें करता है ।

प्रिज़िडेंट की अनुमति से विदेशी सरकारों के साथ डाक सम्बन्धी सम्झौते करता है ।

गृह विभाग

गृह विभाग का मुख्य प्रयोजन आन्तरिक शान्ति की उन्नति करना और देश के राष्ट्रीय साधनों का विकास करना है । साधनों में, प्राकृतिक धन और जन, दोनों साधन सम्मिलित हैं । अपने कर्तव्यों के पालन में यह विभाग :

यूनाइटेड स्टेट्स की सार्वजनिक भूमियों का निरीक्षण करता है जिनमें चरागाहों के लिये सुरक्षित भूमियां भी सम्मिलित हैं ।

तेल कोयले, नैचुरल गैस, जल शक्ति और खनिजों की उत्पत्ति बढ़ाने की दृष्टि से यूनाइटेड स्टेट्स के प्राकृतिक साधनों और उनसे उत्पन्न पदार्थों का अध्ययन करता है ।

सींची हुई भूमियों और उन पर प्रयुक्त होने वाले जल साधनों के अध्ययन का निरीक्षण करता और जो धन सिंचाई के साधनों को बनाने और चलाने के लिये रिकलेमेशन कानूनों द्वारा मुहैया किया जाता है, उसके व्यय का नियन्त्रण करता है।

खानों में दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करता और उन्हें तथा विनाश को रोकने के साधनों का अध्ययन करता है ।

यूनाइटेड स्टेट्स के चार लाख अमेरिकन इन्डियन नागरिकों के स्वास्थ्य, सुख स्मृद्धि और शिक्षण की व्यवस्था करता है, तथा निरीक्षण करता है ।

संघ के जो कानून शिकार करने और मछली पकड़ने वाले शौक के

लिये चाहे व्यापार के लिये ... का नियन्त्रण करते हैं उनका पालन कराता और राष्ट्र की मछलियों, जंगली जानवरों और जंगल के पक्षियों की रक्षा करता है ।

यूनाइटेड स्टेट्स के उद्यानों का निरीक्षण करता, उनकी प्राकृतिक सुन्दरता की रक्षा करता और उन्हें अमेरिकी जनता के लिये क्रीड़ा भूमि के रूप में परिणत करता है ।

पैरेटोरिको और वर्जिनिया द्वीपों के शासन के लिये उत्तरदायी है, और हवाई तथा अलास्का के प्रदेशों से सम्बद्ध कुछ अधिकारों का, जिनमें कि अलास्का की सरकारी रेल का संचालन भी सम्मिलित है, प्रयोग करता है ।

कृषि विभाग

इस विभाग की जिम्मेवारियों का सम्बन्ध देश के खाद्य उत्पादन और साधारणतया खेती की पैदावार से है । यह किसानों की सुख स्मृद्धि का भी ध्यान रखता है, कांग्रेस के उन कानूनों का पालन भी इसी के सिपुर्द है जो फसलों का उत्पादन, मांग के अनुसार, करने के लिये बनाए जाते हैं, जिससे कि न तो बिकने योग्य फालतू फसल उत्पन्न हो और न उसकी कमी हो, जिसके कारण कि मृत्यु ऊँचे चले जाते हैं और उपभोक्ता को हानि पहुँचती है । अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये यह विभाग :

भूमि को उन्नत करने और फसलें बदल कर बोने लिये किसानों को उत्साहित करता है जिससे कि राष्ट्र के खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़े ।

पशुओं के विकास में सहायता करता है जिससे कि राष्ट्र को मांस और दूध, पनीर, मक्खन, मुर्गी तथा अंडे इत्यादि अधिक मात्रा में मिल सकें ।

किसानों को सिंचाई, यंत्र, मकान और पानी की समस्याओं

के विषय में सलाह देता है ।

कृषिज पदार्थों की सप्लाई, यातायात और मूल्यों के विषय में रिपोर्टें निकालता है जिससे कि किसान अपनी फसलें सोच समझ कर बेच सकें ।

पशुओं और पौधों के रोगों और कीड़ों का निवारण करता है।

राष्ट्र के जंगलों की रक्षा करता और देश की टिम्बर सप्लाई में वृद्धि करता है ।

किसानों के लिये खेती का माल बेचने, खरीदने की और उनके व्यापारिक संगठन को आपरेटिव सहयोग प्रणाली पर चलाने की तथा उन्हें खेती के लिए रुपया उधार मिलने की पूर्ण व्यवस्था करता है ।

ग्रामों में बिजलीघर खोलने के लिये श्रम देता है ।

व्यापार विभाग

इस विभाग के कर्तव्य यह हैं :

राष्ट्र के स्वदेशी और विदेशी व्यापार का विकास और उन्नति करना । खानों, कारखानों, जहाजों, मछली उद्योगों और वहन व्यवस्था का विकास और उन्नति करना । इस विभाग के ब्यूरो और एजेन्सियां अनेक प्रकार की सेवा करते हैं ।

ब्यूरो आव फोरिन एंड डोमेस्टिक कामर्स : विदेशी और स्वदेशी व्यापार का ब्यूरो : , माल के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है और विदेश और स्वदेश में व्यापार को उन्नत और उत्साहित करता है । यह यूनाइटेड स्टेट्स के महत्वपूर्ण स्थानों पर शाखा कार्यालय खोलता है जिनसे व्यापारियों को ताज़ा व्यापारिक सूचनाएं दी जाती हैं । यह ब्यूरो सरकार में व्यापारियों का प्रतिनिधि है ।

कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे : तट और भूमि को नापने का विभाग: , अमेरिकन समुद्र तट और समुद्र की समीपवर्ती नदियों का सर्वे :जांच: करता, नक्शे तैयार करता और ज्वारभाटा की तथा धाराओं की सूचना देता है जिससे कि जहाजों की रक्षा हो सके ।

जन गणना विभाग प्रति दस वर्ष पीछे देश की आबादी की गणना करता है । यह अन्य संख्याओं के संग्रह में और कारखानों के उत्पादन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की गणनायें तैयार करने में निरन्तर लगा रहता है, जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्व पूर्ण होती हैं ।

पेटेंट आफिस आविश्कारों को पेटेंट :असामान्य अधिकार: करता है और ट्रेड मार्को, छापों और लेबलों को रजिस्टर करता है।

नैशनल व्यूरो ऑव स्टैंडर्ड्स :स्टैंडर्डों का राष्ट्रीय ब्यूरो; सरकारी वज़नों को नियत करता और चलाता है, जिससे कि ग्राहक का पूरा तोल और पूरा नाप मिले और वह धोखे से बचा रहे । यह व्यूरो वस्तुओं के गुणों की और क्वालिटी का निश्चय करने के लिये उनकी परीक्षा करता रहता है और यह ध्यान रखता है कि वे नियत स्टैंडर्ड से गिरने^न पावें ।

इनलैंड वाटरवेज़ कारपोरेशन देश के आन्तरिक जल मार्गों की उन्नति और विकास करता है और मिसिसिपी नदी में सरकारी नौका लाइनों को चलाता है ।

वेदर ब्यूरो :ऋतु सूचनालय: देश भर में अपने दफ्तर रखता और उनके द्वारा ऋतुओं की भविष्यवाणी करता रहता, और आंधी सर्दी, गर्मी, पाला और जंगल की आगों और बाढ़ों के विषय में चेतावनियां देता रहता है । यह दैनिक भविष्यवाणियां व्यापारियों व्यवसायियों और जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी होती हैं ।

दि सिविल एरोनाटिक्स रेगुलेशन :नागरिक हवाई विभाग: नागरिक उड़्डयन और हवाई व्यापार को उत्साहित

और उन्नत करता और हवाई ट्रैफिक :यातायात: की रफ़ा और नियन्त्रण की व्यवस्था करता है ।

श्रम विभाग

इस विभाग का प्रयोजन यह है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स के श्रमजीवियों की सुख स्मृद्धि की उन्नति, रफ़ा और सहायता करे । उनके काम करने की अवस्थाओं में सुधार करे और लाभप्रद काम मिलने के अवसरों में वृद्धि करे । ऐसा करते हुए यह विभाग :

श्रम के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करता है, विशेष रूप से मालिकों के साथ मजदूरों के सम्बन्धों, मजदूरियों, काम के समय और मजदूरों की सुख स्मृद्धि उन्नत करने के उपायों के सम्बन्ध में । रोज़गार की स्थिरता पर उसका विशेष लक्ष्य रहता है ।

मालिकों और मजदूरों के झगड़ों को शान्तिपूर्वक तय करने में सहायता करता है ।

कारखानों में स्त्रियों की सुख सुविधाओं के सम्बन्ध में सब मामलों पर रिपोर्ट देता है ।

देश भर में मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष लक्ष्य रखते हुए उनके काम करने की अवस्थाओं में सुधार का यत्न करता है ।

काम के समय मजदूरी और काम की अवस्थाओं का स्टैंडर्ड :सिद्धान्त: पेश करता है कि अनेक सरकारी कारखाने इन्हीं स्टैंडर्डों के अनुसार चलते हैं ।

थोड़ी मजदूरी देने और देर तक काम करवाने के विरुद्ध सरकारी पाबन्दियों का पालन कराता है ।

स्वतन्त्र एजेन्सिया

एग्ज़ेक्युटिव डिपार्टमेंटों : शासन विभागों : के सिवाय भी शासन की बहुत सी इकाइयां हैं, जिनको संघ के कानून अमल में लाने के कर्तव्य का एक भाग सौंपा गया है। इनको साधारणतया स्वतन्त्र एजेन्सिया या दफ्तर : कार्यालय : कहते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ेक्युटिव : शासन : विभागों का भाग नहीं हैं और उनके प्रति उत्तरदायी भी नहीं हैं। उनमें से कुछ को स्वतन्त्र इकाई के रूप में संगठित किया गया है, क्योंकि कानून द्वारा उनको सौंपा हुआ काम एग्ज़ेक्युटिव विभागों को सौंपे हुए काम से सर्वथा भिन्न है। उनमें से कुछ अदालतों के समान हैं, जिनकी स्थापना किसी विशेष कानून की व्याख्या अथवा अमल कराने के लिये अथवा किन्हीं विशेष तथ्यों की खोज करके रिपोर्ट करने के लिये की गई है। कुछ सभी एग्ज़ेक्युटिव विभागों के लिये विशेष प्रकार का काम करती हैं। ये एजेन्सियां अनेक प्रकार की सेवाएं करती हैं। स्पष्टीकरण के लिये निम्न लिखित कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे :

सिविल सर्विस कमीशन : ६५ वर्ष पूर्व सरकारी नौकरियों को राजनीतिक नियन्त्रण से पृथक् रखने और उनमें योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने के लिये यह नियत किया गया था। यह कमीशन १७०० से अधिक प्रकार की नौकरियों पर योग्य कर्मचारियों को

नियुक्त करने में सहायता देने के लिये प्रतिस्पर्धी परीक्षारं लेता है । यह परीक्षारं यूनाइटेड स्टेट्स में सैकड़ों सुविधाजनक स्थानों पर होती हैं । अब अधिकाधिक सरकारी नौकरियां सिविल सर्विस के मातहत आती जा रही हैं । इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को सरकारी नौकरी मिलने से पहले परीक्षा में अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है । सिविल सर्विस की स्थिति से नौकरी की स्थिरता और उन्नति के क्रम का निश्चय हो जाता है । इससे योग्य व्यक्तियों को जीवन में सरकारी नौकरी अपनाने का उत्साह होता है ।

दि जनरल एकाउन्टिंग आफिस : का अध्यक्ष कंट्रोलर जनरल है । इसका काम संघीय सरकार के विरुद्ध या उस द्वारा उपस्थित किए गए दावों को तथा ऐसे रूपों के हिसाब किताब को सुलभाना है जिनमें सरकार का वास्ता हो । यह काम यह आफिस एग्जैक्युटिव विभागों से सर्वथा स्वतन्त्र होकर करता है । यह आफिस संघ के उन सब दफ्तरों के हिसाबों की भी परीक्षा करता है जिनका काम धन व्यय अथवा धन एकत्र : धन संग्रह : करना है । इससे मालूम हो जाता है कि सार्वजनिक धन का व्यय कानून के अनुसार हो रहा है या नहीं ।

इन्टर स्टेट कामर्स कमीशन : अन्तरीज्यिक व्यापार कमीशन : रेल, जहाज़, बस, ट्रक और तैल के नलों इत्यादि कोमन कैरियरों : सार्वजनिक वाहनों : द्वारा वहन किए जाने वाले अन्तरीज्यिक व्यापार के दरों आदि का नियमन करता है । यह उन उपायों का भी नियन्त्रण करता है जिनसे यह कोमन कैरियर जनता के हाथ स्टॉक और बोंड बेचकर रूपया एकट्ठा करते हैं । यह रेलों और मोटरों की सुरक्षा के नियम भी बनाता है ।

फेडरल ट्रेड कमीशन का काम व्यापारिक दुरूपयोगों और व्यापार करने के अनुचित तरीकों की जांच करना और उनको रोकना है । जब नागरिक किसी अनुचित प्रथा की शिकायत करते हैं तब यह

कमीशन जांच करता, दावा पेश करता और मुकदमे सुनता है ।

वैटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन : वृद्ध सैनिकों की सहायक एजेन्सी : की ज़िम्मेवारी है कि वह असमर्थ वृद्ध सैनिकों के लिये हस्पताल बनाये और उनको चलाये । यह युद्ध के वृद्ध हुए सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों की अन्य अनेक प्रकार भी सहायता करता है । यह अमेरिकन वृद्ध सैनिकों को पेंशनें बांटता, शिक्षण की सहायता देता, लड़ाई के जोखिम का बीमा करता, नेशनल सर्विस लाइफ इन्श्योरेन्स का काम करता, क्षतिपूर्ति करता और अन्य अनेक प्रकार धन द्वारा उनकी सहायता करता है ।

सुरक्षा तथा विनिमय कमीशन : सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन :

हुंडी :

की स्थापना उन व्यक्तियों की सहायता के लिये की गई है जो स्टाक : मूलधन : और बाँड : हुंडी : खरीदते हैं । जिन कानूनों का यह पालन कराता है उनके अनुसार जो कम्पनियां अपनी सिक्योरिटियों को बेचकर धन एकत्र करना चाहती हैं उन्हें कमीशन के सामने अपनी सिक्योरिटियों और कम्पनी के विषय में सच्ची जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ती है । कमीशन को अधिकार है । कमीशन को अधिकार है कि वह सिक्योरिटियों की बिक्री में धोखेबाजी को रोके और दंडित करे । कमीशन को यह भी अधिकार है कि वह जिन स्टाक एक्सचेंजों में स्टाक और बाँड बिकते हैं उनका नियन्त्रण करे और बेचने वालों और खरीदने वालों को स्टाक और बाँड बेचते और खरीदते हुए धोखेबाजी न करने दे ।

दि यू० स्टेट्स मेरिटाइम : समुद्रीय : कमीशन इस कमीशन का काम यूनाइटेड स्टेट्स के लिये व्यापारिक जहाजों का बेड़ा तैयार करना और रखना है । यह कमीशन सब सम्भव उपायों से देश का जहाजों द्वारा चलने वाला व्यापार उन्नत करता है । इस कमीशन का यह भी कर्तव्य है कि वह निश्चय करे कि व्यापारिक जहाजों का

बड़ा युद्धकाल में जल सेना के सहायक के रूप में कार्य करने को तैयार है या नहीं ।

फ़ेडरल सिक्योरिटी एजेन्सी :संघीय सुरक्षा संस्था: यह एजेंसी एक निरीक्षक संस्था है जो जनसाधारण के हित का काम करने वाली अनेक इकाइयों के काम का निर्देशन करती है । साधारणतया इस बड़ी एजेन्सी का प्रयोजन, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, शिक्षण के अवसरों की और राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य की उन्नति करना है ।

उदाहरण के लिये दि यूनाइटेड स्टेट आफिस आव एजुकेशन :संयुक्त राज्य का शिक्षण कार्यालय: यूनाइटेड स्टेट्स में और विदेशों में शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं की विशेष जांच और अध्ययन करता है। वह अनेक महत्वपूर्ण रिपोर्टें और बुलिटन वितरित करता है । जिनमें स्थानीय और राज्यों के स्कूल अधिकारियों को स्कूल चलाने और जनता को शिक्षित करने के नवीन और सुधरे हुए उपायों के विषय में सलाह दी जाती है । यह संघीय शासन द्वारा राज्यों के उन शासनों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करता है जो स्कूलों को उन्नत करने में सहयोग करने के लिये तैयार होते हैं ।

दि यू० स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सर्विस :सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा: अनेक हस्पताल चलाती है, बहुत से स्वास्थ्य कानूनों और क्वारन्टीन के नियमों को लागू करती है, कूट के रोगों को रोकती और विषैले तत्वों और रूधिर के पतले पारदर्शक अंश की बिक्री का नियन्त्रण करती है । यह यूनाइटेड स्टेट्स में प्रवेश चाहने वाले विदेशियों के स्वास्थ्य की परीक्षा करती है, रोगों और कूट के रोगों के कारणों और चिकित्साओं की खोज करती है, अनेक मृत्युवान रिपोर्टें और बुलेटिन :समाचारपत्रिका: प्रकाशित करती है और राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक और सुरक्षित रखने के लिये अन्य अनेक सेवाएं करती है ।

दि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन :सामाजिक सुरक्षा संस्था:

व्यापार और व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के बुढ़ापे के बीमे का हन्तजाम करता है, श्रमजीवियों को बेरोज़गारी की क्षतिपूर्ति देने में राज्यों की सहायता करता है, ज़रूरतमन्द बुढ़ों, अन्धों और आश्रित बालकों को सार्वजनिक सहायता देता है, सोशल सिक्योरिटी प्लैन :समाज सुरक्षा योजना: के अनुसार उन श्रमजीवियों को जिन्होंने बीमा कराया हुआ होता है, उनकी विधवाओं को, आश्रित बालकों और उनके माता पिताओं को मासिक अदायगी करता है । राज्य बेरोज़गारों को साप्ताहिक सहायता देने में जो व्यय करता है उसके भी कुछ भाग का भार यह उठाता है ।

दि फूड रंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन :खाद्य तथा औषधि संस्था:

लोगों की अशुद्ध और हानिकारक पदार्थों से रक्षा करने के लिये अनेक प्रकार के भोजनों और औषधियों की परीक्षा करके उन्हें पास करता है ।

इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी एजेन्सियां हैं जो राष्ट्र के लोगों की अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी सेवाएं करती हैं ।



सुप्रीम कोर्ट : सर्वोच्च न्यायालय:

संयुक्त राज्यों का सुप्रीम कोर्ट : सर्वोच्च न्यायालय: एकमात्र संघीय न्यायालय है, जिसकी स्वयं शासन विधान ने स्थापना की है। इसके निर्णय अन्तिम होते हैं। ऐसी कोई अदालत नहीं जिसमें इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सके। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कांग्रेस ने नहीं की तथापि उसे अधिकार है कि वह इसके संघटन और कार्य के विषय में विविध कानून पास करे। कांग्रेस समय समय पर निश्चित करती है कि अदालत में कितने जज होंगे और उनके वेतन क्या होंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय में किसी जज का स्थान रिक्त हो जाता है तब उसकी पूर्ति प्रेजिडेंट करता है, परन्तु उसकी पुष्टि सेनेट द्वारा होना आवश्यक है। एक सीमा तक कांग्रेस यह निश्चय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय में किन मुकदमों का फैसला होगा। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार शासनविधान ने दिये हैं कांग्रेस उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती।

निम्न संघीय न्यायालय

शासनविधान ने अन्य संघीय अदालतों के बहुत कुछ अधिकार कांग्रेस के लिये छोड़ दिए हैं। उसे अधिकार है कि वह निर्णय करे कि अन्य संघीय न्यायालय और उनके जज कब नियुक्त किये जाएंगे और उनमें कौनसा न्यायालय किन मुकदमों की सुनवाई करेगा। वह सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य संघीय न्यायालयों को समाप्त और परिवर्तित भी कर सकती है।

कांग्रेस ने दो प्रकार के संघीय न्यायालयों की स्थापना की है, जिनका काम अधिक से अधिक मुकदमों का फैसला करना और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के बोझ को हल्का करना है, राष्ट्र को न्याय की दृष्टि से ^{दस} भागों में बांटा गया है जो कि सर्किट कहलाते हैं। प्रत्येक सर्किट

में एक सर्किट अपील कोर्ट : परिप्रमह न्यायालय: होता है, और कई जिला अदालतें होती हैं । सर्किट अपील कोर्ट, सर्किट का सर्वोच्च न्यायालय होता है । सर्किट में जिला अदालतें लगभग सौ होती हैं । कोलम्बिया जिले में एक यूनाइटेड स्टेट्स अपील कोर्ट भी है, यह जिला न्याय विभाग का जिला समझा जाता है ।

कानून यह है कि अधिकतर संघीय मुकदमे अथवा अभियोग पहले जिला अदालतों में ही सुने जायें । कुछ अवस्थाओं में यदि मुकदमे की पार्टियां निम्न अदालत के निर्णय से असन्तुष्ट हों तो वह उच्च फेडरल कोर्ट में अपील कर सकती हैं । कुछ अवस्थाओं में अपील सीधी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और अन्यो में मुकदमे की अपील पहले सर्किट कोर्ट में ही करनी पड़ती है । ऐसे भी मुकदमे होते हैं जिनमें सर्किट अपील कोर्ट का रूलिंग अथवा निर्णय अन्तिम होता है ।

अनेक अवसरों पर कांग्रेस ने विशेष अदालतें भी स्थापित की हैं । १८५५ में एक क्लेम्स कोर्ट : दावों का न्यायालय: स्थापित किया गया था । इससे पूर्व ऐसा कोई न्यायालय नहीं था जिसमें कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध धन वसूली का दावा पेश कर सके और इसलिये इस न्यायालय को एक मात्र इस प्रकार के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था । एक अन्य स्पेशल कोर्ट : विशेष अदालत: यूनाइटेड स्टेट्स का कस्टम कोर्ट है । इसकी स्थापना १६२६ में हुई थी । यह उन फगड़ों का फैसला करता है जो कि विदेशों से लाए हुए माल पर देश में वसूल किये गए तट-कर के विषय में होते हैं । संयुक्त राज्य में एक अदालत ऐसा भी है जो कस्टम और पेटेंटों की अपीलें सुनती हैं । उनमें चुंगी : कस्टम: और पेटेंट : असामान्य अधिकार: के वे मुकदमे पेश होते हैं जिनमें कि कोई आविष्कारक यह अनुभव करता है कि उसके आविष्कार को पेटेंट करने से व्यापार विभाग ने अन्यायपूर्वक इन्कार कर दिया है ।

ऐसी भी विशेष अदालतें हैं जिनमें वे मुकदमे सुने जाते हैं जिनके विवाद का विषय और जिनसे सम्बद्ध कानून अत्यन्त टैक्निकल : पारिभाषिक : प्रकृति के होते हैं ।

फेडरल जज : संघ के न्यायाधीश :

संघ के न्यायाधीशों को प्रेजिडेंट नियत करता है और सेनेट उनकी पुष्टि करती है । जब तक वे अपना कार्य सन्तोषजनक रूप में करते हैं तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं । यदि उनमें से कोई अपने पद पर रहते हुए कोई गम्भीर अपराध करे तो हाउस आव रिप्रिजेंटेटिव्स द्वारा उसी प्रकार अभियोगारोपण किया जा सकता है, जिस प्रकार कि प्रेजिडेंट अथवा यूनाइटेड स्टेट्स के अन्य किसी उच्च नागरिक अधिकारी पर । संघ के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस निश्चित करती है परन्तु विधान की आज्ञा है कि 'जजों का वेतन उनके पद पर रहते हुए घटाया नहीं जाएगा ।'

संतरवर्षों से भी अधिक काल से संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस और आठ एसोशियेट जस्टिस : सहायक न्यायाधीश चले आ रहे हैं । चीफ जस्टिस न्यायालय का अध्यक्ष होता है । शेष सब, यदि कोई किसी विशेष कारण से अनुपस्थित न हो, उसके साथ एकत्र बैठते हैं । सभी निर्णय मुकदमा सुनने वाले जजों के बहुमत से होते हैं ।

बहुमत का पोषक एक जज अदालत के निर्णय अथवा नियमित 'मत' को लिखता है और पेश करता है । जो जज बहुमत से सहमत न हो वह मतभेद का पृथक निर्णय दे सकता है । सर्वोच्च न्यायालय की सम्मितियों को सब कानून पेशा लोग और सब अदालतों के न्याया-
आधीश बहुत ध्यान से देखते और सुनते हैं । उनमें प्रकट किये गए विचार और सिद्धान्त अन्य अदालतों में कानूनी दलील की भांति हैं । पेश किए जाते हैं और कानून के विज्ञान पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है ।

राज्यों के शासन

यूनाइटेड स्टेट्स की शासन प्रणाली में राज्यों की इकाइयों का विशेष स्थान है। कांस्टिट्यूशनल कन्वेन्शन : विधान परिषद : में जो प्रतिनिधि आए थे और जिन लोगों के वे प्रतिनिधि थे, उन सबकी प्रथम निष्ठा अपने गृह राज्यों के प्रति थी। इन राज्यों को देश में कितना ऊंचा स्थान दिया गया था यह इस बात से प्रकट है कि जब तक संघीय शासनविधान और उस द्वारा स्थापित शासन सत्ता में नहीं आए तब तक, लिखित विधानों में आरम्भिक तरह राज्य ही, शासन सम्बन्धी सब कार्यों में प्रथम स्थान पाते रहे। शासनविधान की रचना करते हुए प्रतिनिधियाँ ने, राज्यों के शासनों के उन अधिकारों के आदर का ध्यान रखा था जिनका उन्होंने दावा किया था।

संघीय शासन और विविध राज्यों के शासनों के मध्य, विविध अधिकारों की सीमा, राज्यों की सीमा पर खींची गई थी। यह बिना कहे और बिना लिखे भी मान लिया गया था कि जो मामले राज्यों के सीमा में आते हैं, उन पर एकमात्र राज्यों के शासनों का अधिकार रहेगा। इस नियम से, कालानियों : उपनिवेशों : के बाद के दिनों में काम निकलता रहा, और किसी हद तक आज भी वह लागू है। संयुक्त राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास ने,

अनेक क्षेत्रों में, राज्यों और संघ के शासनों को साफेदारों में काम करने के लिये विवश कर दिया है । परन्तु संघीय सरकार के अधिकार निरन्तर बढ़ते जाने पर भी, प्रत्येक राज्य ने अपने स्वतन्त्र स्वामित्व को स्थिर रखा हुआ है । और राज्यों के अधिकारों की, अमेरिकन सरकारों के सब अधिकारों की सबसे अधिक दृढ़ता तथा उत्साह से रक्षा की जाती है ।

राज्यों के शासनों के कामों का सम्बन्ध, मुख्यतया, राज्यों के निवासियों की दिनप्रति दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति और सेवाओं से है । आन्तरिक यातायात, ज़मीन जायदाद, व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक सेवाओं से सम्बद्ध नियम, ज़ाब्ता फीजदारी और राज्यों के अन्दर रोज़गार की अवस्थाएं राज्य के अधिकार क्षेत्र के प्रमुख भाग हैं । इसी प्रकार राज्यों के निवासी व्यक्तियों से सम्बद्ध मामले राज्यों के कार्य का विषय है । संघीय शासनविधान में राज्यों पर केवल इतना बन्धन रखा गया है कि उनकी सरकारों का रूप प्रजातान्त्रिक रहे और वह किसी ऐसे कानून को न अपनावें जो शासनविधान और संघीय सरकार के कानूनों या संधियों का विरोधी हो । नए राज्य अपनी सत्ता मनवाना चाहें उनको अपना प्रस्तुत विधान राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वीकार करवाना पड़ता है ।

राज्यों के विधान, विस्तार में, एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं, परन्तु साधारणतया उनका रूप एक ही है । साधारणतया प्रस्तावना में शासन के उद्देश्य का निर्देश कर दिया जाता है, जो कि राज्य में शान्ति और व्यवस्था को स्थिर रखना और शासन के अन्य भागों के साथ, इस तथा अन्य प्रयोजनों से सहयोग करना है । व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी: ज़िम्मा: ली जाती है और दूसरों को हानि पहुंचा कर उनका दुरुपयोग करने का निषेध है ।

साधारणतया प्रत्येक राज्य के विधान में ये बातें होती हैं:

राज्य में रहने वाले लोगों के अधिकारों की परिगणना ।

एक साधारण योजना जिसमें कि यह दिसलाया रहता है कि राज्य के शासन का संघटन किस प्रकार किया जाएगा ।

राज्य में होने वाले अपराधों और दंडों का विवरण ।

राज्यों के नगरों, काउंटियों, कस्बों और ग्रामों के नियम ।

वे शर्तें, जिनके अनुसार सार्वजनिक संस्थाएं, व्यापारिक कम्पनियां, राज्य के बैंक, धर्मार्थ संस्थाएं, और दूसरे संगठन राज्य में काम कर सकते हैं ।

एक धारा में यह बतलाया रहता है कि राज्य के विधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है ।

सब राज्यों के विधानों में यह लिखा रहता है कि राज्य में अधिकार जनता का है । सब विधानों में यह बतलाया रहता है कि शासन तन्त्र स्थापित करने में जनता का

उद्देश्य क्या है । प्रत्येक विधान में,

राज्य के सरकारी समूहों और राज्य

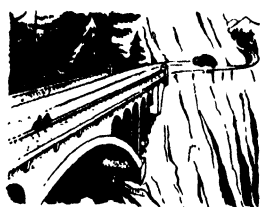
के अधिकार से संगठित अन्य समूहों में,

सम्पर्क की व्यवस्था रहती है । और

प्रत्येक विधान उन सिद्धांतों और स्तरों

की घोषणा करता है जिनके आधार पर

राज्य की जनता ने अपना शासन स्थापित किया है ।



आन्तरिक यातायात को राज्य
नियन्त्रित करते हैं।

राज्यों के शासनों द्वारा की हुई सेवाएं

राज्यों के शासन अपनी अपनी जनता के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वह करने के लिये अनेक प्रकार के कार्य करते हैं । अनेक मामलों में ये दूसरे शासनों के साथ मिल कर काम करते हैं और किन्हीं मामलों में इनका अकेला अकेला उत्तरदायित्व होता है ।

उदाहरणार्थ, राज्य का शासन सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा

में, जनता के शिक्षण की व्यवस्था करने में, लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में, वाहनों को उन्नत बनाने में, जिनको सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता है उनका ध्यान रखने में, राज्य के जंगलों, खानों और खेतों की भूमियों की रक्षा में, व्यापारियों को नियन्त्रित करने में और जीवन तथा रोज़गार की अवस्थाएं सुधारने में, सदा सचेष्ट रहता है ।

राज्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य : ४८ राज्यों में से प्रत्येक में, एक अथवा अनेक ऐसी एजेन्सियां होती हैं जिनका काम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है । राज्य के विधान और कानूनों के अधिकार से वे डाक्टरों , नर्सों, दवाफरोशों और ऐसे अन्य लोगों की परीक्षा करते रहते हैं जो कि चिकित्सा का कार्य करते हैं, और यदि वे सन्तुष्ट हों तो वे प्रार्थियों को चिकित्सा का पेशा करने का लाइसेन्स देते हैं । साधारणतया राज्य के कानूनों में लिखा रहता है कि डाक्टरों को और नर्सों को राज्य में अपना पेशा करने से पूर्व अपने पेशे के कुछ सिद्धान्तों को पूरा करना चाहिये ।



ग्राम-स्कूल

राज्य बीमारों और पागलों के हस्प-पताल भी चलाते हैं । राज्य के अधिकारी अनेक प्रकार के भोजनों और औषधियों की परीक्षा करके देखते हैं कि उनका प्रयोग करना सुरक्षित है अथवा नहीं । वे अन्य भी अनेक प्रकार के रोगों के निवारण का प्रबन्ध करते हैं । वे स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की नियमपूर्वक परीक्षा करने की आज्ञा देते हैं । राज्यों में इस प्रकार के कानून भी हैं कि दूध देने वाले पशुओं की परीक्षा की जाय और यदि उनको क्षय अथवा अन्य भयंकर रोग हों तो उन्हें नष्ट कर दिया जाय ।

राज्य और शिक्षा : राज्यों के शासन अपने नागरिकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिये बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने स्टेट स्कूल स्थापित किये हुए हैं जिनका खर्चा टैक्सों से निकाला जाता है। ऐसे सार्वजनिक स्कूलों की प्रणाली, जिनका खर्चा टैक्सों से निकाला जाता है, अमेरिकी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्य ऐसे कानून बना सकते हैं जिनसे वे बालकों को स्कूल जाने के लिये बाध्य कर सकें।

राज्य के आफिसरों का यह कर्तव्य है कि किस ऋणी में कौनसा पाठ्यक्रम होना चाहिये, यह निश्चित करें, तथा यह भी निश्चित करें कि कौन सी पुस्तकें प्रयोग में लाई जाएं। उन्हें यह भी अधिकार है कि निर्धन जातियों की राज्य काष मेंसे सहायता करें, जो इतनी धन हीन हैं कि अच्छे स्कूल में नहीं जा सकतीं। वे अध्यापकों के लिये स्कूल तथा कलेज सोलते और चलाते हैं। बहुत से राज्य एक स्टेट यूनिवर्सिटी : विश्वविधालय : और कई स्टेट कालेजों को चलाते हैं। कभी कभी राज्य ऐसे स्कूल या कक्षाओं का भी प्रबन्ध करता है जहां गृहस्थी स्त्रियों को गृह शिक्षा सिखाई जाए, जहां कारीगर कलाकौशल का काम सीख सकें, और जहां किसान वैज्ञानिक ढंग से कृषि का काम सीख सकें। उनके पास बहुधा ऐसी प्रयोगशालाएं भी रहती हैं जहां राज्य के विशेषज्ञ जांच कर सकें और जनता को शिक्षित और सुरक्षित करने के लिये अच्छे उपायों को सुझा सकें।

राज्य जीवन तथा माल की रक्षा करता है : हर राज्य के पास शिक्षित सैनिक रहते हैं जिन्हें मिलिशिया या नेशनल गार्ड : नगर सेना : कहते हैं। इन सैनिकों को राज्य अपने किसी भी भाग में भेज सकता है, जहां वह यह समझे कि वहां के स्थानीय आफिसर शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते। राज्य की यह मिलिट्री : सैन्य : संस्था लोगों के जान व माल की पर्याप्त सुरक्षा कर सकती है। कुछ राज्यों के पास तो अपनी पोलीस भी है, जो राजमार्गों

की देखभाल और जनता की सुरक्षा करती है ।

राज्य और वहन :मोटर: यातायात : यूनाइटेड स्टेट्स में
लगभग ४ करोड़ मोटरें आदि होंगी । मोटर आदि अधिकतर
यातायात के काम आती हैं और बहुत सा माल ट्रकों द्वारा ही
लाया ले जाया जाता है । इसके लिये बढ़िया और पक्की सड़कों
के एक विस्तृत जाल की आवश्यकता है । स्टेटों ने कई सालों से
सड़कों को अच्छा और ठीक रखने का कार्य किया है और इसके लिये
अरबों रुपये खर्च किये हैं । राज्यों के
ही प्रयत्नों का परिणाम है कि अमेरिका
की सड़कें आज संसार की उत्कृष्टतम
सड़कों में गिनी जाती हैं ।



सड़कों के बनाने और मरम्मत
में इतना अधिक आर्थिक व्यय होता
है कि अधिकतर स्थानीय शासनों को इस काम में राज्य के शासनों
से सहायता लेनी पड़ती है । इनके अतिरिक्त कुछ सड़कें हैं जिनको
राज्य के ही धन से बनाया और चलाया जाता है । राज्य की
आफ़ारें, देश के विविध भागों का राष्ट्रीय सड़कों द्वारा एक दूसरे
से जोड़ने के लिये, व्यय का भार उठाने में, संघीय सरकार के साथ
सहयोग पूर्वक कार्य करती हैं ।

राज्य गाड़ियों को लाइसेन्स देते और कभी कभी यह देखने
के लिये उनका निरीक्षण भी करते हैं कि उनकी मैकेनिकल :यन्त्र
सम्बन्धी: अवस्था, सड़कों पर सुरक्षापूर्वक चलने योग्य है या नहीं ।
राज्य उन व्यक्तियों की मोटर चलाने की योग्यता की परीक्षा
लेते हैं जो कि ड्राइवर बनना चाहते हैं और जो पास हो जाते हैं
उनको लाइसेंस दे दिया जाता है । राज्य दुर्घटनाओं को रोकने
के लिये मोटरों की गति नियत करते हैं । सड़कों के मोड़ों पर, रेलों

के फाटकों पर, और उतार चढ़ावों पर चैतावनी के संकेत, दरवाजे और सुरक्षा प्रदीप :सैफ्टी लाइट: लगाते हैं, जिससे कि मार्ग सुरक्षित रहें ।

राज्यों द्वारा ज़रूरतमन्दों की सहायता : साधारणतया सब राज्यों के शासन अपने उन नागरिकों की सहायता करते हैं जो कि अपना भरण पोषण स्वयं नहीं कर सकते । वे बहुधा बनावटों और अपाहिज बालकों के लिये, और बूढ़ों के लिए आश्रम खोलते और बहरों, गूंगों और अन्धों के लिये विशेष स्कूल चलाते हैं । विशेषतः बेरोज़गारी के दिनों में ज़रूरतमन्दों को सहारा देना का राज्यों का काम बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है ।

राज्य अपने प्राकृतिक साधनों की रक्षा करते हैं : अनेक वर्षों से संयुक्त राज्यों की जनता अपने जंगलों, भूमि की उपज शक्ति और खनिज धन का नाश करती चली आ रही थी । परन्तु आज राज्यों की और राष्ट्र की सरकारों ने इस विनाश को रोकने के लिये अपनी शक्तियों को एकत्र कर लिया है । अन्य कामों के अतिरिक्त वे निम्न कार्यों में परस्पर सहयोग कर रही है :

राज्यों अथवा राष्ट्र के जंगलों के लिये टिम्बर :हमारी लकड़ी: उत्पन्न करने वाली भूमि अलग दरना या खरीदना और उसमें वृक्षों की कटाई का नियन्त्रण करना ।

कटे हुए, आंधी से उखड़े हुए अथवा जले हुए वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष बोना ।

भूमि को बाढ़ से कटने से रोकना ।

राज्यों के और राष्ट्र के उद्यान बनाना और उनकी रक्षा करना ।

जंगली जानवरों की रक्षा करना ।

किसमों को यह सिखाना कि फसलें जब बोई जायें और खाद

का उपयोग कैसे किया जाय, भूमि की उपजाऊ शक्ति को सुरक्षित रखना ।

नदियों और धाराओं की जलशक्ति का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना ।

तेल, कोयले और अन्य खनिजों के उपयोग का नियंत्रण ।

सूखे प्रदेशों को सींचने के लिये नहरें, तालाब आदि बनाकर खेती योग्य भूमि का परिमाण बढ़ाना ।

लोगों को यह अनुभव करने की शिक्षा देना कि देश के प्राकृतिकसाधनों से उनको कितना लाभ हो सकता है और उन्हें उनकी रक्षा में भाग लेना चाहिये ।

राज्यों द्वारा व्यापार की रक्षा और नियन्त्रण : जब कुछ लोग मिलकर व्यापार करने के लिये कोई निजी कम्पनी बनाना चाहें तब जिस राज्य में अपना प्रधान कार्यालय रखने की उनकी योजना हो उससे उनको चार्टर :राजपत्र: प्राप्त करना पड़ता है । समय समय पर इन कम्पनियों को अपने व्यापार की अवस्था के विषय में राज्य को रिपोर्ट देने के लिये कहा जा सकता है । राज्यों की सरकारों को साधारणतया यह अधिकार होता है कि वे खानों, कारखानों और अन्य स्थानों का जहां कि नागरिक काम करें निरीक्षण और निगरानी करते रहें । राज्यों को अधिकार है कि वे अपनी सीमा में यातायात के साधनों और संगठनों, तार, टेलीफोन, गैस, पानी और बिजली की कम्पनियों का, और उन बैंकों और बीमा कम्पनियों का जिनको कि नागरिक अपना धन सौंपते हैं, नियन्त्रण करें । इन कानूनों और नियमों का प्रयोजन यह है कि जो नागरिक इन कम्पनियों के ग्राहक हैं उनकी और जो उनमें अपना रूपया लगाते हैं, उनकी दोनों की, रक्षा हो ।

राज्यों द्वारा रहन सहन और काम करने की अवस्थाओं का नियंत्रण

राज्य नागरिकों के कल्याण के लिये अपने पुलिस अधिकारों के मातहत अनेक कानून पास करते हैं । अर्थात् वे अधिकार जो कि जनता ने राज्यों को अपने जीवन, स्वास्थ्य, और आचार की रक्षा, और अपनी सुरक्षा तथा सुख की व्यवस्था करने के लिये दिये हैं । राज्य जब जुएबाज़ी और लोटरियों को रोकने के लिये और शराब की बिक्री बन्द करने अथवा नियन्त्रित करने के लिये कानून बनाते हैं, तब वे अपने पुलिस अधिकारों का प्रयोग करते हैं । पुलिस अधिकार के मातहत राज्यों ने कई बार स्त्रियों और बालकों के काम करने का समय नियमित करने और श्रमिकों को हानिकारक परिस्थितियों में काम करने से बचाने के लिये भी कानून बनाये हैं । इन कानूनों में वे कारखाना नियम भी सम्मिलित हैं जिनके अनुसार मालिकों को पर्याप्त वायु, रोशनी, स्नान और शौच की व्यवस्था, आग से बचाव और भयंकर यन्त्रों पर सैफ्टी डिवाइसिस : बचाव के साधनों : की व्यवस्था करनी पड़ती है । यदि मज़दूरों को काम करते करते चोट लग जाय तो बहुत से राज्यों में कानून द्वारा उनकी क्षतिपूर्ति करवायी जाती है । राज्य बहुधा मालिकों और मज़दूरों के झगड़े शान्तिपूर्वक निबटाने के लिये स्पेशल एजेन्सियां नियत करते हैं ।

राज्यों के शासन का संघटन

प्रत्येक राज्य का विधान राष्ट्र की विशिष्ट समस्याओं का हल करने के लिये बनाया गया था । कईयों को यह विचार करना पड़ा था कि राज्य बड़े नगरों में शासन किस प्रकार करेगा, परन्तु कस्बों, काउंटियों और स्थानीय शासनों का ध्यान सभी को रखना पड़ा था ।

४८ राज्यों में एक दूसरे से बहुत भेद हैं । उनके क्षेत्रफल और आबादियां बहुत विभिन्न हैं । रोड आइलैंड की भूमि का क्षेत्रफल बारह सौ वर्गमील से कुछ अधिक है । टेक्सास की भूमि दो लाख स्यासठ हजार वर्गमील है । कुछ राज्य कृषि प्रधान हैं और अन्य उद्योग प्रधान । राज्यों के शासनों ने, शासनों के संघटन के रूपों में महत्वपूर्ण भेद किये बिना, अपनी जनता की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा ।

राष्ट्रीय सरकार की भांति, राज्यों की सरकारों की भी तीन प्रधान शाखाएं हैं । लेजिस्लेटिव : व्यवस्थापक : एग्ज़ेक्युटिव : शासन : और जूडिशियल : न्यायविभाग :

नेब्रास्का के सिवाय सब राज्यों के शासन की लेजिस्लेटिव शाखा की दो सभाएं हैं । एक साधारणतया सेनेट कहलाती है, और

दूसरी हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्ज़ । नेब्रास्का में केवल एक लेजिस्लेटिव सभा है । प्रायः सब राज्यों में सेनेट की तुलना में हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्ज़ बहुत बड़ा होता है ।

यद्यपि साधारणतया सेनेट और हाउस, दोनो सभाओं में चुनाव का आधार काउंटियां होती हैं, परन्तु कुछ राज्यों में सेनेटरों का चुनाव जिलों से होता है । ये जिले कुछ काउंटियों को इकट्ठा करके, अथवा बड़ी और घनी बसी हुई एक काउंटी को दो या अधिक जिलों में बांटकर बनाये जाते हैं । अधिकतर राज्यों में सेनेटरों का कार्यकाल चार वर्ष और प्रतिनिधियों का दो वर्ष होता है । परन्तु कुछ राज्यों में दोनो का कार्यकाल दो वर्ष और कुछ में ४ वर्ष है ।

राष्ट्र राज्यों और नगरों के शासन विधान सम्बन्धी संघटनों की समानताएं

अगले पृष्ठ पर देखिए

राष्ट्र - राज्यों और नगरों के शासन सम्बन्धी संघटनों की समानताएं ।

शासन संघटन	कानून बनाने के लिये प्रत्येक की व्यवस्थापक : लेजिस्लेटिव : शाखा ।	कानूनों का पालन कराने के लिए प्रत्येक की एग्जिक्युटिव शाखा ।	कानूनों को लागू करने और उनकी व्याख्या करने के लिये प्रत्येक की न्याय शाखा ।
राष्ट्र	कांग्रेस, सेनेट और हाउस ऑव रिप्रेजेंटेटिव्स	प्रेजिडेंट, वाइसप्रेजिडेंट, एग्जिक्युटिव विभाग और एग्जिक्युटिव एजेंसियां	संघीय न्यायालय
राज्य	राज्यों की धारासमारे : नेब्रास्का के अतिरिक्त सब राज्यों में दो समायें:	गवर्नर और एग्जिक्युटिव विभागों के अध्यक्ष	राज्यों की अदालतें
नगर	सिटी काउंसिल अथवा कमिशनर	मेयर अथवा मेनेजर अथवा कमिशनरों का बोर्ड	नगरों की अदालतें

अधिकतर राज्यों में दोनो सभाओं का लेजिस्लेटिव अधिवेशन राज्य की राजधानी में प्रति दो वर्ष पीछे होता है । कुछ राज्यों में अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है । ऐलाबामा में उनका अधिवेशन प्रति चार वर्ष में एक बार होता है । परन्तु राज्यों के गवर्नर आवश्यकता समर्थन तब उनका विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं ।

राज्यों की धारासभाओं का चुनाव

राज्य को जिलों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक राज्य के लोग एक सेनेटर और एक या अधिक प्रतिनिधि : रिप्रेजेंटेटिव: चुनते हैं । साधारणतया नियम यह है कि इन पदों के उम्मीदवार चुनाव में लड़े होने से पूर्व अपने जिले में कम से कम एक वर्ष तक रह चुके हों । राज्यों की सरकारों को बहुधा राज्य का जिलों में विभाग करते हुए इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि नगरों और काउंटियों, दोनो के लोगों को राज्य की धारासभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए ।

जिन ४७ राज्यों में धारासभाएं दो सभाओं में विभक्त हैं, उनमें कानून प्रायः एक ही विधि से पास किये जाते हैं । दोनो सभाओं में से किसी का भी सदस्य वह प्रस्ताव पेश कर सकता है जिसे वह कानून बनवाना चाहता है । जब बिल किसी सभा में पेश कर दिया जाता है तब उसे अध्ययन के लिये उस सभा की एक कमिटी : पंचायत: को सौंप दिया जाता है ।

राज्यों की धारासभाओं का अधिकतर काम कमिटियों द्वारा होता है । महत्वपूर्ण बिलों पर विचार करने के लिये कमिटीयां साधारणतया सार्वजनिक बैठकें करती हैं, जिनमें बिल के समर्थक अथवा विरोधी व्यक्ति अपनी दलीलें देकर सभा से उसे पास करने अथवा गिरा देने का अनुरोध कर सकते हैं । यदि कमिटी यह निर्णय करती है कि बिल कानून बन जाना चाहिए तो वह सभा में इस आशय की

रिपोर्ट कर देती है और बतलाती है कि इस कानून के बन जाने से क्या लाभ होगा और इसे क्यों पास करना चाहिये । परन्तु बहुत से बिल जों कमिटी को सुपुर्द किए जाते हैं, ऐसे होते हैं कि वह उन्हें पसन्द नहीं करती अथवा उनसे सहमत नहीं होती और इसलिये उन पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं करती । ऐसे बिलों पर धारासभाओं में विचार तब तक नहीं हो पाता जब तक कि उनके समर्थक सदस्य सभा में बहुमत से यह पास न करवा दें कि उनके बिल पर कमिटी की रिपोर्ट के बिना भी विचार किया जाए ।

जब कमिटी किसी बिल पर अनुकूल रिपोर्ट पेश कर देती है तब साधारणतया सभा की बैठक में उस पर कुछ विवाद होता है और तब मत लिये जाते हैं । सदस्य यह बतलाना चाहते हैं कि वे इस बिल को कितना बुरा या कितना अच्छा समझते हैं । जब मत लिया जाता है तब बिल के समर्थकों का बहुमत होने पर वह पास हो जाता है, वरना गिर जाता है । कमिटी बिल में परिवर्तन भी कर सकती है, और कमिटी द्वारा बिल की सिफारिश हो चुकने पर भी प्रत्येक मੈम्बर सभा में और संशोधन पेश कर सकता है ।

जब एक बिल एक सभा में पास हो चुकता है तब वह दूसरी में जाता है । वहाँ भी उसके साथ प्रायः वही व्यवहार होता है । यह अध्ययन और रिपोर्ट के लिये एक कमिटी को सौंप दिया जाता है । यदि उसकी रिपोर्ट अनुकूल होती है तो साधारणतया दूसरी सभा में मत लिये जाने से पहले उस पर विवाद होता है । यदि दूसरी सभा बिल में परिवर्तन कर दे तो इसे दोनों सभाओं के सदस्यों की एक कमिटी के सुपुर्द कर दिया जाता है जो कि कान्फ्रेंस कमिटी कहलाती है । कान्फ्रेंस कमिटी या तो उसका पुनर्लेखन करती है और या इसमें ऐसे सुधार कर देती है जिससे वह सफल होती है कि दोनों सभाएं सन्तुष्ट हो जाएंगी । यदि इसमें सफलता हो जाती है तो दोनों सभाएं बिल पर बहुमत देकर उसे पास कर देती हैं । तब यह गवर्नर

के पास भेजा जाता है और यदि वह इस पर हस्ताक्षर कर दे तो यह कानून बन जाता है ।

नीथ कैरोलिना के सिवाय प्रत्येक राज्य में गवर्नर जिस बिल को पसन्द न करे उसे वीटो कर सकता और साधारणतया उसे कानून बनने से रोक सकता है । परन्तु कानून निर्माताओं को अधिकार है कि वे बिल ^{पर} पुनः मत दें और यह निर्णय करें कि यह गवर्नर की अनुमति बिना भी कानून बने या नहीं । कुछ राज्यों में, प्रत्येक सभा के सदस्यों का बहुमत, गवर्नर के वीटो के बावजूद, किसी भी बिल को कानून बना सकता है । अन्य राज्यों में ऐसा करने के लिये प्रत्येक सभा के सदस्यों के दो तिहाई मतों की आवश्यकता होती है ।

साधारणतया ^{यह} राज्यों की आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखते हैं । कानून बनाने के अधिकार को सीमित केवल संघीय शासनविधान करता है, जिसने राज्यों को, राष्ट्रीय विधान, कांग्रेस के कानूनों और विदेशों के साथ हुई सन्धियों से टकराने वाले बिलों पर विचार करने का निषेध कर दिया है ।

राज्यों के शासन की एग्जेक्युटिव शाखा

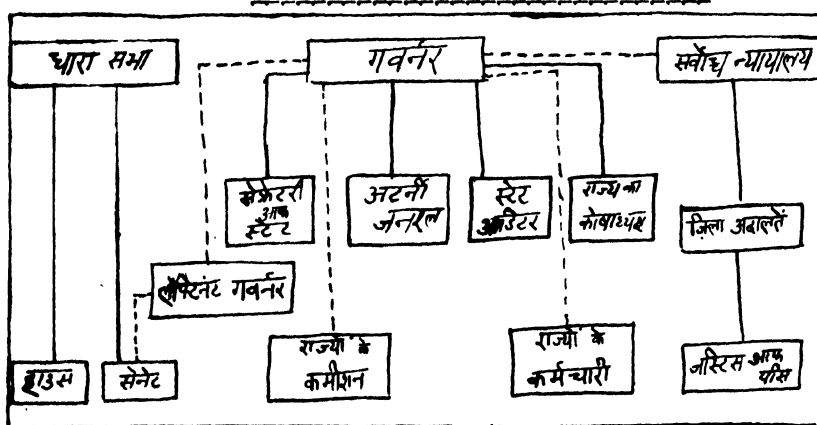
राज्य का प्रधान एग्जेक्युटिव, गवर्नर है । वह जनता के मतों से चुना जाता है । लगभग आधे राज्यों में उसका कार्यकाल दो वर्ष होता है, अन्यो में चार वर्ष ।

गवर्नर के अधिकार राज्यों के विधान में बतलाये गए हैं । वह धारासभाओं को नये कानूनों के विषय में सलाह देकर कानून बनाने में सहायता कर सकता है । वह इस प्रकार के कानूनों पर विचार करने के लिये धारासभा के विशेष अधिवेशन बुला सकता है । वह अनेक बोर्डों और कमीशनों के सदस्य नियुक्त करता है । कुछ राज्यों में गवर्नर द्वारा की हुई प्रधान प्रधान नियुक्तियों का राज्य की सेनेट से पुष्ट होना आवश्यक है । वह अपने राज्य के नेशनल गाडों का प्रमुख होता

है। और जब वह समझे कि राज्य की शान्ति संकट में है तब व्यवस्था की रक्षा के लिये उनका उपयोग कर सकता है। वह राज्य की अदालतों द्वारा दंडित अपराधियों को क्षमा कर सकता या उनकी सजा को घटा सकता है। गवर्नर के साथ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चुना जाता है जिसके नियमित कर्तव्यों में राज्य की सेनेट की अध्यक्षता करना और गवर्नर के देहान्त पर अथवा उसके पद से पृथक हो जाने पर उसका स्थान ग्रहण करना है। राज्य के शासन की एग्जिक्युटिव :शासन: शाखा में अनेक महत्वपूर्ण एग्जिक्युटिव अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। एक सेक्रेटरी श्राव स्टेट होता है जो राज्य के सरकारी लेखों को रखता है। वह राज्य के कानूनों को प्रकाशित करता और चुनाव के नोटिस भेजता है। वही साधारणतया चुनावों के परिणामों की अन्तिम रिपोर्ट देता है।

एटर्नी जनरल राज्य का प्रधान कानून अफसर होता है। वह स्वयं अदालतों में जाता अथवा अपने एक या अधिक सहायकों को भेजता है, और जिस किसी मुकदमे में राज्य की जनता के हितों का सम्बन्ध होता है उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह राज्य के कानूनों के लागू होने और उनके अर्थों पर गवर्नर और अन्य राज्याधिकारियों को सलाह देता है।

राज्यों के शासन की तीन स्वतंत्र शाखाएं



राज्य का आडिटर अथवा हिसाब की जांच करने वाला राज्य के सब बिलों को जांचता है। यदि वह उन्हें ठीक पाता है तो वह कोषाध्यक्ष के नाम उन्हें अदा करने का प्रमाणपत्र जारी कर देता है। उसे कोष में जमा कराये हुए और कोष से दिये हुए सब धन का, और उस धन का जिसे खर्च करने का राज्य की धारासभा ने मत दिया है, सावधानतापूर्वक लेखा रखना चाहिये। यह अधिकारी काउंटी, शहर और गांव के उन अफसरों का लेखा रखता है जो कि राज्य के लिये धन एकत्र करते हैं। कहीं कहीं आडिटर राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित होता है।

राज्य का कोषाध्यक्ष उस धन की रक्षा करता है जो राज्य के कोष में टैक्सों, लाइसेंसों और फीस से आता है। जब उसे ठीक ठीक प्रमाण मिल जाता है तब वह राज्य के बिल चुका देता है।

राज्यों में अनेक विभाग और कमीशन भी होते हैं। अधिकतर राज्यों में लेबर कमिश्नर नाम का एक अधिकारी अथवा लेबर बोर्ड नामक संस्था राज्य की श्रमिक अवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होते हैं। आम तौर पर एक बैंकिंग कमीशन रहता है जिसका काम यह देखना होता है कि राज्य के बैंक अपना काम किस प्रकार करते हैं। एक स्वास्थ्य बोर्ड उस कार्यक्रम को पूरा करता है जिस की नागरिकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिये पहले चर्चा की जा चुकी है। सड़कें बनाने और उन्हें ठीक रखने का काम एक हाइवे कमीशन अथवा राजमार्गों के प्रबन्धकगण के सुपुर्द रहता है।

साधारणतया बहुत महत्वपूर्ण एग्जिक्युटिव अधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। कुछ राज्यों में गवर्नर का राज्य के अन्य अधिकारियों के काम पर बहुत अधिक नियन्त्रण रहता है। और अन्य राज्यों में उसका बिल्कुल नियन्त्रण नहीं रहता। कुछ राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के चुनाव के लिये संघीय सरकार की भांति सिविल सिस्टम का उपयोग करते हैं। जो लोग राज्य की सरकार

में नीकरी करना चाहते हैं वे उस काम के लिये अपनी योग्यता प्रकट करने को परीक्षारं देते हैं । जिन अधिकारियों को जनता ने निर्वाचित कर दिया है उनके सहायक चुनने का यह तरीका इसलिये रखा गया है कि सरकार का बहुत सा काम ऐसे आदमियों के हाथों में सौंपा जाता है जो कि राजनीतिक नियन्त्रण या परिवर्तन के आधीन नहीं होते । कुछ राज्यों में ऐसे स्थानों की संख्या बहुत अधिक है जिन पर नियुक्ति के लिये सिविल सर्विस परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती ।

राज्यों के अदालत संगठनों में न्याय विभाग का काम यह है कि वह राज्यों के कानूनों की व्याख्या करे और बतलावे कि अदालतों में, व्यक्तियों, संघटनां अथवा राज्यों द्वारा, जो मुकदमे अपराधियों को दंड देने के लिये चलाये गए हैं, उनमें कानून किस प्रकार लागू होगा । राज्यों की अदालतों के जज उन मतभेदों को हल करते हैं जिन में व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, राज्य या स्थानीय शासन उलझे हुए होते हैं । वे वैयक्तिक अधिकारों और सम्पत्तियों के मुकदमे सुनते हैं । उन व्यक्तियों के अपराधी अथवा निरपराधी होने का निर्णय करते हैं जिन पर राज्य के कानून भंग करने का अभियोग लगाया जाता है, और उनके अपराधी सिद्ध होने पर दंड का निश्चय करते हैं ।

राज्य का सर्वोच्च न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि राज्य का कोई कानून, राज्य के अथवा राष्ट्र के शासनविधान से संगत न होने के कारण अवैधानिक है ।

राज्यों की अदालतों के काम

राज्यों की अदालतों को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे सुनने का अधिकार है । प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्पत्ति और जीवन का अधिकार है । यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के

इन अधिकारों का व्याघात करे तो व्याहत व्यक्ति द्वारा उस पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालत का कर्तव्य है कि वह मुकदमे में दोनों पक्षों की बात सुने, द्रुतिपूर्ति करावे और अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध द्रुति के परिमाण का निश्चय करे जो मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें हानि साधारण जनता की नहीं होती, अपितु किसी व्यक्ति की होती है, वे दीवानी कहलाते हैं। जब हानि जनता को पहुँचती है और जिस काम से ऐसे कानून का भंग होता है जो जनता की रक्षा करता है, तो वह कार्य अपराध समझा जाता है और राज्य उस व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई करता है जिसने कानून तोड़ा होता है। कत्ल, चोरी, डाका, रिश्वत और झूठी शपथ खाना, प्रधान अपराधों में गिने जाते हैं।

राज्य की अदालत का सबसे सरल रूप वह है जिसमें 'जस्टिस आव दि पीस' अदालत के अध्यक्ष का काम करता है। यह अदालत उन मुकदमों को सुनती है जिनमें घन की राशि अथवा अपराध छोटा होता है। बड़े नगरों में यह कार्य साधारणतया पुलिस अदालतों या लॉस म्युनिसिपल अदालतों द्वारा किया जाता है।

जिन मुकदमों में अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न^{उलभे} हुए होते हैं उनकी सुनवाई अन्य अनेक अदालतें करती हैं जो कि साधारणतया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट : जिला अदालतें; सुपीरियर कोर्ट : श्रेष्ठ न्यायालय; सार्किट कोर्ट : परिभ्रमण न्य०; अथवा वॉमन प्ली कोर्ट : साधारण न्य०; कहलाती हैं। यह अदालतें प्रायः, दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमे सुनने की अधिकारी होती हैं।

राज्य में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, होता है। यह अदालत ऐसे मुकदमे सुनती है जिनमें कि बहस और निर्णय मातहत अदालत में हो चुके होते हैं, परन्तु जिनको मुकदमा हारने वाला पक्ष अन्यायपूर्ण समझता है। इसका अधिकतर काम अपीलें सुनना होता है। सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालतों के निर्णयों पर पुनर्विचार करने

का अधिकार है, जिससे कि सब लोग सम्भावित अन्याय से बचे रहें । इस प्रकार के पुनर्विचार की प्रार्थना का अधिकार ही अपील का अधिकार कहलाता है ।

कुछ राज्यों में स्पेशल कोर्टों : विशेष अदालतों : की संख्या अधिक होती है । उदाहरणार्थ, कहीं प्रोबेट कोर्ट : वसीयतनामों को प्रमाणित करने वाले न्यायालय : होते हैं, जिसका काम मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति के बंटवारे में सहायता करना है । कहीं कहीं बालकों के न्यायालय भी होते हैं जिनमें कानून भंग करने वाले बालकों के मुकदमों सुने जाते हैं । कहीं कहीं घरेलू सम्बन्धों की अदालतें भी होती हैं जो पति पत्नियों के झगड़े सुलझाती हैं । स्मोल क्लेम्स कोर्ट अथवा छोटे छोटे कर्जों के मुकदमे सुनते हैं और उनमें खर्च बहुत कम लिया जाता है ।

सब मुकदमों में अध्यक्षता का काम वे जज करते हैं जो साधारण तथा जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं । कुछ राज्यों में इनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा या राज्य की धारासभा द्वारा भी होती है । उच्च न्यायालयों में जजों का कार्यकाल ६ से १५ वर्ष तक अथवा अधिक भी होता है । मातहत अदालतों में कार्यकाल कम होता है ।

अदालतों का ज़ाव्ता और जूरियां : पंचों का संघ :

संयुक्त राज्यों : यूनाइटेड स्टेट्स : की अदालतों के बहुत से रिवाज इंग्लिश अदालतों से आये हैं । संयुक्त राज्यों में जिन व्यक्तियों पर किसी अपराध का अभियोग लगाया जाता है उन्हें अपने मुकदमे की सुनवाई जूरी द्वारा कराने का अधिकार होता है । किसी अभियुक्त व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये कानून दो बार दंड नहीं दे सकता ।

जूरियां : पंच संघ : दो प्रकार की होती हैं । ग्रैंड जूरी : अष्ट पंच संघ : और ट्रायल या पैट्रिट जूरी : छोटे पंचों का संघ : ग्रैंड जूरी

यह निर्णय करती है कि कोई भी अभियुक्त अदालत में सफाई देने के लिये बाधित किया जाय या नहीं । यदि ग्रैंड जूरी का बहुमत यह समझे कि अभियुक्त व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं तो वह उसपर नियमित रूप से लिखकर अभियोग लगाता है , जिसे इन्डिक्टमेंट :अभियोगारोपण: कहते हैं । तब उस व्यक्ति की अपराधिता अथवा निरपराधिता के निर्णयार्थ मुकदमे की सुनवाई होती है । इस प्रयोजन के लिये द्वायल अथवा पैटिट जूरी चुनी जाती है । द्वायल जूरी साधारणतया १३ नागरिकों की होती है । इसके सदस्य सब साक्षियां सुनते और अपराधी अथवा निरपराधी होने का निर्णय देते हैं । अधिकतर राज्यों में पैटिट जूरी का निर्णय सर्वसम्मत होने का नियम है । जूरी को अपने निर्णय पर पहुंचने में सहायता देने के लिये जज का कर्तव्य है कि वह जूररों को कानून भली भांति समझा दे ।

यदि अभियुक्त व्यक्ति वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो राज्य सरकारी खर्च पर अपनी सफाई देने के लिये और यदि सम्भव हो तो अपनी निरपराधिता सिद्ध करने के लिये उसे वकील देता है । सरकारी वकील राज्य का पक्ष पेश करता है और अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने का यत्न करता है ।



नगरों का शासन

अनेक दृष्टियों से राज्यों के शासन और उनकी सीमा के अन्तर्गत स्थानीय शासन की हकाइयों का परस्पर सम्बन्ध वैसा ही है जैसा कि संघीय शासन और राज्य के शासनों में । नगरों के शासन अपना चार्टर : अधिकारपत्र : राज्यों के संगठनों से प्राप्त करते हैं और उनमें म्युनिसिपल उद्देश्यों और अधिकारों का वर्णन रहता है । तो भी नगरों का शासन किसी भी प्रकार राज्यों के मातहत या आधीन नहीं और अनेक कार्यक्षेत्रों में तो वह सर्वथा स्वतन्त्र है ।

ज्यों ज्यों शासन की हकाई का क्षेत्र घटता चला जाता है, त्यों त्यों शासन के कार्य समाज की विशेष आवश्यकताओं के साथ अधिकाधिक एकीभूत होते जाते हैं । इसप्रकार संघीय अथवा राज्यों के शासनों की अपेक्षा नगर का शासन अपनी शक्ति का व्यय नागरिकों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक करता है । यूनाइटेड स्टेट्स का आर्थिक और सामाजिक विकास जिन दिशाओं में हुआ है उनके कारण अनेक बड़े नगर बन गये हैं, और फलतः अनेक नगर शासन कई राज्यों की अपेक्षा अधिक बड़ी आबादी की सेवा करते हैं । सन् १९४० में न्यूयार्क शहर की आबादी ७४ लाख थी । और तब ४८ राज्यों में से केवल तीन की आबादी उससे अधिक थी । १९४० में शिकागो की आबादी ३८ राज्यों में से प्रत्येक की आबादी

से अधिक थी ।

नगर की सीमाओं में बड़ी संख्या में लोगों के घने बस जाने से शासन की अधिक पेचीदा और कठिन समस्याएं सड़ी होती हैं । अपेक्षाकृत विरल बसे हुए राज्यों की आबादियों में वैसी समस्याएं नहीं सड़ी होतीं । कहावत है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेज़िडेंट के बाद देश में सबसे अधिक कठिन समस्याओं का सामना न्यूयार्क शहर के मेयर को करना पड़ता है, और इसमें पर्याप्त सबाई है । यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी शहरों में बसती है । इससे जाना जा सकता है, कि राष्ट्र के शासन में म्युनिसिपल शासन :नगरपालिनी सभा: का महत्व कितना अधिक है ।

नगर के शासन का प्रयोजन

घोटी दृष्टि से नगर के शासन का उद्देश्य यह है कि वह एक ऐसे समाज की रचना करे और उसे चलावे जो कि निवास और कार्य करने के लिये उपयुक्त स्थान का काम दे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये म्युनिसिपल शासन :नगर

पालिनी सभा: को अनेक क्षेत्रों में निरीक्षक का और बहुधा संचालन का कार्य करना पड़ता है । लाखों व्यक्तियों के समाज की दैनिक और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का काम विस्तृत भी है और



नगर और करके

अपने स्थानीय मामले आप संभालते हैं

पेचीदा भी । उदाहरणार्थ, पानी पर्याप्त मात्रा में एकत्र करके उसका शहर में ले जाना और आवश्यक ढबाव पर नलों द्वारा शहर के प्रत्येक घर और मकान में पहुंचाना म्युनिसिपल शासन का ही उत्तरदायित्व है । यह सब काम नगर शासन के एक विभाग द्वारा किया जाता है जिसमें ऐसे टेक्नीशियन और इंजिनियर रखे पड़ते हैं जो कि

पम्पिंग स्टेशनों, पानी खाने के उपकरणों, साफ करने के यन्त्रों, भूमि में दबे हुए पानी के नलों की लाइनों और सततसम्बन्धी सब भावी योजनाओं को ठीक ठीक चलाने में समर्थ हों ।

स्वास्थ्य और सफाई : किसी भी शहर के जीवन के लिये पानी के समान ही रहन सहन की स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ परिस्थितियाँ भी आवश्यक हैं । इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये हर एक नगर का शासन अनेक इन्स्पेक्टर रखता है, जो कि सड़े हुए मांस, बिगड़े हुए भोजन और अशुद्ध तथा पानी मिले हुए दूध से नागरिकों का बचाव करते हैं । रेस्टोरेंटों, चायघरों, नानबाइयों की दूकानों और अन्य स्थानों का, जो कि खाने पीने की तैयार वस्तुएं बेचते हैं, नियमपूर्वक निरीक्षण किया जाता है जिससे कि उनको स्वच्छता और शुद्धता के नियत स्टैंडर्ड का पालन करने के लिये विवश किया जा सके ।

अधिकतर नगरों में सार्वजनिक हस्पताल और क्लिनिक होते हैं, जो स्कूलों के बालकों के साधारण स्वास्थ्य की और दांतों इत्यादि की परीक्षा करते हैं । स्कूलों में बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिये विशेष नर्सें भी रखी जाती हैं । ये हस्पताल और क्लिनिक उन लोगों की मुफ्त सेवा करते हैं जो डाक्टर का खर्च नहीं उठा सकते ।

लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये प्रायः प्रत्येक नगर के शासन में एक स्वास्थ्य विभाग होता है । नगर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य रूत की बीमारियों का फैलाव रोकना है । उनका कर्तव्य है कि जहाँ कहीं रोग फूटे, उस स्थान को अन्य स्थानों से पृथक् कर दें, लोगों को इन रोगों से बचाने के लिये विशेष टीकों आदि की व्यवस्था करें, और जहाँ रूत का रोग फैलने की सम्भावना हो उन स्थानों को आषधियों से साफ करवा दें । नगर के सब डाक्टरों के लिये यह कानून है कि वे रूत की बीमारियों के सभी केसों की स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें । स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नगर के जन्मों और मृत्युओं का भी लेखा

रखते हैं और रोगों और मृत्युओं के कारणों का अध्ययन करते हैं ।
कभी कभी किसी मृत्यु का कारण ज्ञात हो जाने पर डाक्टर किसी
महामारी को रोकने में सफल हो जाते हैं ।

नगर शासन कूड़ा कर्कट और अन्य गन्द की सफाई करने पर भी
बहुत ध्यान देता है । नगर को स्वच्छ रखने के लिये यह आवश्यक है
और रोग को रोकने के लिये यह एक आवश्यक सावधानता है । नगर
का शासन स्युअर बनवाता, उनकी मरम्मत करवाता और बरसात
के पानी को निकालने के लिये आवश्यक नालियां बनवाता है ।
वर्तमान स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह जान चुके हैं कि यदि नालियां और
सीवरों :मलमार्गों: की अच्छी व्यवस्था न हो तो मनुष्य बड़ी संख्या
में एकत्र होकर और समीप रह कर अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर
सकते । शहर को स्वच्छ, शान्त और स्वस्थ रखने के लिये नगरों के
अच्छे शासन, धूल, धुआँ, और हल्ता गुत्ता कम करने के लिये भी
यथासाध्य प्रयत्न करते हैं ।

नगरों का मार्ग विभाग: नगर के मार्गों की ज़िम्मेवारी इसी
विभाग की है । यह गलियों को साफ रखता, पटरियों की मरम्मत
कराता, नये मार्गों की योजना तैयार करता और पुरानों की
मरम्मत करवाता है । उन्नतिशाली विभाग नगरों के यातायात और
वहन की समस्याओं का निरन्तर अध्ययन करते रहते हैं और भूमि के
नीचे मार्ग और ऊपर पुल बनाकर ट्रैफ़िक^{की} भीड़ को कम करते रहते
और शहर में आना जाना सरल और सुरक्षित करते रहते हैं ।

पुलिस विभाग : नगर की पुलिस नगर के शासन का महत्वपूर्ण
अंग है । पुलिस का काम व्यवस्था रखना, कानून भंग करने वालों
को खोजना और गिरफ्तार करना तथा कानून का पालन करने वाले
नागरिकों की अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों से रक्षा करना है। प्रायः
सब पुलिस संघटन नगर को ज़िलों या थानों में बाँट कर प्रत्येक में

पुलिसमैनो : सिपाहियों : की एक नियत संख्या तैनात कर दैते हैं । थाना अपने मुहल्ले की पुलिस का केन्द्र होता है और वह शहर की कोतवाली के मातहत और उसके नियन्त्रण में रहता है । थाने के अधिकारी अपने नियत वेश में मुहल्ले का पैदल गश्त लगाते हैं और कहीं कहीं इन पैदल गश्त लगाने वालों की सहायताार्थ ऐसी मोटरें भी रहती हैं जिनमें वाइरलेस सेट लगे रहते हैं । पुलिस अपना गुप्तचर विभाग भी रखती है जो कि सादे कपड़ों में काम करता है ।

बड़े नगरों में पुलिस थानों में ऐसे गुप्तचरों की मंडलियां रहती हैं जिनकी खास ट्रेनिंग होती है और जिन्हें पुलिस के विशेष कामों का अनुभव होता है । जिस प्रकार थाने के पुलिसमैनो को अपने मुहल्ले का परिचय उनके काम में सहायक होता है उसी प्रकार खुफिया पुलिस के कर्मचारियों को विविध प्रकार के अपराधों की जो जानकारी होती है वह अपराधियों को पकड़ने और बहुधा अपराध को रोकने में सहायक होता है । नियत वेशधारी पुलिसमैन बहुधा ट्रैफिक कंट्रोल करते और अन्य अनेक काम निबाहते हैं । अधिकतर पुलिस विभाग ध्यान रखते हैं कि उनके पुलिसमैन कठोर शारीरिक श्रम करने में समर्थ हों, क्योंकि उनका काम ही इस प्रकार का है । उन्हें उन कानूनों की परीक्षा भी पास करनी पड़ती है जिनका उन्हें पालन कराना पड़ता है ।

आग से शहर की रक्षा : मकानों की एक दूसरे से समीपता के कारण नगरों की आबादी में आग का भय बहुत गम्भीर रूप में बना रहता है । अधिकतर नगरों के शासन आग से बचने का दुतरफा इन्तज़ाम करते हैं । इस इन्तज़ाम का एक भाग निरोधक होता है । किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसे बनवाने वाले को नगर के शासन से लाइसेन्स लेना पड़ता है । यह लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि इमारत के नक्शे आदि इमारतों के नियमों के

अनुसार नहीं बनाये जाते । यह नियम बहुधा अनेक प्रकार के हमारती सामान के प्रयोग का निषेध करते हैं, ^{क्योंकि} वह जल्दी जल जाता है । बिजली के तारों को इस प्रकार बन्द करके लगाना चाहिये कि उनसे आग लगने का कम से कम डर रहे । हमारत में कुछ स्थानों पर आग को फैलाने से रोकने की व्यवस्था भी रखनी चाहिये । नकशे में आवश्यक परिमाण में बाहर निकलने के रास्ते और सुरक्षा की अन्य व्यवस्थाएं भी होनी चाहियें ।

यह विभाग तैयार हमारतों का नियमित रूप से निरीक्षण करता और बिजली के तारों, हीटिंग प्लांटों और चिमनियों की परीक्षा करता रहता है । इन्स्पेक्टर यह भी देखते हैं कि पेट्रोल, तेल और अन्य भड़कीले पदार्थ तों मकान में इकट्ठे किये हुए नहीं हैं । बहुत सी म्युनिसिपलिटियां इस निगरानी के अतिरिक्त नागरिकों से नियमपूर्वक अपीलें भी करती रहती हैं कि वे अपने मकानों में कूड़ा कर्ककट, चिथड़े और इसी प्रकार के अन्य जोखिम के सामान एकत्र न करें ।

इसके अतिरिक्त म्युनिसिपलिटियां आगें लगने पर उन्हें बुझाने के लिये शिक्षित आग बुझाने वाली टुकड़ियां रखती हैं । उनका संघटन प्रायः पुलिस विभाग सरीखा होता है । इनको और इनके आग बुझाने के सामान को शहर के अनेक भागों में बांटकर रखा जाता है और वहां यह चौबीस घंटा चुस्त और चौकन्ने रहते हैं ।

शहर और शिक्षण व्यवस्था : प्रत्येक नगर कुछ स्कूल भी चलाता है । इसके लिये उसे प्रारम्भिक स्कूल, और प्रौढ़ों के लिये विशेष स्कूल बनाने और चलाने पड़ते हैं । बहुधा स्कूलों के शिक्षणक्रम में रोज गार के कामों का शिक्षण भी सम्मिलित होता है । इसके लिये वे गूंगों, बहुरों और अन्य प्रकार शरीर से काम्य लोग के लिये श्रेणियां चलाते हैं । नगरों के शासन, पुस्तकालय, वाचनालय, सार्वजनिक

व्याख्यान भवन और अध्यापकों के लिये ट्रेनिंग स्कूल खोल कर भी शिक्षण कार्य में सहायता करते हैं ।

बीमारों और ज़रूरतमंदों की सहायता : समाज का कर्तव्य है कि वह उन रोगियों, बूढ़ों और असहाय व्यक्तियों की सहायता करे जो अपना निर्वाह स्वयं नहीं कर सकते, उसे पागलों, निर्बल मस्तिष्कों, अनाथों और गरीबों की भी सहायता करनी चाहिये । बहुत से नगरों ने अपराधी बालकों को सुधारने के लिये भी कार्य क्रम बनाए हैं ।

नगरों के शासन और भावी विकास : बहुत समय तक यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत पुराने नगर भविष्य के विषय में किसी योजना का विचार किये बिना बढ़ते चले गये । परन्तु हाल के वर्षों में भावी विकास के लिये सोच समझ कर बनायी हुई योजनाओं की आवश्यकता अनुभव की गई है । अब योजना विभाग समाज की सब भावी आवश्यकताओं का ध्यान रख कर चलते हैं । पानी की भविष्य में व्यवस्था, मैले का बाहर फेंकना, गलियों के नक्शे, चुंगी की चौकियां, हवाई अड्डे और इमारती नक्शे यह सब इस विभाग के काम हैं । नगर योजना निर्माताओं ने बिना अपवाद इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि शहर के कुछ भाग रिहायशी मकानों के लिये अलग कर दिये जायें, और कुछ व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नति के लिए । लक्ष्य यह है कि शहर के जीवन का स्तर ऊंचा हो और उसके निवासियों को जीवन की सुविधाओं का और भूमि का अब तथा भविष्य में अधिकतम लाभ प्राप्त हो ।

नगर और मनोरंजन : शहरों की आबादी घनी होने के कारण और शहर में भूमि का मूल्य बहुत ऊंचा होने कारण मनोरंजन की सुविधाएं समाज द्वारा मिलकर कार्रवाई करने से ही उपलब्ध हो सकती हैं । यूनाइटेड स्टेट्स के वर्तमान नगर अपनी सीमाओं में

नागरिकों के लिये उद्यान बनाते हैं, खेलने के मैदान और तैरने के तालाब रखते हैं जिनका उपयोग जनता बिना कुछ दिये कर सकती है । बहुत से शहरों में म्युनिसिपल गोल्फ कोर्ट अथवा टेनिस कोर्ट भी हैं । पुस्तकालय, अनेक प्रकार के अजायबघर और आर्ट गैलरियां तो प्रायः सभी नगरों में हैं ।

सार्वजनिक सेवा कार्य : कई शहरों में गैस, बिजली, टैलीफोन, ट्राम और बस आदि मुहैया कराने वाली कम्पनियां हैं, जो निजी नफे के लिये चलती हैं । नगर इन कम्पनियों का इस प्रकार नियन्त्रण करता है कि इनसे जनता को उचित मूल्य पर अच्छी सेवा प्राप्त हो । कई नगर इस प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं स्वयं करते हैं ।

नगर शासनों का संघटन

यूनाइटेड स्टेट्स के नगरों में शासन संघटन अनेक प्रकार के हैं । परन्तु प्रायः सर्वत्र निर्वचित प्रतिनिधियों की एक केन्द्रीय कौन्सिल होती है जो नगर का कार्य चलाती है । एक मेयर अथवा मैनेजर इस संघटन का प्रधान होता है । मेयर के नीचे महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं जिनमें कार्य बांट दिया जाता है । म्युनिसिपल कर्मचारी इन्हीं के निरीक्षण में कार्य करते हैं ।

नगरों के शासन की साधारण योजनाएं तीन हैं । कुछ नगरों में निर्वचक एक प्रधान अधिकारी का चुनाव करते हैं जो कि मेयर कहलाता है और कानून बनाने के लिये कुछ सदस्यों का चुनते हैं जो कि कौन्सिल कहलाती है और उसके सदस्य साधारणतया एल्डरमैन अथवा कौन्सिलमैन कहलाते हैं । इनका निर्वचन शहर के अनेक ज़िलों में बांट कर किया जाता है जो कि वार्ड कहलाते हैं । अन्य नगरों में निर्वचक कुछ अधिकारियों का चुनाव कर देते हैं और उनसे मिलकर जो शासन समूह बनता है वह कमीशन कहलाता है और भी कुछ शहरों में निर्वचक प्रतिनिधियों का एक छोटा सा समूह नगर के कानून बनाने के लिये चुनते हैं । उनको ही यह विशेष कार्य सौंप दिया जाता है कि वे नगर का एक मैनेजर चुन लें जो कि नगर शासन के प्रधान एग्ज़ेक्युटिव के रूप में कार्य करे । नगर शासन के यह तीन

प्रकार साधारणतया क्रमशः

मेयर कोन्सिल प्लेन

कमीशन फॉर्म आव गवर्नमेंट

और सिटी मैनेजर प्लेन

कहलाते हैं । कई शहरों ने इन तीनों को मिलाकर संघटन का एक नया रूप बना लिया है ।

मेयर कोन्सिल प्लेन

पचास वर्ष पूर्व प्रायः सभी अमेरिकी नगरों में संघटन की मेयर कोन्सिल योजना काम में आती थी । यूनाइटेड स्टेट्स में नगर शासन की यह सबसे पुरानी पद्धति है । कई दृष्टियों से यह राष्ट्र के और राज्यों के संघटनों से मिलती है । मेयर का निर्वाचन जनता करती है और उसको बहुधा बहुत अधिकार होते हैं । वह साधारणतया नगर शासन के विभागाध्यक्षों और बड़ी संख्या में मातहत पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, यद्यपि कहीं कहीं नगर कोन्सिल को यह अधिकार होता है कि वह इनमें से अधिक महत्वपूर्ण नियुक्तियों को पुष्ट या अस्वीकृत करे । मेयर नगर काउन्सिल के निर्णयों को स्वीकार या वीटो कर सकता है । इन निर्णयों को अमल में लाने की ज़िम्मेवारी उसी की है और उसके आधीन इस कार्य में सहायता करने के लिये अनेक अधिकारी रहते हैं । कभी कभी उसे बजट तैयार करना पड़ता है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह काउन्सिल से सल्लाह-मशवरे करता है कि उसकी सम्मति में नगर का धन किस प्रकार एकत्र और व्यय किया जाए ।

नगर शासन के इस स्वरूप में काउन्सिल की स्थिति लेजिस्लेटिव : व्यवस्थापक : सभा की है । काउन्सिल नगर के नियम पास करती है जो आर्डिनेन्स कहलाते हैं, परन्तु उसे ऐसे आर्डिनेन्स पास करने का अधिकार नहीं है जो सिटी चार्टर, राज्य या राष्ट्र के कानूनों

श्रीर राज्य या राष्ट्र के शासन विधान के विरोधी हों । काउन्सिल को अधिकार है कि वह जनता पर लगाने वाले टैक्सों का दर निश्चित करे और मेयर की सलाह से यह निश्चय करे कि नगर के किस विभाग पर और किस प्रयोजन के लिये कितना धन व्यय किया जाए ।

कमीशन योजना का स्वरूप

नगर शासन की कमीशन योजना का स्वरूप मेयर कोन्सिल योजना से नया है । नगर संगठन के इस रूप में निर्वाचन तीन अथवा अधिक कमिश्नरों का चुनाव करते हैं । कमिश्नर साधारणतया जिलों या वाडों में से चुने जाने के स्थान पर सारे नगर से चुने जाते हैं । उनको नगर के लिये कानून बनाने और उन्हें पालन करवाने के दोनों अधिकार दिए जाते हैं । वे शहर पर लगाने वाले टैक्स का दर निश्चित करते और यह निश्चित करते हैं कि नगर का धन किस प्रकार व्यय किया जावे । वे विविध कम्पनियों को लाइसेंस देते हैं जिनके काम का निरीक्षण नगर शासन करता है । कमिश्नरों में से एक को बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये चुना जाता है और वह साधारणतया मेयर कहलाता है, यद्यपि उसके अधिकार प्रायः अन्य कमिश्नरों से अधिक नहीं होते । नगर का काम कई विभागों में बंटा रहता है । इन विभागों का सम्बन्ध प्रायः सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुधार, अर्थ, उद्यान और सार्वजनिक सम्पत्ति आदि से होता है । प्रत्येक कमिश्नर एक या अधिक विभागों के कार्य का निरीक्षण करता और उसके लिये उत्तरदायी होता है ।

सिटी मैनेजर की योजना

सिटी मैनेजर की योजना का प्रयोग सबसे पहले वर्जिनिया राज्य के स्टॉर्टन नगर में किया गया था । इसके बाद इसे अन्य नगरों ने अपना लिया । इसके अनुसार जनता नगर के आर्डिनेन्स बनाने के लिये

छोटी मंडली अथवा कौन्सिल का चुनाव करती है। यही कौन्सिल नगर की अनेक योजनाएं बनाती है। वह इसी कौन्सिल को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपती है कि वह नगर के शासन के अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे पेशेवर शासक को नौकर रख लें जो कि अपने अनुभव और इस प्रकार के कार्य की शिक्षा प्राप्त करने के कारण विशेष रूप से योग्य हो। जनता काउन्सिल को उत्कृष्टतम व्यक्ति चुनने का अधिकार देती है। वह चाहे उनके ही नगर में रहता हो और चाहे बाहर का हो। यह सिटी मैनेजर विभागों के अध्यक्षों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करता है।

कौन्सिल से पास किए हुए आर्डिनेंसों :नियमों: पर अमल कराने के लिये यही मैनेजर उत्तरदायी होता है। यह कौन्सिल को शहर की आवश्यकताओं की रिपोर्ट देता है और वे योजनाएं सुझाता है जिनके अनुसार शहर का धन व्यय किया जाना और शहर में सुधार होने चाहियें। वह बहुधा अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि काउन्सिल उसके कार्य से सन्तुष्ट रहती है।

जनता का अपने नगर के शासन पर नियन्त्रण रहता है, क्योंकि उसकी कौन्सिल मैनेजर को कभीभी पृथक कर सकती है। कुछ नगरों में कौन्सिल के सदस्यों को निर्वाचक निवृत्त्यादेश द्वारा वापिस बुला सकते हैं और यदि लोग उनसे सन्तुष्ट न हों तो आगामी नियमित चुनाव में उन्हें चुनने से इन्कार कर सकते हैं।

नगर की अदालतें

प्रत्येक नगर की अपनी अदालतें होती हैं। इन अदालतों के जज कभी नगर के निर्वाचकों द्वारा चुने जाते हैं, कभी उनकी नियुक्ति नगर की कौन्सिल या कमिशन करता है, कभी राज्य का गवर्नर या कभी कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसको यह अधिकार दे। बड़े नगरों में दीवानी, छोटे प्राजदारी और अन्य छोटे मुकदमे

सुनने के लिये अनेक प्रकार की अदालतें होती हैं ।

नगर के कानून बनाने के अधिकार

नगर के कानून कई प्रकार के होते हैं और वे आर्डिनैन्स कहलाते हैं । उनमें से कुछ का सम्बन्ध नगर के शासन संगठन से होता है । अन्य धन एकत्र करने और व्यय करने, सार्वजनिक इमारतें, उद्यान और गलियां बनवाने और उनको सुरक्षित रखने से सम्बन्ध रखते हैं और अन्य अनेक पानी की सप्लाई के, और ज़मीन के ऊपर और नीचे की नालियों तथा नलों के विषय में होते हैं । अनेक स्वास्थ्य, सुरक्षा, और लोगों के जीवन विषयक होते हैं ।

साधारणतया शहर को गैस, बिजली और रोशनी पहुंचाने और उसमें टेलीफोन, ट्रामकारों और बसों इत्यादि की व्यवस्था का काम प्राइवेट कम्पनियां करती हैं । इनमें से प्रत्येक कम्पनी को नगर के शासन से काम करने का परमिट लेना पड़ता है जो फ्रेंचाइज़ कहलाता है । इसमें लिखा रहता है कि इस कम्पनी को उक्त कार्य करने का अधिकार है ।

अन्य स्थानीय शासन

आरम्भ के दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स के लोग एक दूसरे से अधिक दूर दूर रहते थे और उनकी संख्या अधिक नहीं थी । जो सेवाएं अब शासन की इकाइयां करती हैं तब उन्हें व्यक्ति या उनके छोटे छोटे समूह करते थे । उदाहरणार्थ, तरह कोलोनियों : उपनिवेशों : के दिनों में शहरों में पुलिस बिल्कुल नहीं थी या बहुत कम थी । नागरिक अपने घरों की और सम्पत्ति की निगरानी स्वयं करते थे । नगरों के शासन न सड़कों में रोशनी करते थे और न उनकी सफाई कराते थे । लोगों की जो आवश्यकता होती थी उसकी व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ती थी ।

आज छोटे कस्बों में भी लोग शासन की इकाइयों को सैकड़ों प्रकार की सेवायें करने के लिये कहते हैं। वे इन सेवाओं को स्वयं करने की अपेक्षा इनके लिये टैक्स अदा करना पसन्द करते हैं । वे चाहते हैं कि उनके कस्बे का शासन, गलियों में रोशनी कराये और उनके लिये अच्छे रास्ते बनवाये । वे चाहते हैं कि वह उनकी गलियों की और कुचों की सफाई कराए । वे चाहते हैं कि वह उन्हें अपने घरों की रक्षा के लिये पर्याप्त सिपाही दे । वे चाहते हैं कि उनकी काउंटी : जिले : में कानून भंग करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये एक शेरिफ : जिलाधीश : रहे । वे चाहते हैं कि स्थान को

व्यवस्थित और निवास योग्य बनाने के लिये जो कुछ भी करना आवश्यक है वह सब शासन करे ।

इन सब सेवाओं सेवान्त्रियों को काउंटियों, कस्बों और गांवों के शासन करते हैं । काउंटी राज्य का एक छोटा भाग है और साधारणतया इसमें दो या अधिक कस्बे और कुछ गांव रहते हैं । साधारणतया कस्बों और गांवों की सरकारें शासन की सबसे छोटी इकाइयां होती हैं । शासन की यह इकाई अनेक सेवारं करती है ।

उदाहरण के लिये काउंटी :

स्थानीय चुनाव करवाती है और राज्यों और राष्ट्र के चुनावों में सहायता देती है ।

ऐसी अदालतें चलाती हैं जिनमें मुकदमों की बहस और फैसले होते हैं और अपराधियों को न्याय के लिये पेश किया जाता है । ऐसी अदालतें भी चलाती हैं जिनमें कि उत्तराधिकार और जायदादों सम्बन्धी मामले पेश होते हैं ।

टैक्स का दर निश्चित करती है जिससे कि उसके अपने व्ययों के लिये धन एकत्र हो सके । अपने टैक्स एकत्र करती है और शासन की दूसरी इकाइयों के टैक्स एकत्र करने के लिये एजेंट का काम करती है ।

अपने स्कूल बनाती और चलाती है, परन्तु बहुधा राज्य की सहायता से ।

उसकी सीमा में जो जन्म, मृत्यु और विवाह होते हैं उनका सरकारी लेखा रखती है, ।

लोगों के मूल्यवान कागज़ों की नकल रखती है । इन कागज़ों में वे दस्तावेज़ जिनसे सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्व सिद्ध होता है, वे रहन्नामे, जिनसे कि कर्ज़ का लिया जाना और उत्तमर्ष के अधिकारों की रक्षा होती है, और अदालतों के फैसले भी सम्मिलित हैं ।

साधारणतया अपने यहां के गरीबों, बूढ़ों और अनाथों की

सहायता करती है ।

स्वास्थ्य और स्वच्छता की रक्षा में सहायता करती है ।

कई प्रकार के लाइसेन्स और परमिट देती है ।

अपनी सीमा में सड़कें, पुल, और पुलों के ऊपर और नीचे से गुज़रने वाले रास्ते बनवाने और उनकी परम्पत करवाने में अपना हिस्सा अदा करती है ।

साधारणतया कचहरी जेल और इसी प्रकार की अन्य सार्वजनिक इमारतें रखने में मदद करती है ।

प्रत्येक काउंटी में एक कस्बा होता है जो 'काउंटी सीट' कहलाता है । और वह काउंटी के शासन का सदर मुकाम होता है, काउंटी के अधिकारियों के दफ्तर साधारणतया काउंटी सीट में काउंटी बिल्डिंग या काउंटी कोर्ट हाउस में होते हैं ।

साधारणतया कमिश्नरों या निरीक्षकों का एक बोर्ड होता है जो काउंटी के शासन के लिये उत्तरदायी होता है । यह बोर्ड छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी । यदि छोटा हो तो साधारणतया इसके सदस्यों का चुनाव सारी काउंटी के निर्वाचक मिलकर करते हैं । यदि बड़ा हो तो साधारणतया इसका निर्माण काउंटी के कस्बों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से होता है ।

कुछ अधिकारी, जो कभी निर्वाचित होते हैं और कभी नियुक्त बोर्ड के काम में सहायता देते हैं । उनके अधिकार और कर्तव्यों का निश्चय राज्य का कानून करता है ।

सरकारी स्टर्नी, शेरिफ और कारोन्जर

:सरकारी प्रतिनिधि, ज़िलाधीश और अपमृत्यु के कारण का अन्वेषण करने वाला अफसर :

सरकारी वकील अथवा प्रासीक्युटिंग स्टर्नी काउंटी का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है । उसका कर्तव्य कानून का पालन कराना होता है । वह सन्दिग्ध कानून भंग करने वालों के विरुद्ध अभियोग

तैयार करता है । मुकदमा चलाने की अनुमति :इंडिक्टमेंट: प्राप्त करता है और अदालत में जनता की ओर से वकालत करता है ।

कम महत्वपूर्ण मुकदमे "जस्टिस आव दी पीस" :न्यायाधीश: के सामने सुने जाते हैं जो कि साधारणतया कस्बे का निर्वाचित अधिकारी होता है ।

काउंटी का एक और महत्वपूर्ण अफसर है शेरिफ :जिलाधीश:। वह काउंटी का प्रधान पुलिस अधिकारी होता है और अपने इलाके की व्यवस्था रखने की ज़िम्मेवारी उसी की है । वह अपराधियों का पता लगाता और उन्हें पकड़ता है । वह काउंटी की जेल का निरीक्षक भी होता है । वह गवाहों और ज़रज़ :पंचों: को सूचना देता है कि उन्हें अदालत में कब उपस्थित होना चाहिये । जो लोग टैक्स अदा नहीं करते उनकी सम्पत्ति को भी जज की आज्ञा से वही बेचता है ।

शेरिफ़ को अधिकार है कि वह काउंटी में किसी भी व्यक्ति को आज्ञा दे सकता है कि अपराधी को पकड़ने में या आम कानून भंग होने पर कानून और व्यवस्था की रक्षा में सहायता करे । यदि आवश्यकता हो तो वह गवर्नर से भी सहायता मांग सकता है । ऐसे मामलों में, विशेषतः बड़े फगड़े हो जाने पर, गवर्नर व्यवस्था के लिये और स्थानीय पुलिस के अधिकार अपने हाथ में ले लेने के लिये स्टेट मिलिशिया :जो कि नेशनल गार्ड कहलाते हैं : का काउंटी में भेज सकता है ।

कोरोनर वह अधिकारी है जिसे कि सन्दिग्ध अवस्थाओं में अथवा अकस्मात् आघात पहुंचने से हुई मृत्यु की जांच का काम सुपुर्द किया जाता है । वह चाहे तो इस प्रकार की मृत्यु का कारण जांचने और तथ्य का पता लगाने में सहायता देने के लिये नागरिकों की एक जूरी भी बुला सकता है ।

काउंटी के कोषाध्यक्ष, ऑडिटर और असेसर :

: जिला के कोषाध्यक्ष, हिसाब की जांच करने वाला, और कर निश्चित करने वाला पंच:

काउंटी का कोषाध्यक्ष साधारणतया काउंटी का धन लोगों से लेता, उसे सम्भाल कर रखता और देता है। कभी कभी एसिस्टेंट कलेक्टर भी उसकी सहायता करते हैं। टैक्स के धन में जो भाग राज्य नगर और कस्बे का होता है उसे वह उनके अधिकारियों को दे देता है, और शेष धन से वह काउंटी के शासन का व्यय चलाता है।

बहुधा काउंटियों का एक ऑडिटर भी होता है जिसका काम काउंटी के अन्य अधिकारियों के गवर्दी हिसाब की जांच करना होता है।

कुछ काउंटियों में असेसर होते हैं जिनका काम काउंटी में टैक्स लगने योग्य सब जायदादों को देखना और उनका मूल्य आंकना होता है। जायदादों का मूल्य निर्धारित करके वे, काउंटी बोर्ड अथवा काउंटी के कोषाध्यक्ष को, यह निश्चय करने में सहायता देते हैं कि किस जायदाद के स्वामी से कितना टैक्स वसूल करना चाहिये।

बहुधा एक विशेष बोर्ड अथवा अधिकारियों का एक समूह उन करदाताओं की अपीलें सुनता है जिन्हें कि यह शिकायत होती है कि असेसर ने उनकी सम्पत्ति का मूल्य बहुत अधिक आंका है। बोर्ड को अधिकार है कि वह इस मूल्य को घटा दे, असेसर के मूल्य से सहमत रहे अथवा उसे बढ़ा दे।

काउंटी का एक क्लर्क काउंटी के जन्मों, मृत्युओं और विवाहों का लेखा रखता है। वह दस्तावेजों, रहननामों, और साधारणतया उन उत्तराधिकार पत्रों का लेखा रखता है जो कि काउंटी का सरकारी लेखा रखने के लिये उसके सुपुर्द किये जाते हैं। यह सार्वजनिक लेखा बनाते हैं। और उनसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सम्पत्ति के स्वामित्व के विषय में सच्ची जानकारी प्राप्त कर सकता है।

अधिकतर काउंटियों में एक स्कूल सुपरिन्टेंडेंट हाता है, जो पढ़ाई का निरीक्षण करता, अध्यापकों के चुनाव में सहायता करता और राज्य के स्कूल सुपरिन्टेंडेंटों : निरीक्षकों : से सहयोग करता है । कहीं कहीं हेल्थ आफिसर : स्वास्थ्य अधिकारी : और गरीबों की सहायता करने के लिये गरीबों के ओवरसियर भी होते हैं । कुछ काउंटियों में सड़कें बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिये रोड कमिश्नर और कहीं कहीं और अधिकारी भी होते हैं ।

प्रत्येक काउंटी, कम से कम एक अदालत और उसका काम चलाने के लिये आवश्यक न्यायाधिकारी रखती है । अदालत की इमारत काउंटी की अपनी होती है, परन्तु कभी कभी उसका काम चलाने वाले जज उस काउंटी के निवासी नहीं होते । वे राज्य की न्याय व्यवस्था का भाग होते हैं और एक से अधिक काउंटियों में जाकर कचहरी करते हैं । कई राज्यों में कई कई काउंटियों का मिलकर, न्याय के प्रयोजन से, एक ज़िला अथवा एक सर्किट बना दिया जाता है, और उनमें से प्रत्येक में एक या अधिक जज रहते हैं । कुछ राज्यों में इन जजों की नियुक्ति गवर्नर अथवा धारासभा करते हैं । अन्य राज्यों में यह जज मत दाताओं द्वारा निर्वाचित होते हैं ।

काउंटी के मैनेजर

की योजना

हाल के वर्षों में कई काउंटियों ने अपने शासन संघटन में परिवर्तन कर लिया है । इन काउंटियों के मतदाता कमिश्नरों का एक शोटा बोर्ड चुनते हैं । यह बोर्ड एक काउंटी मैनेजर को नोकर रख लेता है । बोर्ड एक ऑडिटर और एक सरकारी स्टॉफ भी रखता है । प्रायः अन्य सब अधिकारी मैनेजर द्वारा नियत किये



ग्राम्य कचहरी

जाते हैं । वह उन सबके काम के लिये और काउंटी का सारा शासन चलाने के लिये ज़िम्मेवार होता है ।

कस्बों और गांवों के शासन

न्यू इंग्लैंड के कुछ कस्बों में वर्ष में कम से कम एक बार सब मत-दाता एकत्र होते हैं और स्थानीय गलियों, सड़कों, पुलों, स्कूलों और अन्य इसी प्रकार के मामलों के विषय में अपने कानून आप बनाते हैं । वे टैक्सों का दर निश्चित करते और यह तय करते हैं कि धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा । वे कानूनों का पालन कराने के लिये अधिकारियों का चुनाव करते हैं । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का यह एक मनोरंजक उदाहरण है जिसमें जनता कानून बनाने का अपना अधिकार किसी प्रतिनिधि तक को नहीं सौंपती ।

न्यू इंग्लैंड के अन्य कस्बों में, और देश में सर्वत्र 'जस्टिस आवा दि पीस', कान्स्टेबल और रोड सुपरवाइज़र : सड़क निरीक्षक : आदि अधिकारी मत-दाताओं द्वारा चुने जाते और कस्बों के मामलों की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत किए जाते हैं ।

कुछ राज्यों में कस्बों का काम केवल चुनाव के ज़िलों की सीमा निर्धारित करना होता है ।

गांव या कस्बा एक छोटे नगर के समान होता है। दोनों राज्य के शासन को प्रार्थनापत्र देते हैं कि हमें गांव या कस्बे का शासन स्थापित करने की अनुमति दे दी जाय । जब यह अधिकार प्राप्त हो जाता है तब वह बस्ती 'इनकॉर्पोरेटिड' गांव या कस्बा कहलाने लगती है ।

गांव या कस्बे का शासन केवल स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान देता है । वह :

गलियों को पक्की करा सकता और उनमें रोशनी कर सकता है ।

पानी की व्यवस्था कर सकता है ।

पुलिस का और आग बुझाने का इन्तज़ाम कर सकता है ।

स्थानीय स्वास्थ्य के नियम बना सकता है ।

बूढ़ा कर्कट, नाले नालियों की मल और अन्य गन्दगी को हटाने की व्यवस्था कर सकता है ।

राज्य, काउंटी, अथवा स्कूलों के ज़िला अधिकारियों के साथ अपने यहां अच्छे स्कूल चलाने के लिये सहयोग कर सकता है ।

और इन सेवाओं का खर्च चलाने के लिये टैक्स की विशेष दर भी निश्चित कर सकता है ।

ग्रामों या कस्बों का शासन साधारणतया गांव या कस्बे या काउन्सिल के हाथ में होता है । कभी कभी इसको बोर्ड आब ट्रस्टीज़ का नाम भी दिया जाता है । सदस्यों का निर्वाचन जनता करती है । कोई कोई गांव और कस्बे प्रेज़िडेंट या मेयर का चुनाव भी करते हैं और उसको विशेष अधिकार सौंपते हैं । साधारणतया गांव या कस्बे का एक क्लर्क, एक हेल्थ आफिसर और एक पुलिस आफिसर रहता है । ये अधिकारी गांव या कस्बे के लोगों को उनके स्थानीय स्वशासन में सहायता देते हैं ।

शासन द्वारा सेवाओं का कार्य है टैक्सों :कर: का भार

संघ, राज्य, नगर, काउंटी, कस्बे और गांव के शासनों की विविध इकाइयां जो अनेक सेवाएं करती हैं, उनमें धन की पर्याप्त राशियों का व्यय होता है। संघीय शासन उन सेवाओं को करने के लिये, जो कि जनता ने उसके सुपुर्दे की हैं, बीस लाख से अधिक पूरा समय काम करने वाले कर्मचारियों को रखता है। राज्य, नगर, और स्थानीय शासन भी हजारों को रखते हैं। शिक्षण, बेकारी और बुढ़ापे का बीमा, कृषि पदार्थों के मूल्यों में बहुत उतार चढ़ाव न होने देने के लिये आर्थिक सहायता, पब्लिक वर्क्स :सार्वजनिक कार्य: भूमि सुधार योजनाएं, सार्वजनिक मार्ग, सेना, बूढ़े सिपाहियों की सहायता और इसी प्रकार के अन्य कामों में धन का असाधारण व्यय होता है।

इन भारी व्ययों में वे व्यय भी शामिल कर लेने चाहियें जो कि द्वितीय महायुद्ध के समय लिये हुए सरकारी कर्ज को चुकाने में, राष्ट्र की वैदेशिक ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करने में और अन्य राष्ट्रों को स्वावलम्बी बनाने के लिये यूनाइटेड स्टेट्स आव अमेरिका कर रहा है।

१ जुलाई १९४६ को शुरू होने वाले आर्थिक वर्ष के लिये प्रेजिडेंट

के बजट में, संघ का समस्त व्यय ४२ अरब डालर अर्थात् २ खरब ८ अरब ७५ करोड़ रुपये रखा गया है । आवश्यक धन एकत्र करने के लिये अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, परन्तु परिणामतः धन प्राप्ति का स्रोत एक ही रहता है अर्थात् यूनाइटेड स्टेट्स की जनता ।

आदिकाल से टैक्स का अदा करना एक कष्टजनक कर्तव्य रहा है । और यूनाइटेड स्टेट्स की जनता भी दुनिया भर के कर दाताओं के समान टैक्स की अदायगी की बात सुनकर लीजती है । अमेरिकी क्रान्ति की चिन्तारि एक कर ने ही लगाई थी । यह टैक्स था चाय पर, जो कि ब्रिटिश राजा ने कोलोनियों :उपनिवेशों: को अदा करने की आज्ञा दी थी और जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे ।

यूनाइटेड स्टेट्स की जनता आज संसार के पुनरुद्धार के लिये आश्चर्य जनक व्यय का बहुत बड़ा भाग अदा कर रही है । इससे उसके शासन का व्यय उसके इतिहास में अभूतपूर्व हो गया है और उसे इसके लिये अपनी जेबों में बहुत गहराई तक हाथ डालना पड़ा है । इससे स्वशासन में उनके विश्वास की दृढ़ता और उनकी यह इच्छा प्रकट होती है कि संसार के सब देशों के स्वतन्त्र निरीय के स्वभाग्य निरीय में वे दिलना सहायक होना चाहते हैं ।

इस समय अमेरिकन जनता के सामने उपस्थित समस्याओं में यह स से कठिन है कि जनता के कुछ भागों पर बिना बहुत बोझ डाले और लोगों की क्रय शक्ति को बिना नष्ट किए अथवा व्यापारिक उत्साह को बिना मन्द किए, अपनी आन्तरिक और वैदेशिक ज़िम्मेवारियों का निर्वह करने के लिये आवश्यक धन कैसे एकत्र किया जाए । उनके शासन की विविध इकाइयां इस समस्या का हल अपनी वजट पद्धति से करती हैं । शासन की प्रत्येक एग्ज़ेक्युटिव शाखा अपने प्रत्येक विभागाध्यक्ष से उसकी आगामी वर्ष की आवश्यकताओं का सावधानतापूर्वक तैयार किया हुआ एक अनुमान प्राप्त कर लेती है।

फिर एग्ज़ेक्युटिव :जो कि प्रेज़िडेंट, गवर्नर अथवा मेयर हो सकता है:

प्रत्येक विभाग की धन की प्रार्थना की परीक्षा करते हैं, उसमें अपने आर्थिक सलाहकारों की सहायता भी लेते हैं। और देखते हैं कि उस में अनावश्यक व्यय अथवा फजूलखर्ची तो नहीं है। इसके बाद यह एग्जिक्युटिव अन्दाज करता है कि सब कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आवेगा। तत्पश्चात् संघीय शासन के मामले में, बजट कांग्रेस की स्वीकृति के लिये उपस्थित किया जाता है। अब एक बार पुनः विविध विभागों और योजनाओं के अनुमानित व्ययों की सावधानतापूर्वक परीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय कांग्रेस में हाउस आब रिप्रेजेंटेटिव्स की एप्रोप्रिएशन कमिटी : व्यय विनियोग समिति: सब प्रधान और गौण व्ययों के विषय में, विस्तारपूर्वक लोगों की सम्मतियाँ सुनती है। यह कमिटी अपनी सिफारिश हाउस से करती है। यह पहले लिखा ही जा चुका है कि आय की वसूली के लिये सब बिल आरम्भ करने का अधिकार एकमात्र इसी सभा को है। शासन की अन्य इकाइयों में, बजट सम्बन्धी मामलों का भुगतान, गवर्नर और राज्य की धारासभा, मेयर अथवा सिटी मैनेजर और अधिकारियों के स्पेशल बोर्ड और काउंटी या कस्बे के बोर्ड करते हैं।

सरकारी आमदनी के स्रोत



संघीय सरकार अपनी आमदनी अनेक प्रकार के करों से प्राप्त करती है। सबसे अधिक आमदनी के साधन ये हैं :

इन्कम टैक्स: यह व्यक्तियों और व्यापा-

आय पर टैक्स देने वाले, रिक संगठनों की आमदनी पर लगाया जाता है। टैक्स का दर आय के अनुसार बढ़ता जाता है। ध्यान यह रखा जाता है, कि टैक्स का परिमाण व्यक्ति अथवा व्यापारिक संस्था की अदा करने की सामर्थ्य के अनुसार रहे। टैक्स देने वालों को

कठिनाइयों के प्रयोजन से बचाने के लिये, आश्रितों, व्ययों, और व्यापारिक हानि के मद में आय में से कुछ कमियां कर दी जाती हैं।

उत्तराधिकारी टैक्स: यह टैक्स बड़ी बड़ी जागीरों के उत्तराधिकारियों अथवा उनसे लाभ उठाने वालों पर लगाया जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे को घन अथवा सम्पत्ति की बहुत बड़ी भेंट देता है तब उस पर भी इसी प्रकार टैक्स लगाया जाता है।

एक्साइज टैक्स : उत्पादन कर: यह टैक्स कारखानों में बने हुए माल पर विशेषतः, शराबों, सिगरेटों, ताश के पत्तों, यात्रा सम्बन्धी सामानों और बिजली के बल्बों पर लगाया जाता है।

कस्टम ड्यूटी : तट-कर: यह टैक्स विदेशों से आने वाले माल पर लगाया जाता है।

कारपोरेशन टैक्स : संस्था कर: यह कारपोरेशनों पर उनकी पूंजी के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है।

मनोरंजन और विलास टैक्स : यह मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के टिकटों के मूल्य के रूप में, रोयेदार खालों, रत्नों और सुगन्धित वस्तुओं आदि विलास सामग्रियों के मूल्य में जोड़ दिया जाता है।

ट्रांसफर टैक्स : यह शेयरों और बौंदों आदि की बिक्री अथवा परिवर्तन पर लिया जाता है।

स्पेशल पर्पस अथवा विशेष प्रयोजन का टैक्स : यह टैक्स विशेष प्रयोजनों पर खर्च करने के लिये लगाया जाता है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स : सामाजिक सुरक्षा कर: यह कर्मचारियों के वेतन से वसूल किया जाता है। कर्मचारियों के अतिरिक्त इस कर का कुछ भाग मालिकों से पे रोल टैक्स : वेतन वितरण कर: के रूप में वसूल किया जाता है। उसे एक अलग फंड के रूप में रख दिया जाता है जिसमें से वेंरोज़गारी के समय अथवा बुढ़ापे में श्रमिकों की सहायता की जाती है।

सरकार की आमदनी का प्रधान स्रोत टैक्स ही हैं, परन्तु संधीय आय के अन्य अनेक प्रकार हैं। उदाहरणार्थ, पानामा की नहर मेंसे जो जहाज़ गुज़रते हैं उनसे वसूल होने वाला टोल :मार्ग से गुज़रने का कर: सरकारी कोष में जाता है। सरकार सार्वजनिक भूक़्रियों पर चरने के अधिकार अथवा लकड़ी काटने के अधिकार देने के लिये भी कुछ वसूल करती है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सरकार ने युद्ध से बचे हुए फालतू सामान की बिक्री से बहुत बड़ी धन राशियां प्राप्त की थीं।

राज्यों की आय

राज्य अपने शासन और सेवा सम्बन्धी ज़िम्मेदारियों का निर्वह करने के ^{लिये} अनेक प्रकार से कर ~~स्वा~~ करते हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के टैक्स हैं, जो कि स्थानीय परिस्थितियों और राज्य के शासन की आर्थिक दशा के अनुसार बदलते रहते हैं। यत्न किया जाता है, कि संधीय, राज्य, म्युनिसिपल, काउंटी और कस्बे के शासन बार बार एक ही स्रोत से कर वसूल न करें। परन्तु आवश्यकता से विवश होकर शासन के विविध स्तर एक ही स्रोत को दुबारा टैक्स लगाने से नहीं बचा पाते।

राज्यों के टैक्स साधारणतया निम्न लिखित हैं :

सम्पत्ति टैक्स : यह भूमि, इमारतों, और साज सज्जा पर लगाया जाता है।

उत्तराधिकार टैक्स : प्रायः सभी राज्य मृत नागरिकों की जायदाद पर लगाते हैं।

इन्कम टैक्स : इसका दर संधीय इन्कम टैक्स से बहुत कम होता है।

व्यापार टैक्स : राज्य की अन्तर्वर्तीय कम्पनियों और

कार्पोरेशनों की आमदनियों पर लगाया जाता है ।

फ्रेंचाइज टैक्स: उन प्राईवेट व्यापारिक संस्थाओं पर लगाया जाता है जिनको अपने काम काज में सार्वजनिक मार्ग आदि सार्वजनिक सम्पत्तियों का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है ।

गैसोलीन टैक्स : यह पेट्रोल की फुलर बिक्री पर लगाया जाता है, और बहुधा इसे लगाने का अधिकार केवल सड़कों की मरम्मत आदि का खर्च करने के लिये दिया जाता है ।

बिक्री कर : कई राज्य सभी फुलर बिक्रियों पर यह टैक्स लगा देते हैं ।

स्पेशल असेसमेंट: यह टैक्स पटरियों, ज़मीन के नीचे के नालों और अन्य इसी प्रकार के सुधारों, उन भूमियों और इमारतों पर लिया जाता है जिनका मूल्य इन सुधारों के कारण बढ़ गया हो ।

अनेक प्रकार की फीसें, टोल और जुर्माने : इनमें इस प्रकार की छोटी छोटी आमदनियां शामिल हैं जैसे कि दस्तावेजों की रजिस्ट्री, नहरों, पुलों और नावों के प्रयोग की चुंगी और छोटे छोटे अपराधों के लिये दंडित व्यक्तियों पर जुर्माने ।

इन टैक्सों के अतिरिक्त बहुत से राज्य संघीय शासन से ग्रांटें अनुदान भी पाते हैं और विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय करने के लिये विशिष्ट धन राशियां भी उनको दी जाती हैं ।

स्थानीय शासनों की आय

सिद्धान्ततः स्थानीय शासनों की इकाई का मुख्य स्रोत वे ज़मीन जायदादें समझी जाती हैं जो जिस इकाई के शासन क्षेत्र में पड़ती हैं, कभी कभी इन जायदानों से प्राप्त हुए टैक्स में राज्य भी हिस्सा लेता है । इसके बदले में राज्य नगर, काउंटी या कस्बे को शिक्षण, सड़क बनाने, या अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता देता है। स्थानीय शासनों की आमदनी के सूत्रों में निम्न

भी सम्मिलित हैं :

स्थानीय पब्लिक सर्विस कम्पनियों की आमदनी पर टैक्स ।

राज्यों द्वारा लगाए हुए फ्रैंचाइज़ टैक्सों के समान टैक्स ।

फुटकर बिक्रियों पर बिक्री टैक्स ।

बड़े बड़े व्यापारिक लेने देनों पर थोक बिक्री टैक्स ।

सुधारों के लिये स्पेशल असेसमेंट : विशेष कर : ।

संघीय सरकार जो मनोरंजन टैक्स लगावे, उसी के समान कर ।।

लाइसेंस और परमिट की फीस, विवाहों, मोटरकारों, कुओं शिकार और मश्ली पकड़ने के लाइसेन्सों, सिगरेट शराब आदि वस्तुएं बेचने के लाइसेन्सों और सिनेमा आदि मनोरंजन के स्थानों को चलाने के लिये लाइसेंस की फीस ।

प्रत्येक अमेरिकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन का व्यय उठाने में सहायता करता है । - किसी जायदाद का किरायेदार जो किराया अदा करता है उसका कुछ भाग ज़मीन या जायदाद के टैक्स के रूप में शासन वसूल कर लेता है । प्रत्येक ग्राहक जो कुछ खरीदता है उसका कुछ प्रतिशत अन्ततः टैक्स क्लैक्टर की थैली में पहुँच जाता है । मजदूरी कमाने वाला प्रति सप्ताह अपनी मजदूरी में से जो स्वल्प राशि कटवाता है वह सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी : और बेरोज़गारों की सहायता का खर्च : अन्रम्प्लायमेंट कम्पेंसेशन टैक्स : उठाने में सहायक होता है । इन टैक्सों को वस्तुतः टैक्स न कह कर बीमा पौलिसियों का प्रीमियम कहना चाहिये ।

जनता अपने शासन से जितनी अधिक सेवाओं और सुविधाओं की मांग करेगी, उतने ही शासन के व्यय बढ़ेंगे, परन्तु वस्तुतः व्यवहार में जो व्यक्ति जिस प्रजातन्त्र में रहता है उसकी रुचि अपनी सरकार के प्रोग्रामों में टैक्स के बिलों से बढ़ती और तीव्र होती रहती है । यह प्रोग्राम भी वस्तुतः उसके अपने ही होते हैं, चाहे वह स्वदेश के विषय में हो, चाहे विदेश के विषय में । टैक्स अदा

करते हुए उसको सदा स्मरण कराया जाता रहता है कि यदि उसे अपने प्रोग्राम पूरे करने हों तो उनके लिये उसको खर्च भी देना चाहिये ।



प्रजातन्त्र शासन के आधारभूत सिद्धांत

यूनाइटेड स्टेट्स की स्वशासन पद्धति का संचालन कुछ मौलिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। उनमें से कुछ राष्ट्र की अपनी आन्तरिक विशेषताओं से उद्भूत होते हैं और कुछ उन मौलिक कल्पनाओं को लागू करने से उत्पन्न होते हैं जो कि प्रस्तावना में प्रकट की गई हैं।

न्याय की प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता की आशाओं की रक्षा का यह सिद्धान्त है कि सब मनुष्य समान हैं, और उनके अनेक अधिकार अनपहरणीय हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कानून की सर्वोच्चता भी अत्यन्त आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता, वे चाहे कितने ही धनी, बलशाली, अथवा किसी भी स्थिति के क्यों न हों, और न किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से कानून की सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं को और मत देने के अधिकार को कम किए बिना, इन और अन्य मौलिक सिद्धान्तों को स्वशासन की एक व्यवहार्य और कुशल योजना में परिणत करने के लिये, कुछ व्यवहार के सिद्धान्त स्थिर कर लेने की आवश्यकता थी। राष्ट्र के भौतिक आकार और आबादी ने स्वशासन को उसके शाब्दिक अर्थों में असम्भव बना दिया था। इसलिये एक व्यावहारिक विकल्प के रूप

में प्रतिनिधि शासन का सिद्धान्त निर्धारित किया गया।

निर्वाचक सार्वजनिक पदों के लिये उम्मीदवारों की एक सूची चुन लेते हैं और वही शासन में उनके प्रतिनिधि होते हैं। इन निर्वाचित अधिकारियों को और निर्वाचित अधिकारियों द्वारा नियुक्त शासकों को अप्रत्यक्ष रूप में वे कुछ अधिकार सौंपते हैं।

सिद्धान्त में और व्यवहार में, कोई भी सार्वजनिक अधिकारी जनता द्वारा दिये हुए अधिकार का प्रयोग तभी तक करता है जब तक कि जनता उसके व्यवहार से सन्तुष्ट रहती है। जनता के पास, अपने प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण रखने और उन्हें यह स्मरण कराने के लिये अनेक साधन हैं, कि वे जनता के नेता तो हैं पर साथ ही उसके सेवक भी हैं।

निर्वाचन, इस नियन्त्रण के विधिवत प्रकाशन का ही तो एक रूप है। किसी पद का उम्मीदवार जिन निर्वाचकों से अपने समर्थन की अपील करता है उनके सामने वह एक कार्यक्रम उपस्थित करता है जिसमें कि सामयिक समस्याओं पर उसके विचार प्रकट किए रहते हैं। जो अधिकारी पुनर्निर्वाचन के लिये आन्दोलन कर रहा होता है वह इसी मार्ग पर चलने के अतिरिक्त अपने पूर्व कार्यालय का विवरण भी निर्वाचकों के सामने पेश करता है। पद पर रहते हुए अधिकारी यह नहीं भूल सकते कि आगामी निर्वाचन में हमें एक राजनैतिक न्याय दिवस :डे आव जर्मेंट: का सामना करना पड़ेगा। और यह विचार उनके व्यवहार को सदा नियन्त्रित करता रहता है।

कुछ काल पश्चात् होने वाली निर्वाचनों की परिक्षाएं हीं अधिकारी को यह स्मरण कराने का एकमात्र साधन नहीं होतीं कि वह अपने पद पर निर्वाचक की इच्छानुसार ही बना हुआ है। औसत नागरिक, अपने प्रतिनिधि तक, शासन या नीति के विषय में अपने वैयक्तिक विचार पहुंचा कर यह कार्य करता रहता है। यह कोई असाधारण बात नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी सेनेटर या

रिप्रेजेंटेटिव के पास अपने निर्वीचकों की ओर से कांग्रेस के सामने उपस्थित विचार या बिल के विषय में सेंकड़ों पत्र, एक ही दिन में आ जायें ।

यह भी आम रिवाज है कि निर्वीचकों के प्रतिनिधि स्वयं सरकारी अधिकारी के पास जा कर वर्तमान अथवा भावी समस्याओं के विषय में अपने विचार प्रकट कर देते हैं । यह प्रतिनिधि व्यापारिक संस्थाओं के, नागरिकों अथवा राज्यों के समूहों के, लेबर यूनियनों : मजदूर संगठनों : और अन्य अनेक ऐसी इकाइयों के प्रतिनिधि हो सकते हैं जो सार्वजनिक मामलों में रुचि लेती रहती हैं ।

यह व्यक्तिशः केवल अपने ही विचार पेश करने वाले भी हो सकते हैं । इनकी बात साधारणतया अनसुनी नहीं जाती । जब धारासभा की बैठक नहीं हो रही होती अथवा अधिकारी जनता के बात सुनने या जांच करने की जिम्मेवारियों में उलझा हुआ नहीं होता तब वह उलटी क्रिया कर सकता है, अर्थात् राय्य या जिलों में घूम कर वह स्वयं निर्वीचकों के पास जा कर उनका मत जान सकता है ।

रेडियो का और समाचार पत्रों का निर्वीचक के साथ जो सम्बन्ध है उसके कारण विचार पत्र और समाचार पत्र, अधिकारियों के कार्य पर दो प्रकार से प्रभाव डालते रहते हैं । यद्यपि साधारणतया किसी भी पत्र की नीति और सम्पादकीय दृष्टिकोण उसके मालिक और प्रकाशक द्वारा ही निश्चित होते हैं । तथापि उसका जीवन उसके पाठकों पर ही आश्रित होता है । उसके पाठक वे नागरिक होते हैं जो उसे खरीदते और पढ़ते हैं । इसी प्रकार रेडियो का जीवन उसे सुनने वाली जनता होती है । इसलिये किसी हद तक, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो अपने पाठकों और श्रोताओं की सम्पत्तियों से प्रभावित होते हैं । और इसके कारण सरकारी अधिकारी को भी इनकी बात सदा ध्यान से पढ़नी और सुननी पड़ती है ।

इसके साथ ही पत्र पत्रिकाएं और रेडियो जो समाचार और सूचनाएं प्रकाशित करते हैं उनमें बहुत शासन सम्बन्धी विषयों पर होते हैं। इस प्रकार यह स्वाभाविक है कि उनका मत दाताओं पर बहुत प्रभाव पड़े और उसकी सम्मति बनाने में भी उनका बड़ा भाग रहे। अतः रेडियो और पत्र पत्रिकाएं शासनाधिकारी के वांछनीय मित्र भी हैं और भयानक विरोधी भी। और वह इसी कारण, उन्हें अपने मार्ग दर्शक की दृष्टि से देखता है।

यद्यपि यूनाइटेड स्टेट्स में शासन एक बहुत बड़ा और पेचीदा यन्त्र बन गया है, तथापि इन विविध शासनों द्वारा मतदाता अनुसरदायी शासन की जोखिम से अपना बचाव करता और शासन की बागडोर दृढ़ता से अपने हाथ में रखता है।

यूनाइटेड स्टेट्स के सारे ढांचे में, प्रजातन्त्र अधिकार का सावधानतापूर्वक किया हुआ एक विभाजन है। और अमेरिकन पद्धति के आधार का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है संघ शासन की तीनों प्रधान शाखाएं, लेजिस्लेटिव, एग्ज़ेक्युटिव और जूडिशिशियल अर्धस्वतन्त्र हैं। तो भी

इनमें से प्रत्येक को शेष दोनों पर कुछ अधिकार दिया गया है। एग्ज़ेक्युटिव कांग्रेस के किसी बिल को वीटो द्वारा रद्द कर सकता है। अथवा न्याय विभाग किसी कानून को विधान विरुद्ध ठहरा सकता है। इसके विपरीत, कांग्रेस अन्य दोनों शाखाओं पर भारी प्रभाव



राज-सभा भवन

रखती है। सरकार की थैली का मुंह खोलना बन्द करना इसी के हाथ में रहता है और न्याय तथा एग्ज़ेक्युटिव विभागों की नियुक्तियां सेनेट की अनुमति के बिना नहीं हो सकतीं।

स्वयं कांग्रेस के संगठन में भी इसी सिद्धान्त पर अमल होता है। प्रत्येक सभा को ऐसे विशेषाधिकार हैं जो दूसरी को प्राप्त नहीं। और प्रत्येक को अधिकार है कि वह दूसरी सभा द्वारा पास की हुई वस्तु में सुधार कर दे। संघीय राज्य और स्थानीय शासन की इकाइयों में भी इसी प्रकार अधिकार का विभाजन चलता है। निर्वाचन के यन्त्र में भी ऐसी ही व्यवस्था है। हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष, प्रेजिडेंट का चार, और सेनेटर का छः वर्ष है। सेनेट का कार्यकाल इस प्रकार अस्थिर रखा गया है कि जब जनता प्रति दो वर्ष पश्चात् हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स के सब सदस्यों का चुनाव करती है तब सेनेट के केवल एक तिहाई सदस्य चुने जाते हैं। प्रति चार वर्ष पीछे प्रेजिडेंट का निर्वाचन हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स के निर्वाचन के साथ आकर पड़ता है। नियन्त्रणों और सन्तुलनों की यह पद्धति उन उद्देश्यों की पूर्ति कर देती है जिनको कि यूनाइटेड स्टेट्स की जनता अच्छे और प्रभावशाली स्वशासन के लिये मौलिक महत्व का मानती है। न्याय विभाग की स्वतन्त्रता का अर्थ है अदालतों की स्वतन्त्रता, और उन पर राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का अभाव। इस प्रकार न्याय विभाग कानून की व्याख्या करने और उसे पालन कराने का अपना कार्य सुगमतापूर्वक कर सकता है। अधिकार के विभाजन से, शक्ति शासन की एक शाखा में अथवा एक स्तर पर अनुचित रूप से केन्द्रित नहीं होने पाती। यूनाइटेड स्टेट्स की जनता के हृदय में इस बात के विरुद्ध, कोलोनियों के समय से ही बहुत गहरे और तीव्र विद्वेश का भाव रहा है। इसका एक लाभ यह भी है कि किसी भी योजना अथवा नीति को जल्दबाजी में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कहीं कहीं इस अन्तिम विशेषता की यह कह कर आलोचना की जाती है कि इससे हर एक काम अनुचित सुस्ती ^{से} होता है और शासन में दक्षता नहीं रहती। परन्तु अमेरिकन अनुभव बहुधा यह रहा है कि

जल्दीबाज़ी में किया हुआ सरकारी कार्य अविचारिक सिद्ध हुआ, और यदि उस कार्य अथवा नीति पर बारीकी से आलोचना करने के लिये और शासन के भीतर और बाहर के व्यक्ति समूहों द्वारा पूरा पूरा विवाद करने के लिये समय ले लिया जाता तो परिणाम अच्छा निकलता । इसके अतिरिक्त, भूतकाल का अनुभव है कि जब कभी तत्काल कार्य करने की आवश्यकता हुई तब निरोधों और सन्तुलनों के कारण सरकार के तुरन्त और प्रभावशाली कार्य करने में रुकावट नहीं पड़ी ।

किसी भी शासन की सफलता का सच्चा नाप उसके कार्य के लेख से होता है, कि वह सब परिस्थितियों में शासितों की कैसी और क्या सेवा करने में समर्थ हुआ । इस नापे से नापा जाय तो यूनाइटेड स्टेट्स की स्वशासन की पद्धति बहुत ऊँचे दर्जे की ठहरती है । इसका ढांचा, भूमि, क्षेत्रफल, आबादी, सैनिक और आर्थिक शक्ति के असाधारण विस्तार अपने भीतर समा लेने में समर्थ सिद्ध हुआ है । यह उन सब संघर्षों का सफलतापूर्वक सामना करता रहा है जो कि किसी भी युवक और अनुभवहीन राष्ट्र के सामने भीतर या बाहर से आ सकते हैं । यह उस तीव्र गृह युद्ध के बाद भी जीवित रहा, जो कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता के प्रश्न को लेकर लड़ा गया था । यह बड़ी बड़ी आर्थिक कठिनाइयों के भयंकर तूफानों में से निकल चुका है और उन तूफान ने जिन निर्बलताओं को प्रकट किया था उनका अंत कर के अपने को दृढ़ बना चुका है । इसने स्वतन्त्रता के और स्वशासन के सिद्धान्तों को एक विरोधी शक्ति के आक्रमणों से सफलतापूर्वक रक्षा की है ।

इतने पर भी इसके बहुत कम नागरिक इस लेख का पन्ना लेते इसे पूर्ण कहेंगे । पीछे की ओर दृष्टिपात करके, राष्ट्र के इतिहास के अशान्तिपूर्ण भागों की आलोचना करना और गलत कार्य करने अथवा कोई भी कार्यवाही न करने की उन भूलों का संकेत करना संभव

है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति को विलम्बित कर दिया ।

यूनाइटेड स्टेट्स की जनता इस सबसे परिचित होने के कारण जानती है कि उससे भविष्य में भी भूलें हो सकती हैं । परन्तु उसके लिये इससे भी अधिक सन्तोष की बात यह है कि वह अनुभव करती है कि हमारा शासन हमारे ही प्रतिनिधियों द्वारा चलता है और यह बरसों से हमारी मूल्यवान स्वतन्त्रता और हमारे अधिकारों की रक्षा करता चला आया है । यदि कोई वास्तविक सूची तैयार की जाए तो उससे ज्ञात होगा कि नागरिक को आज भी अपने शासन की आलोचना करने का, नई परिस्थितियों में उसकी नीति बदलने का और यदि बहुमत की अनुमति हो तो जहां सुधार की आवश्यकता हो वहां सुधार करने का अधिकार है । वस्तु-स्थिति का और भी अधिक अध्ययन करने से प्रकट होता है कि शासन विधान की प्रस्तावना में शासन के जो कर्तव्य बतलाए गए थे उनकी पूर्ति निरन्तर हो रही है । यूनियन दृढ़ है, आन्तरिक शान्ति विराज रही है, साधारण जनता की सुख स्मृद्धि की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है और रक्षा की सब आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं ।

भविष्य, जनता के शासन की शक्ति परामर्श के लिये, समस्याएं उपस्थित कर रहा है, परन्तु यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों को विश्वास है कि महान उद्धारक अब्राहम लिंकन ने जिसका वर्णन ‘जनता का शासन

जनता द्वारा, जनता के लिये’ कह कर किया था, वह उनका सामना उसी प्रकार सफलतापूर्वक करेगा जिस प्रकार उसने उसे भूतकाल में किया था ।

४ जुलाई १७७६ को कांग्रेस में :की गई:

स्व तन्त्र ता घोषणा की प्रस्तावना

अमेरिका के १३ संयुक्त राज्यों की सर्व सम्मत घोषणा ।

जब मानवीय, घटनाचक्र किसी राष्ट्र को, उन राजनैतिक सम्बन्धों को जिनसे कि वह पहले किसी दूसरे राष्ट्र के साथ बंधा हुआ था, विच्छिन्न करने एवं प्रकृति तथा प्रभु के नियमों से प्राप्त अधिकार के आधार पर विश्व के राष्ट्रों में अपनी स्थिति पृथक् और समान घोषित करने के लिये विवश कर दे, तब विश्व के लोकमत के प्रति उचित प्रतिष्ठा की भावना की मांग होती है कि उन कारणों की सार्वजनिक रूप में घोषणा कर दी जाय जिन्होंने कि सम्बन्ध विच्छेद के लिये बाधित किया है ।

हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं, कि सब मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं, उनके स्रष्टा ने उन्हें कुछ अनपहरणीय अधिकारों से सम्पन्न किया है । और उनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सुख प्राप्ति के प्रयत्न भी हैं । इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये ही मनुष्यों में शासक तन्त्रों की स्थापना होती है, और उनको उचित शासनाधिकार भी शासितों की अनुमति से प्राप्त होते हैं । जब कभी कोई शासन इन उद्देश्यों का विधातक बन जाए, तब लोगों को अधिकार है कि वे उसे बदल दें या समाप्त कर दें, और नए

शासन की स्थापना करके उसका आधार ऐसे सिद्धान्तों पर रखें, और उसके अधिकारों का संगठन ऐसे रूप में करें जिनसे उनको अपनी सुरक्षा और सुख स्मृद्धि स्थायी रहने की सर्वाधिक आशा हो। निस्सन्देह बुद्धिमत्ता का तकाज़ा है कि चिरकाल से चली आ रही शासन व्यवस्था को दार्शनिक और सामान्य कारणों से न बदला जाय। :भूतकाल का: समस्त अनुभव बतलाता है कि इसी लिये मनुष्य समाज, जिन अवस्थाओं का वह अभ्यासी हो चुका है उन्हें, जब तक कि बुराई असल ही न हो जाय, नष्ट करने की अपेक्षा सहना पसन्द करता है। परंतु जब अधिकारों के दुरुपयोगों और अपहरणों की निरन्तर परम्परा, निरन्तर एक ही उद्देश्य को सन्मुख रखकर, जनता को अनियन्त्रित स्वेच्छाचार के जुए तले लाने की दुरभि सन्धि व्यक्त करे तब जनता का यह न केवल अधिकार अपितु कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे स्वेच्छाचारी शासन को उखाड़ कर फेंक दे, और भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिये नवीन प्रहरियों की व्यवस्था कर ले। ऐसे ही अत्याचारों को इन :अमेरिकन: कोलोनियों :उपनिवेशों: ने चिरकाल तक धैर्य पूर्वक सहन किया है, और अब आवश्यकता उन्हें विवश कर रही है कि वे अपनी पुरानी शासन व्यवस्थाको बदल डालें। ग्रेट ब्रिटेन के राजा का इतिहास मुन: पुन: घटित अत्याचारों और अपहरणों की पुनरावृत्ति का इतिहास है, जिन सबका सीधा उद्देश्य इन राज्यों पर अनियन्त्रित स्वेच्छाचार स्थापित करना रहा है। इस सत्य को प्रमाणित करने के लिये वस्तुस्थिति निष्पक्ष संसार के संमुख उपस्थित की जाती है।

यूनाइटेड स्टेट्स आंव अमेरिका का शासन विधान

प्रस्तावना

हम, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, अधिक पूर्ण यूनियन का निर्माण न्याय की स्थापना, आन्तरिक शान्ति की निरन्तरता, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक सुख समृद्धि में वृद्धि एवं अपनी वर्तमान तथा भावी सन्ततियों के प्रति स्वतन्त्रता की आशीषों को सुरक्षित करने के लिये, यूनाइटेड स्टेट्स आंव अमेरिका के इस शासन विधान की रचना एवं स्थापना करते हैं ।

आर्टिकल प्रथम ।

सेक्शन १. इस विधान द्वारा प्रदत्त कानून निर्माण के समस्त अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स की एक कांग्रेस में निहित होंगे, जो कि सेनेट और हाउस आंव रिप्रेजेंटेटिव्स : नामक दो सभाओं : से मिलकर बनेगी ।

सेक्शन २. हाउस आंव रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों का निर्वाचन प्रति वर्ष के पश्चात् विभिन्न राज्यों के निवासियों द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों के लिये वही योग्यताएं आवश्यक होंगी जो कि उस राज्य की धारासभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली सभा के निर्वाचकों के लिये ।

ऐसा कोई भी व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव :प्रतिनिधि: नहीं बन सकेगा जो २५ वर्ष की आयु का न हो, यूनाइटेड स्टेट्स का सात वर्ष से नागरिक न हो, और निर्वाचन के समय उस राज्य का निवासी न हो जहां से कि वह चुना गया है ।

इस यूनियन:संघ: में सम्मिलित होने वाले विभिन्न राज्यों में रिप्रेजेंटेटिवों :प्रतिनिधियों: और प्रत्यक्ष करों का विभाजन उनकी अपनी :जन: संख्या के आधार पर होगा । इस संख्या का निर्धारण, स्वतन्त्र व्यक्तियों की समस्त संख्या में, जिसमें नियत काल के लिये सेवा बन्धन से प्रतिज्ञा बद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे, और जिसमें कर मुक्त इंडियन सम्मिलित नहीं होंगे, अन्य समस्त व्यक्तियों का ३/५ भाग जोड़ने से होगा । :जन संख्या का: वास्तविक परिगणन यूनाइटेड स्टेट्स की प्रथम बैठक के उपरान्त तीन वर्षों के भीतर और उसके बाद प्रति दस वर्ष में, कानून द्वारा आदिष्ट विधि से, किया जाएगा । रिप्रेजेंटेटिवों :प्रतिनिधियों: की संख्या प्रति तीस हजार :व्यक्तियों: के पीछे एक से अधिक नहीं होगी, परन्तु प्रत्येक राज्य का कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव :प्रतिनिधि: अवश्य होगा । उपर लिखित परिगणन :होने: तक निम्नलिखित राज्य उनके नाम के आगे अंकित संख्या में रिप्रेजेंटेटिव चुनने के अधिकारी होंगे :

न्यू हैम्पशायर	३
मैसाचूसेट्स	८
रोड आइलैंड और प्राविडेंस प्लांटेशन्स	१
कनेक्टिकट	५
न्यूयार्क	६
न्यू जर्सी	४
पेन्सिलवेनिया	८
डिलावेयर	१

मेरीलैंड	६
वर्जीनिया	१०
नॉर्थ कैरोलिना	५
साउथ कैरोलिना	५
जीर्जिया	३

किसी राज्य के प्रतिनिधि मंडल में कोई स्थान रिक्त होने की अवस्था में उस राज्य का एग्ज़ेक्युटिव :शासन: विभाग रिक्त स्थान की पूर्ति के निमित्त निर्वाचन की लिखित आज्ञा जारी करेगा ।

अपने स्पीकर व अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स स्वयं करेगा, और अभियोगारोपण :इम्पीचमेंट: का अधिकार एकमात्र उसे ही प्राप्त होगा ।

सेक्शन ३. यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट का निर्माण, प्रत्येक राज्य की धारासभा द्वारा, ६ वर्षों के लिये निर्वाचित दो दो सेनेटरों से मिलकर होगा । प्रत्येक सेनेटर को एक मत का अधिकार होगा ।

प्रथम निर्वाचन के पश्चात् सेनेटरों के एक स्थान पर एकत्रित होते ही यथासम्भव समान तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी के सेनेटरों के स्थान दो वर्ष की समाप्ति के बाद, द्वितीय श्रेणी के सेनेटरों के चार वर्ष की समाप्ति के बाद और तृतीय श्रेणी के सेनेटरों की छे वर्ष की समाप्ति के बाद रिक्त हो जाएंगे, जिससे कि प्रति दो वर्ष के बाद एक तिहाई सेनेटर नए चुने जा सकें। यदि कोई स्थान, त्यागपत्र व अन्य किसी कारण से, धारासभा के अवकाश काल में रिक्त हो जाय, तो, सम्बन्धित राज्य के शासन विभाग :एग्ज़ेक्युटिव डिपार्टमेंट: को धारासभा की आगामी बैठक तक, स्वल्पकालिक नियुक्ति द्वारा उनकी पूर्ति करने का अधिकार होगा । स्थायी रूप से पूर्ति उस धारासभा द्वारा अपनी आगामी बैठक में की जायगी ।

ऐसा कोई भी व्यक्ति सेनेटर नहीं बन सके गा जो कि तीस

वर्ष की आयु का न हो, यूनाइटेड स्टेट्स का नौ वर्षों से नागरिक न हो, और निर्वाचन के समय उस राज्य का नागरिक न हो जहां से कि वह चुना गया है ।

यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेजिडेंट सेनेट का प्रेजिडेंट होगा ।
उसे केवल निरीयक सम्मति देने का अधिकार होगा ।

अपने अन्य पदाधिकारियों का चुनाव सेनेट स्वयं करेगी ।
यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेजिडेंट की अनुपस्थिति में, अथवा जब वह यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट पद का कार्य वहन कर रहा हो, सेनेट को अस्थायी रूप से अपना प्रेजिडेंट चुनने का अधिकार होगा ।

अभियोगारोपणों : इम्पीचमेंट : को सुनने का अधिकार एकमात्र सेनेट को होगा । इस निमित्त से होने वाली बैठक के अवसर पर सेनेटरों को शपथ ग्रहण करनी या न्याय करने की घोषणा : एफ़रमेशन : करनी होगी । यदि अभियोगारोपण यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट के विरुद्ध हो तो बैठक की अध्यक्षता चीफ जस्टिस करेगा । उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं ठहराया जा सकेगा ।

अभियोगारोपण के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को इससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकेगा कि उसे उसके पद से पृथक कर दिया जाए । और यूनाइटेड स्टेट्स में प्रतिष्ठा, विश्वास व लाभ के किसी भी पद पर नियुक्त होने और तज्जन्य लाभ का उपभोग के करने के अयोग्य ठहरा दिया जाय । परन्तु अपराधी घोषित व्यक्ति के विरुद्ध : सामान्य : कानून के अनुसार अभियोग लगाने, मुकदमा चलाने, अभियोग का निरीय करने और परिणामस्वरूप दंड देने की कार्रवाई की जा सकेगी ।

संक्शन ४. सेनेटरों और रिप्रेजेंटेटिवों : प्रतिनिधियों : के निर्वाचन के समयों, स्थानों, और प्रकार का निश्चय प्रत्येक राज्य में उसकी । : ५ चिन्ह के लिये देखिए पृष्ठ १६४.]

धारासभा द्वारा किया जाएगा, परन्तु कांग्रेस किसी भी समय, कानून द्वारा एतद्सम्बन्धी व्यवस्था व नियमों में, सैनेटरी के निर्वाचन स्थलों सम्बन्धी व्यवस्था को छोड़कर, परिवर्तन कर सकेगी, या नवीन व्यवस्था कर सकेगी ।

वर्ष में एक बार कांग्रेस की बैठक अवश्य होगी, और, यदि कांग्रेस ने कानून द्वारा कोई अन्य दिन न नियत किया हो तो यह बैठक दिसम्बर मास के प्रथम सोमवार को होगी ।

सैक्शन ५. अपने सदस्यों के निर्वाचन में सफलता और निर्वाचन योग्यता के लिये प्रत्येक सभा स्वयं निर्णायक होगी, और एतद्विषयक कार्रवाई के लिये प्रत्येक सभा के सदस्यों में से बहुमत की उपस्थिति आवश्यक कोरम होगी । इससे कम उपस्थिति होनी पर बैठक अगले अगले दिन केलिये स्थगित की जा सकेगी, और उसे, प्रत्येक हाउस द्वारा निर्धारित विधि से और दंड व्यवस्था के साथ, सदस्यों को उपस्थित होने के लिये बाधित करने का अधिकार होगा ।

प्रत्येक सभा कार्रवाई सम्बन्धी अपने नियम आप बना सकेगी, उच्चस्तराचारण के लिये अपने सदस्यों को दंडित कर सकेगी और दो तिहाई सदस्यों की सहमति से, किसी सदस्य को :सभा भवन: से निकाल भी सकेगी ।

प्रत्येक सभा अपनी कार्रवाई की एक विवरण पंजिका रखेगी, और उसे समय समय पर ऐसे स्थलों को छोड़कर जो उसकी सम्मति में गोपनीय हों, प्रकाशित करेगी । उपस्थित सदस्यों के एक पंचमांश की इच्छा पर किसी विषय के पक्ष अथवा ^{विपक्ष} में सम्मति प्रकट करने वाले सदस्यों के नामों का उल्लेख भी इस पंजिका में कर दिया जाएगा ।

कांग्रेस के अधिवेशनकाल में, कोई भी सभा, दूसरी सभा की अनुमति के बिना, तीन दिन से अधिक के लिये अपनी बैठक को स्थगित नहीं कर सकेगी, और ना ही अपनी बैठक को उस स्थान से भिन्न

स्थान पर ले जा सकेगी जहां कि दोनों सभाओं की बैठकें हो रही हों ।

सेक्शन ६. सेनेटरों और रिप्रेजेंटेटिवों को अपनी सेवाओं के लिये पुरस्कार मिलेगा, जिसकी मात्रा का निश्चय कानून द्वारा किया जाएगा, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के राजकीय कोष से दिया जाएगा । इन्हें अपनी अपनी सभा के अधिवेशन के उपस्थितिकाल में और उसके निमित्त जाते व लौटते हुए यात्रा काल में, राजद्रोह, गम्भीर फौजदारी व शान्ति भंग के अपराधों के अतिरिक्त, अन्य किसी कारण गिरफ्तार न किए जा सकने के कारण का विशेषधिकार प्राप्त होगा, और किसी सभा में इनके किसी भी भाषण व वाद विवाद पर, सम्बन्धित सभा से अन्यत्र आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

कोई भी सेनेटर या रिप्रेजेंटेटिव, अपने कार्यकाल में, यूनाइटेड स्टेट्स के शासन अधिकार के अन्तर्गत किसी ऐसे राजकीय पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकेगा जो इस काल में नया बनाया गया हो या जिसके वेतन में वृद्धि की गई हो, और न ही यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकार के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपने सेवा काल में किसी सभा का सदस्य बन सकेगा ।

सेक्शन ७. ^{सम्बन्धी} राजकीय आय वृद्धि सब बिल, हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स में ही आरम्भ किए जा सकेंगे । सेनेट, अन्य बिलों की भांति उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकेगी, या प्रस्तुत संशोधनों पर सहमति प्रकट कर सकेगी ।

हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट द्वारा स्वीकृत प्रत्येक बिल, कानून बनने से पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा । सहमति की अवस्था में वह उस पर हस्ताक्षर कर देगा, असहमति की अवस्था में वह उसे, अपनी विप्रतिपत्तियों के साथ, उस सभा को लौटा देगा जिसमें वह आरम्भ किया गया था । वह

सभा उक्त विप्रतिपत्तियों को समस्तरूपेण अपनी विवरण पत्रिका में उल्लिखित करके बिल पर पुनर्विचार करेगी । यदि पुनर्विचार के बाद इस सभा के दो तिहाई सदस्य बिल को स्वीकृत करने के लिये सहमत हों, तो वह बिल प्रेजिडेंट के द्वारा उठाई गई विप्रतिपत्तियों के साथ दूसरी सभा में भेजा जाएगा । जहां इसी प्रकार पुनर्विचार के बाद यदि उस सभा के दो तिहाई सदस्य सहमत हों तो वह बिल कानून बन जायगा । परन्तु ऐसी सब अवस्थाओं में दोनों सभाओं में वोटों का निर्धारण हां और ना :की ध्वनि: से होगा, और बिल के पक्ष व विपक्ष में मत प्रदान करने वाले व्यक्तियों के नाम दोनों हाउसों की अपनी अपनी विवरण पत्रिकाओं में अंकित किए जाएंगे । यदि कोई बिल प्रेजिडेंट के समक्ष उपस्थित किये जाने के बाद, उस द्वारा, बीच में पड़े रविवारों को छोड़कर, दस दिन के भीतर वापिस नहीं लौटाया जाएगा तो वह उसी प्रकार कानून बन जाएगा जिस प्रकार कि उसके हस्ताक्षर होने के बाद बनता । यदि बिल की वापिसी में कांग्रेस का स्थगित हो जाना बाधक होगा तो वह बिल कानून नहीं बन सकेगा ।

बैठक स्थगित करने के प्रश्न को छोड़कर, अन्य प्रत्येक आदेश प्रस्ताव और आर्थिक व्यय की स्वीकृति, जिन पर सेनेट और हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स का सहमत होना आवश्यक हो, अमल में आने से पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट के समस्त अनुमत्यर्थ उपस्थित किए जाएंगे। अननुमत होने पर, बिल के लिये निर्धारित नियमों और मदाओं के अनुसार, सेनेट और हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स के दो तिहाई बहुमत द्वारा पुनः स्वीकृत किए जाने पर वे क्रियान्वित किए जा सकेंगे ।

सेक्शन ८. कांग्रेस को अधिकार होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के शृणों के भुगतान और सामूहिक रक्षा तथा सार्वजनिक सुख स्मृद्धि की व्यवस्था के लिये व्यक्तियों पर कर तथा वस्तुओं के निर्माण, व्यापार

और उपभोग पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने और वसूल करने का । परन्तु यह सब :कर और शुल्क: समस्त यूनाइटेड स्टेट्स में एक समान होने चाहियें ।

यूनाइटेड स्टेट्स की साथ पर ऋण लेने का अन्य देशों के साथ, :यूनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत: विभिन्न राज्यों के बीच और इंडियन जातियों के साथ व्यापार नियन्त्रित करने का ।

समस्त यूनाइटेड स्टेट्स में नेचुरलाइजेशन :कृत्रिम नागरिकता: और दीवाले के एक समान कानून स्थापित करने का ।

मुद्रा ढालने और उसका मूल्य निर्धारित करने, विदेशी मुद्रा का विनिमय दर निर्धारित करने, तथा तोल और माप के साधनों का प्रामाणिक स्टैंडर्ड स्थिर करने का ।

यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटियों और चाल मुद्रा को जाली तौर पर बनाने के लिये दंड विधान करने का ।

ढाक़्खाने और ढाक़ की सड़कें बनाने का ।

लेखकों और आविष्कारकर्ताओं का, उनके अपने लेखों, व आविष्कारों व खोजों पर, नियतकाल के लिये, एकान्तिक सर्वाधिकार सुरक्षित करने विज्ञान और उपयोगी कलाओं की प्रगति को आगे बढ़ाने का ।

सुप्रीम कोर्ट के आधीन विभिन्न न्यायालय स्थापित करने का ।

:सब राष्ट्रों के लिये खुले: समुद्रों पर सामुद्रिक ढाकों व अन्य गम्भीर अपराधों, एवं अन्तरीष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या वह उनके लिये दंड विधान करने का ।

युद्ध घोषित करने का, किसी जहाज़ को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित करके शत्रु के व्यापारिक जहाज़ को पकड़ने के लिये आदेश पत्र जारी करने का, और स्थल तथा जल पर शत्रु पक्ष के बन्दी बनाने व सामान कब्जे में करने के नियम आदि बनाने का ।

स्थल सेना खड़ी करने एवं उसके मरण पोषण करने का । परन्तु
१६३

एतदर्थ धन व्यय के लिये कोई अर्थ स्वीकृति दो वर्षों से अधिक काल के लिये नहीं होगी ।

जल सेना खड़ी करने एवं उसे कायम रखने का ।

स्थल और जल सेनाओं के प्रबन्ध और नियन्त्रण के लिये नियम बनाने का ।

यूनियन के कानूनों को क्रियान्वित करने, आन्तरिक विद्रोह के दमन, एवं आक्रमणों के निवारण के लिये मिलिशिया : स्वयंसेवक नागरिक सेना : का निर्माण और आह्वान करने का ।

:इस: मिलिशिया को संगठित करने, सशस्त्र करने और अनुशासन बढ़ करने का, तथा यूनाइटेड स्टेट्स की सेवा में प्रयुक्त होने वाले उसके किसी भाग के शासनप्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का । मिलिशिया के अफसरों की नियुक्ति का और कांग्रेस द्वारा निर्धारित अनुशासन व्यवस्था के अनुसार उसके शिक्षण का अधिकार विभिन्न राज्यों के अपने हाथ में रहेगा ।

ऐसे भूखंड के सम्बन्ध में समस्त कानून बनाने का एकान्तिक अधिकार जिसका क्षेत्रफल दस मील वर्ग से अधिक न हो और जो यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी निर्माण के निमित्त यूनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत किसी राज्य द्वारा अपने से पृथक् करके :यूनाइटेड स्टेट्स को: प्रदान कर दिया गया हो, और कांग्रेस ने जिसे स्वीकार कर लिया हो ।

ऐसे स्थानों के सम्बन्ध में समस्त कानून बनाने का एकान्तिक अधिकार जो दुर्ग, शस्त्रागार, बन्दरगाहों की गोदियां तथा अन्य उपयोगी इमारतों को बनाने के लिये, सम्बन्धित राज्य की धारासभा की सहमति से क्रय किं गये हों ।

ऐसे सब कानून बनाने का जो :इस सेक्शन में: उपरलिखित अधिकारों को, तथा इस विधान द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के शासन

† जिन व्यक्तियों को शपथ लेने में आपत्ति होती है वे गम्भीरतापूर्वक अपने संवत्स की घोषणा करते हैं। यही 'स्फुरमेशन' कहलाता है ।

को वह उसके किसी विभाग या अफसर को, प्राप्त अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक और उचित हों ।

सेक्शन ६. जिन व्यक्तियों का अपने प्रदेश में निवासार्थः प्रवेश या बहिरगमन, कोई इस समयः विद्यमान राज्य उचित समझेगा वह कांग्रेस द्वारा ईसवी सन् १८०८ से पूर्व निषिद्ध नहीं किया जा सकेगा। परन्तु ऐसे आयात पर कर व शुल्क प्रति व्यक्ति दस डालर से अधिक नहीं लगाया जा सकेगा ।

आन्तरिक विद्रोह अथवा आक्रमण के कारण जब सार्वजनिक सुरक्षा के लिये जब आवश्यक हो जाए तब के सिवाये रिट आव हैबियस कार्पस के विशिष्ट अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकेगा ।

ऐसे बिल नहीं बनाये जाएंगे जिनका प्रयोजन किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाने अथवा कानून रक्षा से वंचित कर दिया जाने के कारण, उसके नागरिक अधिकारों का, अपहरण करना हो । और न ऐसे कानून पास किए जाएंगे जो निर्माण से पूर्व काल में प्रभाव रखने वाले हों ।

पूर्व प्रतिपादित जन गणना के आधार पर अनुपात से प्राप्त मात्रा से भिन्न कोई व्यक्तिगत या अन्य प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जा सकेगा ।

:यूनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गतः किसी राज्य के किसी वस्तु के निर्यात पर कोई कर नहीं लगाया जा सकेगा ।

वाणिज्य व राजकीय आय के नियन्त्रण द्वारा किसी एक राज्य के मुकाबले में किसी दूसरे राज्य के बन्दरगाह को तरजीह नहीं दी जाएगी, ना ही एक राज्य से या को जाने वाले जहाजों को दूसरे राज्य में प्रविष्ट होने सामान उतारने और शुल्क चुकाने के लिये बाधित किया जा सकेगा ।

अर्थ प्रस्ताव के रूप में कानून द्वारा स्वीकृत धन :राशि: से अतिरिक्त धन :राशि: राजकोष से नहीं निकाला जा सकेगा ।

सार्वजनिक धन के आय व्यय का नियमित विवरण और लेखा समय समय पर प्रकाशित किया जाएगा ।

कुलीनता, विशिष्टता या विभिन्नता सूचक कोई पदवी यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा नहीं दी जायगी और न ही उसके आधीन लाभ या विश्वास के पद पर आरुढ़ कोई व्यक्ति कांग्रेस की अनुमति के बिना किसी राजा, राजकुमार या किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का उपहार, लाभ, पुरस्कार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार कर सकेगा ।

सेक्शन १०. कोई राज्य किसी सन्धि, गुट व संघ में सम्मिलित नहीं हो सकेगा, जहाज़ को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित करने तथा शत्रु के व्यापारिक जहाज़ों के पकड़ने में उसका प्रयोग का लाइसेन्स नहीं दे सकेगा, वित्त आव क्रेडिट : हुंडियां: जारी नहीं कर सकेगा, ऋण के मुगतान के लिये सोने और चांदी के सिक्कों के अतिरिक्त वस्तु को कानूनन अवश्यग्राह्य नहीं बना सकेगा, मृत्यु दंड तथा कानून रत्नाहानि दंड के कारण किसी को नागरिक अधिकारों से वंचित करने वाले, निर्माण से पूर्व काल में लागू होने वाले और समय से प्राप्त उत्तरदायित्व में न्यूनता करने वाले कानून नहीं बना सकेगा, उच्चता सूचक कोई उपाधि नहीं दे सकेगा ।

कोई राज्य, अपने निरीक्षण कानूनों को क्रियान्वित करने के लिये, अत्यन्त आवश्यक शुल्क से अतिरिक्त, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई अन्य शुल्क, कांग्रेस की स्वीकृति के बिना नहीं लगा सकेगा । इस प्रकार से लगाए गए आयात निर्यात शुल्क से प्राप्त समस्त धन के व्यय का अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स के राजकोष को होगा, और एतद्सम्बन्धी समस्त कानून कांग्रेस द्वारा पुनर्विचार और नियन्त्रण के विषय होंगे ।

कोई राज्य, कांग्रेस की अनुमति के बिना व्यापारिक जहाज़ों

के परिमाण या भार वहन की क्षमता पर शुल्क नहीं लगा सकेगा, शान्तिकाल में सेना व युद्धपोत नहीं रख सकेगा, यूनाइटेड स्टेट्स के ही: दूसरे राज्य व विदेशी राज्य के साथ पृथक् सम्पर्कता नहीं कर सकेगा, युद्ध नहीं कर सकेगा, जब तक कि वस्तुतः उस पर आक्रमण न हो गया हो या ऐसा सन्निकट भय उपस्थित न हो गया हो जिसमें विलम्ब के लिये कोई गुंजायश न हो ।

आर्टिकल द्वितीय

सेक्शन १. शासन के समस्त अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के एक प्रेजिडेंट में निहित होंगे । उसका और वाइस प्रेजिडेंट का कार्यकाल ४ वर्ष होगा, और ये दोनों निम्न प्रकार चुने जाएंगे:

प्रत्येक राज्य जिस विधि से उसकी घारासभा आदेश दे एक निर्वाचक मंडल नियुक्त करेगा, जिसकी संख्या कांग्रेस में उस राज्य के लिये नियत सेनेटरों और रिप्रेजेंटेटिवों की संख्या के समान होगी । परन्तु कोई सेनेटर, रिप्रेजेंटेटिव या ऐसा व्यक्ति जो यूनाइटेड स्टेट्स के आधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर प्रतिष्ठित हो, निर्वाचक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा ।

:यह: निर्वाचक अपने अपने राज्यों में समवेत होकर, गुप्त: मत पत्र प्रणाली द्वारा दो व्यक्तियों के लिये मत प्रदान करेंगे जिनमें कम से कम उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिसके कि निर्वाचक हैं । निर्वाचकों द्वारा मत प्राप्त समस्त व्यक्तियों की नाम सूची और प्रति व्यक्ति प्राप्त मत संख्या की सूची तैयार की जाएगी जिसे वे अपने अपने नामान्त से चिन्हित और प्रमाणित करके सेनेट के प्रेजिडेंट के नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी को मोहर बन्द करके भेज देंगे । सेनेट का प्रेजिडेंट सेनेट और हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स: प्रतिनिधि भवन: की अनुपस्थिति में समस्त प्रामाणिक

सूचीपत्रों को होलैगा, और तब प्राप्त मतों की गणना की जाएगी, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति, यदि उसको प्राप्त मतों की संख्या समस्त निर्वाचक मंडल की संख्या के आधे से अधिक हो, प्रेजिडेंट घोषित किया जाएगा । यदि समस्त निर्वाचक मंडल की संख्या से अधिक के आधे से अधिक मत प्राप्त करने वाले एकाधिक व्यक्ति हों, और उनको प्राप्त मत भी समान हों, तो तुरन्त हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स गुप्त मतपत्र प्रणाली द्वारा उनमें से किसी एक को प्रेजिडेंट चुनेगा । यदि किसी भी व्यक्ति को समस्त निर्वाचक मंडल की संख्या के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हों, तो सर्वाधिक मत प्राप्त प्रथम पांच व्यक्तियों में से हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्स गुप्त मतपत्र प्रणाली द्वारा, किसी एक व्यक्ति को प्रेजिडेंट चुनेगा । परन्तु इस प्रकार प्रेजिडेंट चुनने में मत आदान राज्यवार होगा, अर्थात् प्रत्येक राज्य के समस्त प्रतिनिधि मंडल का एक मत गिना जाएगा, इस कार्य के लिये आवश्यक कोरम दो तिहाई राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी । और चुनाव के लिये आधे से अधिक सदस्य राज्यों के मत प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

प्रेजिडेंट के चुनाव के बाद शेष व्यक्तियों में जिसे निर्वाचक मंडल के सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे वह वाइस प्रेजिडेंट घोषित कर दिया जाएगा । परन्तु यदि एकाधिक व्यक्ति समान मत प्राप्त करें, तो सेनेट, गुप्त मतपत्र प्रणाली द्वारा उनमें से किसी एक को वाइसप्रेजिडेंट चुनेगी ;

निर्वाचकमंडल को चुनने के और निर्वाचकों के मत पढ़ने के दिन का निश्चय कांग्रेस करेगी । यह दिन सारे यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही होना चाहिये ।

कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रेजिडेंट नहीं बन सकेगा जो: यूनाइटेड स्टेट्स: नागरिक न हो, या इस विधान के स्वीकृत होने के समय यूनाइटेड स्टेट्स का नागरिक न हो, और जिसकी आयु ३५ वर्ष न

हो, तथा जो १४ वर्ष से यूनाइटेड स्टेट्स का निवासी न हो ।

प्रेजिडेंट की पद से पृथक्ता, त्यागपत्र, मृत्यु व पदसम्बन्धी अधिकारों और कर्तव्यों के पालन की असमर्थता की अवस्था में इस पद का उत्तरदायित्व वाइस प्रेजिडेंट पर आ पड़ेगा । प्रेजिडेंट और वाइसप्रेजिडेंट दोनों की पद से पृथक्ता, त्यागपत्र, मृत्यु या असमर्थता की अवस्था में, कांग्रेस को कानून द्वारा यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि उस अवस्था में कौन अफसर प्रेजिडेंट का कार्य वहन करे, और यह अफसर पूर्वाधिकारी की अयोग्यता हटने तक या नवीन प्रेजिडेंट का निर्वाचन होने तक इस पद का कार्य करेगा ।

प्रेजिडेंट को नियम समयों पर अपने सेवाओं के लिये पुरस्कार मिलेगा, जो उसके कार्यकाल में घटाया या बढ़ाया जा नहीं जा सकेगा, और वह इस काल में वह यूनाइटेड स्टेट्स व उसके अन्तर्गत किसी राज्य से अन्य कोई आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा ।

अपने कार्य भार को संभालने से पूर्व प्रेजिडेंट को निम्न शपथ लेनी या घोषणा करनी होगी :

मैं गम्भीरता से शपथ करता हूँ : या घोषणा करता हूँ : कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट पद का कार्य ह्ममानदारी से करूँगा और अपने पूरे सामर्थ्य से यूनाइटेड स्टेट्स के शासन विधान का पालन पोषण और रक्षण करूँगा ।

सेक्शन २, प्रेजिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की स्थल और जलसेना का, एवं यूनाइटेड स्टेट्स की वास्तविक सेवा में आहुवान की गई विभिन्न राज्यों की स्वयंसेवक नागरिक सेना : मिलिशिया : का कमांडर-इन-चीफ होगा ।

वह किसी भी एग्जिक्युटिव विभाग के प्रमुख से, उसके विभाग से सम्बन्धित किसी विषय पर, लिखित सम्मति मांग सकेगा ।

अभियोगारोपण : हम्पीचैमैंट : को छोड़ कर यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध अन्य अपराधों में क्षमा प्रदान करने और मृत्यु दंड को स्थगित

करने का अधिकार होगा ।

सेनेट के परामर्श पर या उसकी अनुमति से बशर्तकि उपस्थित सेनेटों का दो तिहाई भाग सहमत हो, प्रेजिडेंट को सन्धियां करने का अधिकार होगा । उसे राजदूतों, कौन्सलों, वाणिज्य व अन्य राज प्रतिनिधियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तथा यूनाइटेड स्टेट्स के उन समस्त अफसरों को जिनके पद कानून द्वारा स्थापित हैं, और जिनकी नियुक्ति का इस विधान में अन्यथा बल्लेख नहीं है, नामजद करने तथा सेनेट के परामर्श पर या उसकी अनुमति से नियुक्त करने का अधिकार होगा । कांग्रेस, यदि उचित समझे तो, उक्त निम्न कोर्टि के अफसरों की, नियुक्ति का अधिकार, कानून द्वारा अकेले प्रेजिडेंट में, न्यायालयों में या विभागाध्यक्षों में निहित कर सकती है ।

सेनेट के अवकाशकाल में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति, प्रेजिडेंट कमीशन द्वारा विशेष अधिकार पत्र जारी करके कर सकेगा । ऐसा पूर्ति का काल सेनेट के आगामी अधिवेशन की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा ।

सेक्शन ३. प्रेजिडेंट समय समय पर कांग्रेस को यूनियन की अवस्था से अवगत कराने वाली सूचनाएं देता रहेगा और उसके सन्मुख, विचारार्थ ऐसे उपायों की सिफारिश करता रहेगा, जिन्हें वह आवश्यक और समयोचित समझे, उसे, असाधारण अवसरों पर : कांग्रेस की : दोनों सभाओं की या उनमें से किसी एक की बैठक बुलाए और स्थगित काल के सम्बन्ध में उनमें मत भेद होने पर उन्हें ऐसे काल पर स्थगित करने का जिसे वह उचित समझे, अधिकार होगा ।

वह विदेशों के राजदूतों और मिनिस्ट्रों के स्वागत की व्यवस्था करेगा ।

वह ध्यान रहेगा कि कानून ठीक प्रकार से क्रियान्वित किए जाएं । यूनाइटेड स्टेट्स के समस्त अफसरों को कमीशन प्रदान करने का अधिकार भी उसी को होगा ।

सेक्शन ४. राजद्रोह, रिश्वत, व अन्य फौजदारी तथा आचरण सम्बन्धी अपराधों के लिये अभियोगारोपण :हम्पीचर्मेट: होने और उनका अपराधी सिद्ध होने पर प्रेज़िडेंट, वाइसप्रेज़िडेंट, तथा यूनाइटेड स्टेट्स के अन्य समस्त :सिविल: राजकर्मचारियों को अपने अपने पद से पृथक् कर दिया जाएगा ।

आर्टिकल तृतीय

सेक्शन १. यूनाइटेड स्टेट्स की न्याय शक्ति एक सुप्रीम कोर्ट अथवा सर्वोच्च न्यायालय में और उन निम्न न्यायालयों में जिनकी कांग्रेस समय समय पर कानून द्वारा स्थापना करेगी, निहित होगी। सर्वोच्च और निम्न न्यायालयों के न्यायाधीश जब तक सदाचारी रहेंगे, अपने पदों पर आरुढ़ रहेंगे । और उन्हें नियम समय पर अपनी सेवाओं के लिये पुरस्कार मिलेगा, जिसकी मात्रा उनके कार्य काल में कम नहीं की जा सकेगी ।

सेक्शन २. इस न्याय शक्ति का अधिकार क्षेत्र, राज्य रचित व परम्परा प्राप्त कानून और सामान्य न्याय सिद्धान्त दोनों ही होंगे । उन सब स्थितियों में, जो इस शासनविधान, यूनाइटेड स्टेट्स के कानूनों, और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा की गई व की जाने वाली सन्धियों के अनुसार उत्पन्न होंगे, राजदूतों, कौंसिलों, व अन्य राज्य प्रतिनिधियों से सम्बन्धित सब स्थितियों में, जलसेना विभाग व सामुद्रिक अधिकारक्षेत्र के सब स्थितियों में, उन सब विवादों में जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स एक पक्ष होगा। :यूनाइटेड स्टेट्स के: दो या अधिक राज्यों के पारस्परिक विवादों में, एक राज्य और दूसरे राज्य के नागरिकों के विवादों में, विभिन्न राज्यों के नागरिकों के पारस्परिक विवादों में, एक ही राज्य के नागरिकों के पारस्परिक विवादों में, जो विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदत्त दानपत्रों :ग्रांटों: के आधीन भूमि पर स्वत्व का दावा करते हैं। एक राज्य व उसके नागरिकों और

और विदेशी राज्य व उसके नागरिकों व उसकी प्रजा के बीच पारस्परिक विवादों में ।

राजदूतों, कौंसलों व अन्य राज प्रतिनिधियों से सम्बन्धित सब स्थितियों में और उन स्थितियों में जिनका :यूनाइटेड स्टेट्स का : कोई राज्य एक पक्ष होगा, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारक्षेत्र प्राप्त होगा । पूर्वलिखित अन्य समस्त स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को , कानून और वस्तुस्थिति दोनों के सम्बन्ध में, कांग्रेस द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन और उस द्वारा निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर अपील :मात्र: सुनने का अधिकार प्राप्त होगा ।

सब अपराधों के मुकदमों की सुनवाई, अभियोगारोपण को छोड़ कर जूरी :पंचों: द्वारा होगी, और उस राज्य में होगी जहां वह :कथित: अपराध किया गया हो । परन्तु यदि अपराध किसी भी राज्य में न किया गया हो तो सुनवाई कांग्रेस द्वारा :कानून द्वारा: आदिष्ट स्थान या स्थानों पर होगी ।

सेक्शन ३. यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध राजद्रोह का अपराध केवल यह कार्य करने में होगा : यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध युद्ध करना, या शत्रुपक्ष के साथ मिलकर काम करना, या शत्रु पक्ष को सहायता और आश्रय देना । किसी व्यक्ति को तब तक राजद्रोह का अपराधी नहीं ठहराया जा सकेगा, जब तक कि उसके तत्सम्बन्धी खुले कृत्यों के लिये दो गवाहों की गवाही न हो, या उसने न्यायालय के खुले इजलास में अपना अपराध स्वीकृत न कर लिया हो ।

कांग्रेस को राजद्रोह के अपराध का दंड निर्णय करने का अधिकार होगा, परन्तु इस दंड के व्यक्तिगत व सम्पत्ति की ज़रूरी सम्बन्धी प्रभाव, दंडित व्यक्ति के जीवन काल तक ही सीमित होंगे ।

आर्टिकल चतुर्थ

सेक्शन १. एक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, रिकार्डों और १७२

कानूनी कार्रवाइयों को दूसरे राज्य में पूर्णतया प्रामाणिक माना जाएगा । इन कार्यों, रिकार्डों व कानूनी कार्रवाइयों व उनके परिणामों को प्रमाणित करने की विधि का निश्चय कांग्रेस :सर्व: सामान्य कानूनों द्वारा कर सकेगी ।

सेक्शन २. एक राज्य के नागरिकों को अन्य राज्यों में भी नागरिकों की समस्त सुविधाएं और स्वतन्त्रताएं :हम्युनिटि: प्राप्त होंगी ।

यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध एक राज्य में राजद्रोह व अन्य :फौजदारी: अपराध का अभियोग हो, न्याय से बचने के लिये दूसरे राज्य में पाया जाएगा तो उसे, उस राज्य के शासन विभाग की मांग पर, जहां से कि बच कर वह भागा होगा, उस राज्य में ले जाए जाने के लिये हवाले कर दिया जाएगा, जिसे उस अपराध का मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त हो ।

यदि कोई व्यक्ति एक राज्य में ^{उस} राज्य के कानून के अनुसार सेवा व श्रम के लिये प्रतिज्ञाबद्ध हो और बचकर दूसरे राज्य में निकल जाए, तो उसे उस राज्य में, प्रचलित किसी कानून व नियम के अनुसार उक्त सेवा या श्रम से मुक्त नहीं कर दिया जाएगा, अपितु उस पार्टी की मांग पर उसके हवाले कर दिया जाएगा जिसे उससे सेवा या श्रम लेने का अधिकार प्राप्त हो ।

सेक्शन ३. यूनियन में नवीन राज्यों को सम्मिलित करने का अधिकार कांग्रेस को होगा । परन्तु एक राज्य की सीमा के अन्दर दूसरे नवीन राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकेगा, ना ही दो या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर, सम्बन्धित राज्यों की धारासभाओं और कांग्रेस की अनुमति के बिना नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकेगा ।

यूनाइटेड स्टेट्स की सम्पत्ति और किसी आधीनस्थ प्रदेश के सम्बन्ध में :सब: आवश्यक नियमों को बनाने व रद्द करने का अधिकार

कांग्रेस को होगा । इस विधान की किसी बात की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकेगी जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स या उसके अन्तर्गत किसी राज्य के किसी अधिकार पर आंच आती हो ।

सैक्शन ४. यूनाइटेड स्टेट्स इस यूनियन के प्रत्येक राज्य के लिये प्रजातन्त्र शासन प्रणाली की गारंटी करेगा, और उनमें से प्रत्येक राज्य की बाध्यः आक्रमण से, और सम्बन्धित राज्य की धारा सभा की प्रार्थना पर या उसकी बैठक न हो सकने की अवस्था में उसके एग्जिक्युटिव विभाग की प्रार्थना पर आन्तरिक विद्रोह से रक्षा करेगा।

आर्टिकल पंचम

सैक्शन १. कांग्रेस, जब कभी इसकी दोनों सभाओं का दो तिहाई आवश्यक समझे, इस विधान में संशोधन प्रस्तुत कर सकेगी, या, विभिन्न राज्यों की दो तिहाई धारासभाओं की प्रार्थना पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिये एक कन्वेंशन सभा बुलाएगी । दोनों अवस्थाओं में, प्रस्तुत संशोधन जब विभिन्न राज्यों की तीन चौथाई धारासभाओं द्वारा या तीन चौथाई राज्यों के कन्वेंशनों द्वारा संलुप्त तथा सम्पुष्ट कर दिए जाएंगे : यह निर्णय कांग्रेस करेगी कि दो में से कौनसी विधि प्रयुक्त हो : तब वे सब भांति इस विधान के वैध अंग बन जाएंगे । परन्तु इस विधान के आर्टिकल प्रथम के सैक्शन के पहले और चौथे क्लॉज : वावयसंह : में १८०८ ईसवी से पूर्व कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा और ना ही किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सेनेट में मताधिकार की समानता से वंचित किया जा सकेगा ।

आर्टिकल षष्ठ

इस विधान की स्वीकृति से पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लिये गए समस्त और उठाये गये समस्त ^{अर्थ} दायित्व इस विधान के काल में भी १७४

उसी प्रकार वैध होंगे जिस प्रकार वे इस शासनविधान से पूर्व कन्फेडरेशन के काल में वैध थे ।

यह विधान, और इसके अनुसार बनाए गए यूनाइटेड स्टेट्स के समस्त कानून तथा यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से गई या की जाने वाली समस्त सन्धियां, इस देश के कानून होंगे । प्रत्येक राज्य के जज, उस राज्य के अपने विधान व कानूनों में, किसी विरोधी बात के बावजूद उक्त सर्वोच्च कानूनों द्वारा बाध्य होंगे ।

पूर्व लिखित सेनेटर और रिप्रेजेंटेटिव, विभिन्न राज्यों की धारासभाओं के सदस्य और यूनाइटेड स्टेट्स तथा विभिन्न राज्यों के समस्त शासन व न्याय विभागों के समस्त राजकर्मचारी, शपथ या घोषणा द्वारा, इस शासन विधान का समर्थन करने के लिये बाधित होंगे, परन्तु यूनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत किसी सरकारी पद या विश्वास के स्थान के लिये कभी भी किसी प्रकार की धार्मिक परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी ।

आर्टिकल सप्तम

नौ राज्यों के कान्वेन्शनों द्वारा इस विधान की स्वीकृति उन नौ राज्यों में इस विधान को लागू करने के लिये पर्याप्त होगी ।

यह विधान हमारे महाप्रभु :ईसामसीह: के १७८७वें वर्ष में और यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बारहवें वर्ष में १७ सितम्बर के दिन कन्वेन्शन में उपस्थित समस्त राज्यों की सर्वसम्मत स्वीकृति से सम्पन्न हुआ । इसके साक्षी रूप हम नीचे अपने नामांक चिन्हित करते हैं ।

जार्ज वाशिंगटन

अध्यक्ष और वर्जिनिया का प्रतिनिधि

साक्षी

: साक्षी आले पृष्ठ पर देखें :

साक्षी

विलियम जेक्सन, सेक्रेटरी

न्यू हैम्पशायर

जोन लेंगडन

निकोलस गिलमैन

मैसाच्यूसेट्स

नेथनील गोरहैम

रुफस किंग

कनेक्टिकट

विलियम सैम्युअल जीनसन

रौजर शेर्मैन

न्यू यार्क

एलेग्जेंडर हैमिल्टन

न्यू जर्सी

विलियम लिविंग्स्टन

विलियम पैटरसन

डेविड ब्रीयरले

जोना डेटन

पेनसिलवेनिया

बी. फ्रैंकलिन

टामस फ्रिटसाइमन्ज़

टामस मिफ़लिन

जैरेड इन्गर्सोल

राबर्ट मारिस

जेम्स विल्सन

जार्ज क्लाइमर

गुवनर मौरिस

डिलावेयर

जोर्ज रीड

रिचर्ड बैसैट

गनिंग बैडफ़ोर्ड जूनियर

जेकब ब्रूम

जोन डिकिनसन

मेरीलैंड

अगले पृष्ठ पर देखिए....

मेरीलैंड

जेम्स मेक्हेनरी

डेनियल कैरल

डेनियल आव सेंट टामस जेनिफ़र

वर्जीनिया

जोन ब्लेयर

जेम्स मेडीसन जूनियर

नोर्थ कैरोलिना

विलियम ब्लौंट
रिचर्ड हाब्स स्पेट

ह्यू विलियमसन

साउथ कैरोलिना

जे० रटलज

चार्ल्स पिकने

चार्ल्स कोटवर्थ पिकने

पीयर्स बटलर

जार्जिया

विलियम फूय

एब्राहम बाल्डविन

१:शासनविधान में] संशोधन

आर्टिकल १,

:किसी: धर्म की स्थापना :के सम्बन्ध में: या धार्मिक पूजा पाठ की स्वतन्त्रता का निषेध करने वाले किसी कानून को बनाने का कांग्रेस को अधिकार नहीं होगा, न ही वह भाषण और प्रकाशन की स्वतन्त्रता, एवं शान्तिपूर्वक एकत्रित होने :सभा सम्मेलन करने: और शिकायतों के निवारण के लिये सरकार की सेवा में प्रार्थनापत्र देने के जनता के अधिकारों को कम करने वाले कानून बना सकेगी ।

आर्टिकल द्वितीय

किसी भी स्वतन्त्र राज्य की सुरक्षा के लिये सुनियन्त्रित नागरिक स्वयंसेना अथवा मिलिशिया आवश्यक है, अतः नागरिकों के शस्त्र रखने वा धारण करने के अधिकार का अपहरण नहीं किया जा सकेगा ।

आर्टिकल तृतीय

कोई भी सैनिक शान्तिकाल में किसी घर पर उसके स्वामी की अनुमति के बिना नहीं बैठाया जा सकेगा । युद्धकाल में भी ऐसा कानून द्वारा निर्धारित विधि से ही किया जा सकेगा ।

आर्टिकल चतुर्थ

अयुक्तिक तलाशी, :गिरफ्तारी: या ज़ब्ती से, अपने शरीर, मकान, सामान या कागज़ात की रक्षा के नागरिकों के अधिकार का अपहरण नहीं किया जा सकेगा, और शपथ अथवा घोषणा द्वारा पुष्ट सम्भावित कारण के बिना तलाशी, गिरफ्तारी या ज़ब्ती का वारंट नहीं निकाला जा सकेगा । जिस स्थान की तलाशी देनी हो, जिस या जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना हो और जिस सामान को ज़ब्त करना हो उनका वारंट में स्पष्ट विवरण देना आवश्यक होगा ।

आर्टिकल पंचम

किसी भी व्यक्ति को, ग़ैर ज़ूरी द्वारा अभियोग लगाए बिना किसी बड़े और घृणित अपराध के अभियोग में जवाब देने के लिये बाधित नहीं किया जा सकेगा, सिवाय स्थल, जल और नागरिक सेनाओं :मिलिशिया: से सम्बन्धित उन स्थितियों के जो कि युद्ध या अन्य सार्वजनिक भय के समय कार्य करते हुए उत्पन्न हुए हों । किसी व्यक्ति को, एक ही अपराध के लिये दो बार दंडित करके उसका जीवन या शरीर जोखिम में नहीं डाला जा सकेगा, फौजदारी मुकदमों में अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिये किसी को बाधित नहीं किया जा सकेगा, बिना उचित कानूनी कार्रवाई के जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता से किसी को वंचित नहीं किया जा सकेगा और न ही किसी की सम्पत्ति को, बिना ठीक मुआवज़े के, सार्वजनिक उपयोग के लिये लिया जा सकेगा ।

आर्टिकल षष्ठम

समस्त फौजदारी अभियोगों में अभियुक्तों को अधिकार होगा

कि मुकदमे की सुनवाई शीघ्र और सार्वजनिक रूप से तथा उस राज्य व जिले की निष्पक्ष जूरी द्वारा हो जिसमें कि अपराध किया गया है, और जिसकी सीमा कानून द्वारा पूर्व निर्धारित है, उन्हें अभियोग के स्वरूप और आधार की सूचना दी जाए। विरोधी गवाहों की गवाही उसकी उपस्थिति में हो, उसके पक्ष के गवाहों को कानूनी कार्रवाई द्वारा पेश होने के लिये बाधित किया जाए, और सफाई के निमित्त उसे वकील की सहायता प्रदान की जाए।

आर्टिकल सप्तम

बीस डालर से अधिक मूल्य के परम्परा प्राप्त :कामन ला: कानून के मुकदमों में जूरी द्वारा मुकदमा सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। और एक जूरी द्वारा परीक्षित किसी तथ्य की यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी न्यायालय में परम्परा प्राप्त कानून के नियमों के विपरीत मुनः परीक्षा नहीं की जाएगी।

आर्टिकल अष्टम

अत्यधिक जमानत नहीं मांगी जाएगी, अत्यधिक जुर्माने नहीं किए जायेंगे, क्रूर और असाधारण दंड नहीं दिए जाएंगे।

आर्टिकल नवम

शासनविधान में कुछ अधिकारों के परिगणन का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि जनता को सहज प्राप्त अन्य अधिकारों का निषेध कर दिया गया है या उन्हें गौण समझा गया है।

आर्टिकल दशम

जो अधिकार शासनविधान द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स को प्रदान नहीं किए गए और जिनका अलग अलग राज्यों के लिये निषेध नहीं

किया गया, वे पृथक राज्यों को या जनता को प्राप्त समझे जायेंगे।

आर्टिकल एकादश

यूनाइटेड स्टेट्स का न्यायाधिकार, कानून और :कानून शक्ति प्राप्त: न्याय सिद्धान्तों :इक्विटी: के उन मुकदमों पर लागू नहीं होगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के एक राज्य के नागरिकों द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध या किसी विदेशी राज्य के नागरिकों या प्रजा द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के किसी सदस्य राज्य के विरुद्ध चलाए गए हों ।

आर्टिकल द्वादश

निर्वाचक लोग प्रेज़िडेंट और वाइसप्रेज़िडेंट का निर्वाचन अपने अपने राज्यों में एकत्र होकर गुप्त मत पत्र प्रणाली द्वारा करेंगे । इन दोनों में कम से कम एक का उस राज्य का निवासी न होना आवश्यक होगा जिसके कि निर्वाचक लोग हैं । वे पृथक मत पत्रों पर उन व्यक्तियों के पृथक पृथक नाम लिखेंगे जिन्हें वे प्रेज़िडेंट और वाइस प्रेज़िडेंट बनाना चाहते हैं । प्रेज़िडेंट और वाइसप्रेज़िडेंट पदों के लिये मत प्राप्त व्यक्तियों तथा प्राप्त मतों की पृथक पृथक सूचियां बना कर, उन पर हस्ताक्षर करके तथा उन्हें प्रमाणित करके, वे उन सूचियों को मोहरबन्द करके सेनेट के प्रेज़िडेंट के नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी को भेज देंगे । सेनेट का प्रेज़िडेंट, सेनेट और हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्स की उपस्थिति में इन प्रमाणपत्रों को खोलेगा, और तब मतगणना की जायेगी । प्रेज़िडेंट पद के लिये सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को प्रेज़िडेंट घोषित किया जाएगा । बशर्तकि प्राप्त मत कुल निर्वाचक संख्या के आधे से अधिक हों । यदि इतने मत किसी को भी न प्राप्त होंगे तो, क्रमशः सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले तीन व्यक्तियों में से, हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्स तत्काल गुप्त मतपत्र

१८१

प्रणाली द्वारा प्रेजिडेंट का चुनाव होगा । प्रेजिडेंट के इस चुनाव में मत गणना प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि मंडल का एक मत मान कर, राज्यशः होगी, और राज्यों की समस्त संख्या का बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होगा । इस कार्य के लिये सभा का कोरम : सभा-सदों की निर्दिष्ट संख्या : दो तिहाई राज्यों के सदस्यों की उपस्थिति होगा । यदि प्रेजिडेंट के चुनाव का उत्तरदायित्व उपरिलिखित विधि से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर आ पड़ने पर, यदि वह आगामी ४ मार्च से पूर्व उसका चुनाव न कर सके, तो वाइसप्रेजिडेंट प्रेजिडेंट की मृत्यु व वैधानिक अयोग्यता के अवसरों की भांति, प्रेजिडेंट पद के कार्य का वहन करेगा ।

जिस व्यक्ति को वाइसप्रेजिडेंट पद के लिये सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे वह वाइसप्रेजिडेंट घोषित किया जाएगा बशर्तेकि यह मत समस्त निर्वाचक संख्या के आधे से अधिक हों । यदि किसी को भी इतने मत प्राप्त न होंगे, तो क्रमशः सर्वाधिक मत प्राप्त दो व्यक्तियों में से एक को सेनेट वाइस प्रेजिडेंट चुनेगा । इस कार्य के लिये सभा का कोरम सेनेटरों की समस्त संख्या का दो तिहाई होगा । और चुनाव के लिये समस्त संख्या से आधे से अधिक के मत प्राप्त करना आवश्यक होगा । यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट पद के लिये वैधानिक-तया अयोग्य व्यक्ति वाइसप्रेजिडेंट भी नहीं बन सकेगा ।

आर्टिकल त्रयोदश

सेक्शन १. यूनाइटेड स्टेट्स और उसके शासनाधिकार के अन्तर्गत किसी प्रदेश में किसी अपराध के लिये नियमित रूप से अपराधी घोषित होने पर दंड के अतिरिक्त दासता अथवा बलात् बन्धन के लिये कोई स्थान नहीं होगा ।

सेक्शन २. कांग्रेस को आवश्यक कानून बनाकर विधान के इस आर्टिकल को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा ।

आर्टिकल चतुर्दश

सैक्शन १. यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न अथवा नेचरलाइज्ड हुए और उसके शासनाधिकार के अधीन सब मनुष्य, यूनाइटेड स्टेट्स के और तदन्तर्गत उस राज्य के नागरिक होंगे जिसमें कि वे रहते हैं । कोई सदस्य राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू करेगा जिससे यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के विशेषाधिकारों व स्वतन्त्रताओं में अन्तर आता हो, न ही कोई राज्य किसी व्यक्ति को, बिना कानूनी कार्रवाई के जीवन, सम्पत्ति व स्वतन्त्रता से वंचित कर सकेगा, और न ही अपने शासनाधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति के लिये कानून की समान सुरक्षा से इन्कार कर सकेगा ।

सैक्शन २. विभिन्न राज्यों में रिप्रेजेंटेटिवों : हाउस अफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों : की संख्या का विभाजन इन राज्यों की जन संख्या के आधार पर होगा । यह संख्या प्रत्येक राज्य में, मनुष्यों की संख्या में से, कर न देने वाले इंडियनों को निकाल कर, स्थिर की जाएगी । परन्तु जब कभी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट या वाइसप्रेजिडेंट के निर्वाचकों, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिवों, किसी राज्य के एग्जैक्युटिव या न्याय विभाग के अफसरों या उस राज्य की धारा सभा के सदस्यों के चुनाव के लिये निर्वाचन के अवसर पर, राज्य के किन्हीं पुरुष निवासियों को, जो २१ वर्ष की आयु के हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक हैं, राजद्रोह या अन्य किसी गम्भीर अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से मत प्रदान के अधिकार से वंचित किया जाएगा, या उनके इस अधिकार में कमी की जायगी तो, प्रतिनिधित्व का आधार भी उसी अनुपात के कम हो जाएगा जो अनुपात कि मताधिकार से वंचित पुरुष नागरिकों का उस राज्य के इक्कीस वर्षीय पुरुष नागरिकों की कुल संख्या से होगा ।

सैक्शन ३. कोई भी ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में सेनेटर,

रिप्रेजेंटेटिव, प्रेजिडेंट या वाइसप्रेजिडेंट के चुनाव के लिये निर्वाचक नहीं बन सकेगा या यूनाइटेड स्टेट्स तथा तदन्तर्गत किसी राज्य में सिविल या सैनिक पद पर :आरुढ़: नहीं रह सकेगा जिसने पहले कांग्रेस के सदस्य, यूनाइटेड स्टेट्स के अफसर, किसी राज्य की धारा सभा के सदस्य या उसके शासन या न्यायविभागों के राजकर्मचारी की हैसियत से यूनाइटेड स्टेट्स के शासन विधान के समर्थन की शपथ ली हो और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध राजद्रोह में भाग लिया हो या उसके शत्रुओं को सहायता, सुख या सुविधाएं पहुंचाई हों । कांग्रेस को, अपनी प्रत्येक सभा के दो तिहाई मत से इस अयोग्यता को हटाने का अधिकार होगा ।

सेक्शन ४. यूनाइटेड स्टेट्स के किसी कानून द्वारा अधिकृत किसी सार्वजनिक कर्ज के औचित्य पर जिसमें वे कर्ज भी सम्मिलित होंगे जो राजद्रोह के दमन में सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप पेन्शनें या अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये उठाए गए हों, आपत्ति नहीं की जा सकेगी, परन्तु यूनाइटेड स्टेट्स व तदन्तर्गत कोई राज्य ऐसे किसी कर्ज या उत्तरदायित्व को अपने सिर नहीं लेगा, या उनको नहीं चुकाएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध विद्रोह की सहायता के लिये उठाए गए हों । न ही किसी ऐसे दावे को अपने सिर पर लेगा या चुकायेगा जिसका सम्बन्ध किसी दास की हानि या मुक्ति से हो, इतना ही नहीं, ऐसे समस्त कर्ज, उत्तरदायित्व व दावे, गैरकानूनी और अवैध उहराए जाएंगे ।

सेक्शन ५. कांग्रेस को आवश्यक कानून बना कर इस आर्टिकल में उल्लिखित बातों को क्रियान्वित कराने का अधिकार होगा ।

आर्टिकल पंचदश

सेक्शन १. यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के मत प्रदान के अधिकार को, जाति, रंग, या पूर्ववर्ती :दासानुबंध के: आधार पर,

यूनाइटेड स्टेट्स या तदन्तर्गत किसी राज्य द्वारा अपहृत या न्यून नहीं किया जा सकेगा ।

सेक्शन २. कांग्रेस को, आवश्यक कानून बनाकर, इस आर्टिकल को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा ।

आर्टिकल षोडष

कांग्रेस को किसी भी स्रोत से प्राप्त आय पर कर लगाने तथा वसूल करने का, बिना विभिन्न राज्यों में उस कर का विभाजन किए, और बिना किसी जनगणना पर ध्यान दिए अधिकार होगा ।

आर्टिकल सप्तदश

सेक्शन १. यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट का निर्माण प्रत्येक राज्य के दो सेनेटरों से होगा जो उस राज्य की जनता द्वारा छे वर्ष के लिये चुने जाएंगे, और प्रत्येक सेनेटर को एक मत का अधिकार होगा। इस कार्य के लिये प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों की योग्यताएं वहीं होंगी जो कि उस राज्य की धारासभा की सर्वाधिक संख्या सभा के निर्वाचकों के लिये ।

सेक्शन २. सेनेट में किसी राज्य के प्रतिनिधित्व में कोई स्थान रिक्त होने पर, उसकी पूर्ति के लिये उस राज्य का प्रमुख शासनाधिकारी :एग्ज़ेक्यूटिव औथारिटी: निर्वाचन का आज्ञापत्र जारी करेगा । उस राज्य की धारासभा चाहे तो अपने प्रमुख शासनाधिकारी को स्वल्पकालिक नियुक्ति करने का अधिकार दे सकेगी । और स्थायी पूर्ति बाद में धारासभा द्वारा निर्वाचित विधि से जनता निर्वाचन करके कर देगी ।

सेक्शन ३. इस संशोधन की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकेगी जिससे कि, इसके कानून विधान का अंग बनने से पूर्व निर्वाचित किसी सेनेटर के चुनाव या कार्यकाल पर, विपरीत प्रभाव पड़ता हो । १८५

आर्टिकल अष्टादश

सेक्शन १. इस आर्टिकल की स्वीकृति :रेटिफिकेशन: के एक वर्ष बाद सब मादक शराबों का, यूनाइटेड स्टेट्स व उसके आधीन उन प्रदेशों में जो मादक पदार्थों के सम्बन्ध में उसके शासनाधिकार में हों, निर्माण, विक्रय और यातायात और या उनका बाहर से आयात, या बाहर को निर्यात, निषिद्ध किया जाता है ।

सेक्शन २. आवश्यक कानून बनाकर इस आर्टिकल को एक ही काल में क्रियान्वित करने का कांग्रेस तथा विभिन्न राज्यों को अधिकार होगा ।

सेक्शन ३. यह आर्टिकल तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि विभिन्न राज्यों की धारासभारं इसे शासनविधान के एक संशोधन के रूप में विधान में निर्दिष्ट विधि के अनुसार कांग्रेस द्वारा राज्यों के समक्ष उपस्थित करने के बाद सात वर्षों के भीतर स्वीकृत नहीं कर देंगी ।

आर्टिकल एकोनविंशत

सेक्शन १. यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के मत प्रदान के अधिकार को यूनाइटेड स्टेट्स या कोई तदन्तर्गत राज्य लिंग भेद के कारण, अपहृत या न्यून नहीं कर सकेगा ।

सेक्शन २. कांग्रेस को आवश्यक कानून बनाकर इस आर्टिकल को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा ।

आर्टिकल विंशति

सेक्शन १. प्रेजिडेंट तथा वाइसप्रेजिडेंट के कार्यकाल उस वर्ष की २० जनवरी को, और सेनेटों तथा रिप्रेजेंटेटिवों के कार्यकाल उस वर्ष की तीन जनवरी को दोपहर के बारह बजे समाप्त हुआ करेंगे, जिस वर्ष कि उनके कार्यकाल, इस आर्टिकल की स्वीकृति के बिना

.....समाप्त होने थे । और इन सबके उत्तराधिकारियों के कार्यकाल उस समाप्तिकाल से आरम्भ होंगे ।

सेक्शन २. वर्ष में कम से कम एक बार कांग्रेस का अधिवेशन अवश्य होगा और यदि कांग्रेस ने कानून द्वारा अन्य कोई दिन नियत न कर दिया तो इसका प्रारम्भ जनवरी मास की ३ तिथि को हुआ करेगा ।

सेक्शन ३. यदि, नियत कार्यारम्भ काल से पूर्व ही, नव निर्वाचित प्रेजिडेंट की मृत्यु हो जाए, तो नवनिर्वाचित वाइस प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट बन जाएगा । यदि नियत कार्यारम्भ काल से पूर्व प्रेजिडेंट का चुनाव न हो सका हो, या नव निर्वाचित प्रेजिडेंट अधिकारी न बन पाया हो तो, नव निर्वाचित वाइस प्रेजिडेंट उस काल तक प्रेजिडेंट के कार्य का वहन करेगा जब तक कि प्रेजिडेंट अधिकारी नहीं बन जाता । यदि नव निर्वाचित प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट दोनों ही अधिकारी न बन पाए हों तो उस अवस्था में, कांग्रेस कानून द्वारा निश्चय करके घोषणा करेगी कि कौन प्रेजिडेंट का कार्य वहन करेगा, या कार्यवाहक का निर्वाचन किस प्रकार होगा, और इस प्रकार नियुक्त तथा निर्वाचित कार्यवाहक व्यक्ति प्रेजिडेंट तथा वाइसप्रेजिडेंट के अधिकारी बन जाने तक कार्य करेगा ।

सेक्शन ४. जब कभी प्रेजिडेंट के निर्वाचन का कर्तव्य हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर आ पड़े और जिन व्यक्तियों में से हाउस ने चुनाव करना था, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए तो कांग्रेस को आवश्यक व्यवस्था करने का अधिकार होगा । इसी प्रकार जब कभी वाइस प्रेजिडेंट के चुनाव का कर्तव्य सेनेट पर आ पड़े और जिन व्यक्तियों में से सेनेट ने चुनाव करना था, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए तो आवश्यक व्यवस्था करने का अधिकार कांग्रेस को होगा ।

सेक्शन ५. सेक्शन १ और २, इस आर्टिकल की स्वीकृति के बाद, १५ अक्टूबर से लागू होंगे ।

सेक्शन ६. यह आर्टिकल लागू नहीं होगा यदि, शासनविधान में एक संशोधन के रूप में, विभिन्न राज्यों की धारासभा का तीन चौथाई इसे, उनके समक्ष उपस्थित किया जाने के बाद, सात वर्ष के भीतर स्वीकृत न कर दे ।

आर्टिकल एकविंशति

सेक्शन १. शासनविधान में संशोधन का अठाहरवां आर्टिकल इस आर्टिकल द्वारा वापस लिया जाता है ।

सेक्शन २. यूनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत किसी राज्य में या आधीनस्थ किसी प्रदेश में सम्बन्धित कानूनों के विरुद्ध, हस्तांतरित करने या प्रयोग के लिये, मादक शराबों का आयात या बाहर से आयात इस आर्टिकल द्वारा निषिद्ध किया जाता है ।

सेक्शन ३. यह आर्टिकल लागू नहीं होगा, यदि, विधान के एक संशोधन के रूप में विभिन्न राज्यों के कन्वेंशन विधान में निर्दिष्ट विधि से कांग्रेस द्वारा राज्यों के समक्ष उपस्थित करने के सात वर्षों के भीतर, इसे स्वीकृत नहीं कर देंगे ।

००००००००००००००००००००

स मा प्त म ।

००००००००००००००००००००

